राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

सत्यमेव जयते

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव

रिटर्निंग अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों के लिये

मार्गदर्शिका

(जहाँ मतदान मतपेटी से होगा)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
रजत जयंती वर्ष
25
1994-2019

2019

www.rajteachers.com

प्रस्तावना

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण नियंत्रण व निर्देशन में कराये जाते हैं। ये चुनाव परम्परागत तरीके से मतपेटियों के द्वारा कराये जाते रहे हैं। आगामी चुनावों में भी कुछ स्थानों पर पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य, पंच एवं सरपंच के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से तथा कुछ में चुनाव मतपेटी के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार करवायें जा सकते हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव की प्रक्रिया अन्य चुनावों जैसे लोकसभा/विधानसभा/नगरपालिका की प्रक्रिया से थोड़ी भिन्न है क्योंकि इन चुनावों में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद् सदस्य चार पदों के लिए अलग–अलग दिवस को चरणों में चुनाव होते हैं। इन चुनावों में लगे रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान अधिकारी के लिए प्रक्रिया की पूर्ण एवं सटीक जानकारी रखना बहुत आवश्यक है।

इसी उद्देश्य से इस मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के समस्त सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करते हुए चुनाव प्रक्रिया बताई गई है। साथ ही इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के समय–समय पर जारी निर्देशों का संदर्भ भी विषयवार दिया गया है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पुस्तिका का भली–भांति अध्ययन कर स्वयं को इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए तैयार कर लें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्व की भांति अच्छी तरह से करेंगे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के इस मूलभूत स्तर को अधिक सुदृढ़ एवं स्वस्थ बनाने में अपना योगदान कर एक सक्षम व अनुशासित राज्य कर्मचारी एवं भारतीय नागरिक होने का परिचय दें। मेरी इस हेतु आप सभी को शुभकामनाऐं है।

26 दिसम्बर, 2019

प्रेमसिंह मेहरा

राज्य निर्वाचन आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

www.rajteachers.com

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रारम्भिक	1
2	पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की मुख्य विशेषताएं	2
3.	रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान दल के सदस्यों में कार्य विभाजन	7
4.	मतदान सामग्री	15
5.	मतदान प्रक्रिया	17
6	रिटर्निंग अधिकारी (पंच/सरपंच) चुनाव के कर्तव्य	25
7.	उप सरपंच चुनाव	42
परिशिष्ट		
1.	भारतीय दण्ड संहिता 1860 के उद्धरण	45
2.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से निर्वाचन अपराध संबंधी उद्धरण	46
3.	राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम नियम, 1994 से उद्धरण	54
4.	राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 से उद्धरण	61
	अध्याय–4 पंचों का निर्वाचन सुसंगत (Relevent) नियम	61
	अध्याय–5 सरपंच का निर्वाचन	72
	अध्याय–6 पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन	73
	अध्याय–9 उप सरपंच का निर्वाचन	74
	अध्याय–10 अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता संबंधित नियम	75
	अध्याय–11 शपथ या प्रतिज्ञान	78
5	डाक मतपत्र हेतु आवेदन प्ररूप–1	79
6–A	नाम निर्देशन का प्ररूप–4	80
6–B	अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष घोषणा प्ररूप–4घ	81
6–C	क्रियाशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा/अंडरटेंकिग	83
6–D	अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष घोषणा उपाबन्ध–I-B	84
6–E	उम्मीद्वार द्वारा भरे जाने वाला सांख्यिकी सूचना फॉर्म	90
7	मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री की सूची	91
8–A	नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों (सरपंच) की सूची प्ररूप–5	94
8–B	नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों (पंच) की सूची प्ररूप–5	96
9	निविदत्त मतों (Tender Votes) की सूची प्ररूप–6	97
10	निर्वाचन के परिणामों की सूची प्ररूप–7	98
11	मतदान बूथ का ले–आउट	99
12	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति प्ररूप–8	100
13	निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंधी घोषणा का प्ररूप	101
14	आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची का प्ररूप	102
15	लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को तैयार करने हैं	103
16	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्ररूप–9	106

www.rajteachers.com

17	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति प्ररूप–10	107
18	शपथ का प्ररूप–11	108
19	हिन्दी वर्णमाला	109
21	पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान से पूर्व, मतदान के दौरान एवं अंत में की जाने वाली घोषणाऐं	110
22	मतदाता की पहचान हेतु विहित फोटो दस्तावेजो संबंधी आदेश	113
23–A	पीठासीन अधिकारी की डायरी (PS/ZP)	115
23–B	पीठासीन अधिकारी की डायरी (पंच/ सरपंच)	117
24	पेपर सीलों का लेखा– (पंच/ सरपंच)	119
25	Form of Statistics (सरपंच)	120
26	मतपत्र लेखा	122
27	नाम वापसी की सूचना (सरपंच)	123
28	मतपेटी का लेबल (पंच/सरपंच एवं PS/ZP)	124
29	मीटिंग नोटिस मॉडल फॉर्म (सरपंच चुनाव)	125
30	भारत निर्वाचन आयोग के अमिट स्याही लगाये जाने के संबंध में आदेश	126
31	राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व चुनाव में लगी अमिट स्याही के संबंध में आदेश	128
32	प्रतिभूति निक्षेप राशि आवेदन (प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2)	130

www.rajteachers.com

अध्याय – 1
प्रारम्भिक

1. राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन में कराये जाते हैं। पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी निर्वाचनों में पंच पद के चुनाव में मतदान मतपेटियों के माध्यम से कराया जायेंगा। सरपंच, जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के पदों के लिए आम चुनाव में ईवीएम की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुयें कुछ पदों/स्थानों पर मतदान मतपेटियों के माध्यम से कराया जा सकता हैं।
2. संविधान में 73 वें संशोधन के उपरान्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में ग्राम पंचायत के वार्ड पंच, ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य के लिए एवं जिला परिषद् सदस्य के लिए अर्थात् सभी 4 स्थानों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। इन चुनावों में विभिन्न स्तरों पर सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षित हैं जिन पर चुनाव लड़ने के लिए संबंधित वर्ग के मतदाता ही पात्र होंगे।
3. रिटर्निंग एवं मतदान अधिकारी के रूप में निर्वाचन का संचालन करने में आपकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मतदान बूथ पर मतदान की कार्यवाही को नियंत्रित करने हेतु आपको पर्याप्त वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। मतदान बूथ पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना आपका प्रमुख कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व है। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि आपको विधि एवं प्रक्रिया तथा निर्वाचन के संचालन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये आदेशों तथा निर्देशों की जानकारी प्राप्त हो, ताकि गलती होने की कोई संभावना ना रहें।
4. यह मार्गदर्शिका पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिये नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों और पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचनों, जहां मतपेटियों का उपयोग किया जायेंगा, के लिये बनायी गयी है जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा चुनावों के संचालन के संबंध में विधिक उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए ही तैयार की गयी है।
5. पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया में अनेक बातों में विधानसभा/ लोकसभा/ नगरपालिका चुनावों से एकरूपता होते हुये भी कई बातों मे भिन्नता भी है जो पुस्तक का अध्ययन ठीक प्रकार से करने से स्पष्ट होंगी।
6. पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन इस पुस्तक के अध्याय 02 में किया गया हैं। मतदान अधिकारी एवं मतदान दल के सदस्यों का कार्य विभाजन इस पुस्तक के अध्याय 03 में समझाया गया हैं। पंच/सरपंच चुनाव के लिये रिटर्निंग अधिकारी के कर्त्तव्यों को अध्याय–6 एवं उप सरपंच चुनाव को अध्याय–7 में विस्तृत रूप से समझाया गया है। मतदान प्रक्रिया का वर्णन तथा मतदान की समाप्ति पर मतपेटी को बन्द करना और कागजात एवं लिफाफों को तैयार करना अध्याय–05 में बताया गया।

7. मतदान के संचालन के संबंध में कानूनी प्रावधान :–

कानूनी प्रावधान जिनका सम्बन्ध पंच, सरपंच के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी तथा मतदान अधिकारी के रूप में तथा पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के चुनाव में मतदान अधिकारी के रूप में आपके कर्तव्यों से है (i) भारतीय दण्ड संहिता, 1860– परिशिष्ट–01 (ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951– परिशिष्ट–02 (iii) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–परिशिष्ट–03 (iv) राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 – परिशिष्ट–04 पर संलग्न हैं।

8. यह मार्गदर्शिका आपके कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक जानकारी देने के लिए तैयार की गई है। किन्तु इस मार्गदर्शिका को सभी तरह से पूर्ण और मतदान के संचालन के दौरान निर्वाचन संबंधी कानूनी प्रावधानों का विकल्प नही समझा जा सकता । आपको जहां आवश्यक हो, उन कानूनी प्रावधानों का भी अध्ययन करना चाहिए। यदि कहीं कानूनी प्रावधानों व मार्गदर्शिका में भिन्नता पायी जायें तो कानूनी प्रावधानों को ही माना जायें।

www.rajteachers.com

अध्याय–2

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की मुख्य विशेषतायें

1. पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य चुनावों की प्रक्रिया में अन्य चुनावों की प्रक्रिया से कई भिन्नतायें हैं जिन्हें वर्णित करते हुये पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों की मुख्य विशेषताओं का विवरण पुस्तिका के इस अध्याय में दिया गया है, ताकि कोई भ्रांति नहीं रहे।
2. आपको पंचायत मुख्यालय पर एक से अधिक पदों के लिए भिन्न–भिन्न पदनामों से चुनाव कराना होगा, उनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. स.	निर्वाचन का नाम	पद का नाम	नियम जिसके अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आपकी नियुक्ति की जायेगी
1	2	3	4
1.	पंचायत में पंच, सरपंच का चुनाव	रिटर्निंग अधिकारी	नियम 23(2) तथा 56(1)
2.	पंच–सरपंच का चुनाव	मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी)	नियम 31 सपठित नियम 56(1)
3.	उप सरपंच का चुनाव	रिटर्निंग अधिकारी	नियम 23(2) तथा 65
4.	पंचायत समिति/ जिला परिषद् सदस्य का चुनाव	मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी)	नियम 31 सपठित नियम 58

3. पंच व सरपंच चुनाव के लिये नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी के कर्त्तव्य एवं शक्तियां नियम 24 एवं मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य एवं शक्तियां नियम 24–क में वर्णित की गयी हैं।
4. **पंच, सरपंच के चुनाव अथवा पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का चुनाव सम्पन्न कराने हेतु आपको दिये गये नियुक्ति आदेश में निम्नांकित विवरण मिलेगा।**
   - (i.) ग्राम पंचायत का नाम अथवा उस पंचायत समिति तथा जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्र का क्रम संख्यांक, जिसका आपको चुनाव कराना हैं।
   - (ii.) प्रत्येक मतदान बूथ के लिए नियुक्त मतदान दल के सदस्यों के नाम व उनके विभागीय पद।
   - (iii.) प्रत्येक बूथ में जिन वार्डों के मतदाता मत देंगे उन वार्डो की क्रम संख्यांक।
   - (iv.) पंचायत मुख्यालय पर जो भवन मतदान बूथ के लिये निर्धारित किया गया हैं उसका नाम।
   - (v.) मतदान की तारीख।
5. **रिटर्निंग ऑफिसरः**– पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23(2) के अन्तर्गत नियुक्त किये जाऐंगे। पंच, सरपंच चुनाव के लिए नियुक्त उक्त रिटर्निंग अधिकारी ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर निर्वाचन का कार्य सम्पन्न करेगा। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58(2) के अन्तर्गत की जाती है जिसका मुख्यालय पंचायत समिति स्तर पर होगा। जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसका मुख्यालय जिला स्तर पर रहेगा।

   पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी पंच एवं सरपंच चुनाव के नामनिर्देशन पत्रों को लेने, उनकी जांच करने, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप–5) बनाने, मतदान की व्यवस्था की देख रेख करने, मतगणना कराने एवं उनका परिणाम घोषित

www.rajteachers.com

करने का कार्य करेगा, साथ ही उपसरपंच पद का चुनाव भी सम्पन्न करवायेंगा। उक्त रिटर्निंग अधिकारी अपने पंचायत क्षेत्र में नियुक्त किये गये मतदान दलों को मतदान सामग्री जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से प्राप्त कर उपलब्ध करायेगा। यदि एक ही मतदान दल द्वारा पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य का चुनाव अलग दिवस को एवं पंच, सरपंच का चुनाव अलग दिवस को कराया जायेगा, तो ऐसी स्थिति में पंच/सरंपच चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त कार्यों के अलावा जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए भी मतदान कार्य का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

6. **मतदान दल में अधिकारी**:– विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनाव में जो कार्य पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी करते हैं, वहीं कार्य पंचायत मुख्यालय पर स्थापित प्रत्येक मतदान बूथ पर क्रमशः मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी करेंगे। पंचायत चुनाव में मतदान अधिकारी ही पीठासीन अधिकारी के रूप में संबंधित मतदान बूथ पर कार्य करेगा। मतदान अधिकारी की शक्तियां व कर्त्तव्य नियम 24–क में बताये गये हैं।
7. **मतदान बूथ**:– विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनावों में मतदान दल प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त किया जाता है परन्तु पंचायत चुनाव में मतदान दल प्रत्येक मतदान बूथ के लिए नियुक्त किया जायेंगा। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक ही मतदान केन्द्र होता है जो सामान्यतः पंचायत मुख्यालय से बाहर नहीं होता। एक मतदान केन्द्र को एक से अधिक मतदान बूथों में विभाजित किया जाता है। पंच/सरपंच चुनाव में एक वार्ड को एक से अधिक बूथों में नहीं तोड़ा जायेंगा । प्रत्येक मतदान बूथ पर कुछ पूरे–पूरे वार्डों के मतदाता मतदान करेंगे। मतदान केन्द्र/मतदान बूथ की सूची आपको चुनाव सामग्री के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से प्राप्त होगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियम 30(3) के अन्तर्गत नोटिस (परिशिष्ट–14) तैयार कर प्रकाशित किया जायेंगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रदान की गई मतदान केन्द्र के लिए पूर्व निर्धारित भवनों के नाम की सूचना पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायेगा। यदि पंचायत कार्यालय उपलब्ध नहीं है तो यह सूचना मतदान केन्द्र के भवन पर चस्पा करायी जायेगी।

   पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के लिए मतदान बूथों की सूची का प्रकाशन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा किया जायेंगा जिसके नोटिस का प्ररूप आपको चुनाव सामग्री के साथ प्राप्त होगा उसे भी मतदान अधिकारी अपने बूथ पर यथास्थान प्रकाशित करने की व्यवस्था करावें।
8. **मतगणना**:– पंचायत चुनावों में पंच एवं सरपंच के लिए मतगणना पंचायत मुख्यालय पर मतदान केन्द्र पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् की जायेगी। किन्तु पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचनों में मतदान सम्पन्न होने के पश्चात् मतपेटियां रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय पर पहुँचाने की व्यवस्था की जायेगी, क्योकि उक्त चुनावों की मतगणना जिला मुख्यालय पर होगी।
9. **निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता व गणन अभिकर्ता**:– जहां विधानसभा, लोकसभा व नगरपालिका चुनावों में प्रत्येक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता व गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार है वहां केवल पंचायत चुनाव में जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन में उम्मीदवार को एक निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक मतदान बूथ में एक मतदान अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार हैं।

   सरपंच पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को अधिकतम दो गणन अभिकर्ता तथा जितने मतदान बूथ हैं उतनी संख्या में मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने के अधिकार हैं परन्तु सरपंच पद के अभ्यर्थी को निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। वार्ड पंच के चुनाव के उम्मीदवार को निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वार्ड पंच के चुनाव में उम्मीदवार स्वयं ही हर जगह उपस्थित रहने में समर्थ होता है।

www.rajteachers.com

10. **प्रतिभूति निक्षेप राशिः**– पंच पद का चुनाव लड़ने के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराने का प्रावधान नहीं है। सरपंच पद के लिए उम्मीदवार को निक्षेप राशि नियम 56(3) के अन्तर्गत नामनिर्देशन पत्र के साथ जमा कराना आवश्यक है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि 500/– रु. एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवार के लिए 250/– रु. प्रतिभूति निक्षेप राशि जरिये रसीद जमा कराना आवश्यक है। प्रतिभूति निक्षेप राशि लौटाने योग्य है बशर्ते अभ्यर्थी को डाले गये कुल वैध मतों के 1/6 भाग से अधिक मत प्राप्त हुये हो अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।यदि चुनाव में विजयी उम्मीद्वार के मत कुल वैद्य मतों के 1/6 से कम है तब भी उन्हें प्रतिभूति निक्षेप राशि वापिस की जायेंगी। प्रतिभूति निक्षेप राशि को लौटाने एवं राजकोष में जमा कराने की विस्तृत प्रक्रिया के अनुरूप मतगणना के पश्चात् निक्षेप राशि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को प्रपत्र–1 (परिशिष्ट–32) में आवेदन करना होगा। जब्त तथा अवितरित राशि प्रपत्र–2 (परिशिष्ट–32) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को निर्धारित लिफाफे में एवं काउन्टर पर जमा करानी होगीं।

11. **मतपेटियांः**– प्रत्येक मतदान बूथ पर पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए एक ही मतपेटी में मत डाले जायेंगे, जिसके भरने के बाद दूसरी या तीसरी मतपेटी काम में ली जायेगी। इसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन के लिए भी एक ही मतपेटी रखी जायेगी जिसके भरने के बाद दूसरी या तीसरी मतपेटी उपयोग में ली जायेगी। सभी प्रकार के मतपत्र भिन्न–भिन्न रंग के होंगे। पंच चुनाव के मतपत्र गुलाबी रंग, सरपंच चुनाव के मतपत्र सफेद रंग, पंचायत समिति सदस्य चुनाव के मतपत्र नीले रंग और जिला परिषद् सदस्य चुनाव के मतपत्र पीले रंग में होंगे। पंच, सरपंच चुनाव की मतगणना एक साथ होगी, जिसमें मतपत्रों को अलग–अलग रंग से छंटनी किया जाना आसान होगा। इसी प्रकार जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए मतगणना भी साथ–साथ होगी जिनके मतपत्रों को भी अलग–अलग रंग से छंटनी किया जाना आसान होगा।

    नोटः– यह भी निर्देश आपको दिये जा सकते हैं कि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच तथा पंच के मतदान हेतु पृथक–पृथक मतपेटी काम में ली जायें। यदि ऐसी स्थिति होगी तो इस विषय में सूचना आपको जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जायेगी।

12. **स्वयं उम्मीदवार द्वारा नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करनाः**– जहां अन्य चुनावों में उम्मीदवार अपना नामनिर्देशन पत्र अपने प्रस्तावक द्वारा भी प्रस्तुत कर सकता है वहां पंच एवं सरपंच चुनाव में उम्मीदवारों को अपने नामनिर्देशन पत्र को स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा विहित रीति से प्रस्तुत हुआ नहीं मानकर यह खारिज कर दिया जायेंगा। इसी प्रकार प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नाम वापसी का नोटिस भी स्वयं ही उपस्थित होकर देना होगा।

13. **जांच कार्य को स्थगित (adjourn) नहीं करनाः**– पंचायत चुनाव में नामनिर्देशन पत्रों की जांच (scrutiny) उसी दिन समाप्त की जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर को जांच कार्य दूसरे दिन के लिए स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है।

14. **नामांकन प्रक्रिया एवं चुनाव चिन्ह का आवंटनः**– विधानसभा व अन्य चुनावों की तरह पंच एवं सरपंच के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार जरूर है, पर इसकी प्रक्रिया विधानसभा व अन्य चुनावों से पूर्णतया भिन्न है। पंच एवं सरपंच नामनिर्देशन प्रक्रिया, नाम खारिज एवं नाम वापिसी के पश्चात् शेष बचे अभ्यर्थियों की अंतिम सूची पृथक्–पृथक प्ररूप–5 (परिशिष्ट 8–A, 8–B) में तैयार की जायेंगी । पंच एवं सरपंच चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णमाला (परिशिष्ट–19) के अनुसार क्रम से इस प्ररूप–5 में लिखे जायेंगे । सरपंच पद के लिए निर्धारित प्ररूप–5 में पहले से ही 20 चुनाव चिन्ह् छपे

www.rajteachers.com

हुए हैं एवं पंच पद के लिए निर्धारित प्ररूप–5 में पहले से ही 10 चुनाव चिन्ह् छपे हुए हैं। जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम के सम्मुख छपा चुनाव चिन्ह् स्वतः ही आवंटित हो जायेंगा। पंच चुनाव (परिशिष्ट 8–B) व सरपंच चुनाव (परिशिष्ट 8–A) के लिए पृथक्–पृथक् प्ररूप–5 तैयार किया जायेंगा।

15. **अमिट स्याही**:– अन्य चुनावों की भांति इन चुनावों में भी अमिट स्याही प्रयोग में ली जायेगी। नियम 38 के अनुसार बांये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगायी जाती है, लेकिन जब पंच–सरपंच चुनाव पृथक दिवस/चरण में और पंचायत समिति–जिला परिषद् सदस्य चुनाव पृथक दिवस/चरण में हो तो पहले चरण में हुये चुनावों में लगी हुई स्याही का निशान मतदाता की अंगुली पर रहता हैं। इसलिए बाद के दिवस/चरण में होने वाले चुनाव के लिए मतदान में मतदाता के दायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाया जायेंगा। यदि प्रथम चरण में पुर्नमतदान हुआ तो बांये हाथ की मध्यमा (Middle finger) पर तथा द्वितीय चरण के चुनाव में पुर्नमतदान होता है तो दांये हाथ की मध्यमा (Middle finger) पर अमिट स्याही का निशान लगाया जायेंगा। इसके संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश परिशिष्ट–31 पर संलग्न हैं।
16. **मतपत्रों का अनुप्रमाणन**:– प्रत्येक मतपत्र निर्वाचक को जारी किये जाने से पूर्व अनुप्रमाणित किये जाने का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतपत्रों को अनुप्रमाणित करने के लिए निर्देश जारी किये हैं (सां.आ.सं.–8/94 दिनांक 27.10.94) जिसके अनुसार मतपत्र की पीठ पर मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर किया जाना एवं सुभिन्नकारी चिन्ह रबर स्टाम्प से लगाया जाना आवश्यक है।
17. **मतपत्रों का स्वरूप**:– विधानसभा/लोकसभा/नगरपालिका चुनावों में जहां चुनाव मतपेटियों से हो वहां मतपत्रों पर प्रतिपर्ण (Counterfoil) भी रखने के प्रावधान है, किन्तु पंचायत चुनावों में मतपत्रों पर कोई प्रतिपर्ण नहीं होता है। मतदाता को मतपत्र उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त किये बिना ही दे दिये जायेंगे। मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी मतदाता को मतपत्र देते समय चिन्हित मतदाता सूची पर संबंधित मतदाता की प्रविष्टि के आगे मतपत्र का क्रम संख्यांक अवश्य अंकित करेगा, लेकिन किसी मतदाता विशेष को जारी किये गये मतपत्र के क्रम संख्यांक को नोट किये जाने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी।
18. **मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु**:– पंचायत चुनावों में किसी उम्मीदवार की मतदान समाप्त होने के पहले मृत्यु हो जाने पर भी चुनाव स्थगित नहीं होगा, लेकिन किसी अभ्यर्थी की मृत्यु होने के परिणाम स्वरूप किसी पद के लिये चुनाव लडने वाला एक ही अभ्यर्थी शेष रह जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी उस पद के चुनाव को नियम 73 के अन्तर्गत (परिशिष्ट–4 के अध्याय–10) स्थगित कर देगा।
19. **दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग मतदाताओं को मत अंकित करने में सहायता**:– विधानसभा चुनावों में पीठासीन अधिकारी दृष्टिबाधित व दिव्यांग मतदाताओं को मतपत्र पर मत अंकित करने में कोई सहायता नहीं कर सकता परन्तु ऐसे मतदाताओं को अपना मत अपने साथी द्वारा अंकित करवाने का अधिकार है लेकिन पंचायत चुनावों में मतदान अधिकारी ही ऐसे दृष्टिबाधित व दिव्यांग मतदाताओं को नियम 41 के अन्तर्गत (परिशिष्ट–4 के अध्याय–4) मत अंकित करने में सहायता करेगें, क्योंकि पंचायत चुनावों में साथी की सहायता से मत देने का प्रावधान नहीं है।
20. **चिन्हित मतदाता सूची**:– अन्य चुनावों में मतपत्र का क्रमांक निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में अंकित नहीं किया जाता, लेकिन पंचायत चुनावों में नियम 39 (परिशिष्ट–4 के अध्याय–4) के अन्तर्गत सहायक मतदान अधिकारियों को चिन्हित मतदाता सूची में मत देने वाले प्रत्येक मतदाता के नाम के सामने उसे दिये गये मतपत्र की क्रम संख्या लिखनी होगी जो उसे दिया जायेंगा।
21. **चैलेन्ज फी**:– पंचायत चुनाव में मतदान बूथ पर किसी उम्मीदवार द्वारा मतदाता की पहचान को चैलेन्ज करने के पूर्व चैलेन्ज फी जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

www.rajteachers.com

22. **शपथः**– राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 24 एवं नियम 75 के प्रावधानों के अंतर्गत पंच, सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्यों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान निर्धारित प्ररूप–11 (परिशिष्ट–18) में लेना आवश्यक है। यह ध्यान देने योग्य है कि उप सरपंच चुनाव में निर्वाचित पंच एवं सरपंच तथा प्रधान/प्रमुख चुनाव में पंचायत समिति/जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य तभी भाग ले सकेंगे जबकि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया एवं निर्धारित प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान ले लिया हो।
23. **निविदत्त मतः**– राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन के नियम 44 (परिशिष्ट–4) के अन्तर्गत निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने वाले व्यक्ति के मामले रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निपटाये जायेंगे।
24. **आरक्षित सीटों का चक्रानुक्रम से आवंटनः**– पंचायतीराज संस्थाओं में सभी पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/महिला के लिये आरक्षित पदों को चक्रानुक्रम से बदलने का प्रावधान है अर्थात् जो सीट गत आम चुनाव के समय जिस श्रेणी के लिये आरक्षित थी अब उसमें परिवर्तन होगा। अब आगामी चुनाव में कौनसा पद किस श्रेणी के लिये आरक्षित हुआ है, इसकी लिखित जानकारी आपको सामग्री लेते समय जिला निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी।
25. **डाक मतपत्रः**– राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) 1994 के नियम 35 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिये भी डाक मतपत्र के प्रावधान किये गये है। आयोग द्वारा विहित रीति से चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारी डाक द्वारा मत दे सकता है, परन्तु चुनाव कर्त्तव्य प्रमाण–पत्र (EDC) का प्रावधान नहीं हैं।

    पंचायत समिति एवं जिला परिषद् चुनाव में ड्यूटी स्टॉफ के लिये डाक द्वारा मत देना संभव है, जिसके लिये आयोग ने डाक द्वारा मत दिये जाने का प्रावधान किया हैं। चुनाव ड्यूटी पर लगा कोई मतदाता डाक द्वारा मत देने के लिये आवेदन प्ररूप–1 (परिशिष्ट–5) कर सकता है।

www.rajteachers.com

अध्याय–3

रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान दल के सदस्यों में कार्य विभाजन

1. **मतदान दल का गठनः**– पंच–सरपंच चुनाव पृथक दिवस/चरण में और पंचायत समिति–जिला परिषद् सदस्य चुनाव पृथक दिवस/चरण में सम्पन्न कराये जायेंगे । मतदान दल में एक मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) तथा 4 सहायक मतदान अधिकारी होंगे। पंचायत चुनाव में पंच एवं सरपंच के निर्वाचनों के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त किया जायेंगा। जो एक ही चरण में अलग–अलग दिवसों में पंच/सरपंच एवं पंचायत समिति/जिला परिषद् के सदस्यों का मतदान होने पर पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य के मतदान का भी पर्यवेक्षण करेगा। रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान दल का गठन जिला स्तर पर किया जायेंगा।
2. **मतदान दल के सदस्यों से पहचानः**– सरपंच पद के निर्वाचन हेतु नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर अपने समस्त मतदान दलों के मतदान अधिकारियों तथा सहायक मतदान अधिकारियों से अपने गन्तव्य स्थान को जाने से पूर्व एक दूसरे से मिलकर जान पहचान कर लें जिससे एक तरह से जान पहचान/आत्मीयता पैदा हो जाये।
3. **प्रशिक्षण (Training)ः**– जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आपको व आपके मतदान अधिकारियों को समस्त प्रक्रिया को समझाने हेतु प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। आप इन प्रशिक्षण कक्षाओं में अवश्य उपस्थित हों जिससे आप समस्त चुनाव प्रक्रिया से पूर्णतया भिज्ञ हो जायें। हर चुनाव की अपनी–अपनी विशिष्टताएं होती हैं और पंचायत चुनावों में कई प्रकार की भिन्नतायें हैं जिसके समझे बिना आपको कठिनाई एवं कार्य करने में परेशानी होगी।
4. **रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण** :– राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, तिथि एवं समय निर्धारण के अनुरूप उक्त रिटर्निंग अधिकारी पंचायत मुख्यालय पर मतदान तिथि से कुछ दिन पूर्व पहुंचेगा।
   - (i.) ग्राम पंचायत पर पहुंचने के उपरान्त छपे हुए लेबल (परिशिष्ट–14) नियम 30(3) के अंतर्गत पंचायत कार्यालय की जगह या मतदान केन्द्र पर चिपका कर प्रदर्शित करेगा।
   - (ii.) पंच/सरंपच का चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को नामनिर्देशन प्रस्तुत करने के प्ररूप–4 (परिशिष्ट 6–A), प्ररूप–4घ (परिशिष्ट 6–B), क्रियाशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग, (परिशिष्ट 6–C) उपाबन्ध–I-B (परिशिष्ट 6–D) तथा उम्मीद्वार से संबंधित सूचना का फार्म (परिशिष्ट 6–E) का सैंट निःशुल्क उपलब्ध करवायेगा।
   - (iii.) उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्ररूप में नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करना (उक्त नामनिर्देशन पत्र प्ररूप–4 के साथ प्ररूप–4घ, क्रियाशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग, उपाबन्ध–I-B (केवल सरपंच के लिए) तथा उम्मीद्वार से संबंधित सूचना का फार्म प्रस्तुत किया जायेंगा)।
   - (iv.) सरपंच पद के लिये नामनिर्देशन पत्रों के साथ निर्धारित प्रतिभूति निक्षेप राशि प्राप्त करना, तथा उक्त राशि की निर्धारित रसीद जारी करना (वार्ड पंच के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि का कोई प्रावधान नहीं हैं)
   - (v.) चुनाव लड़ने के लिये राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित पात्रता एवं अपात्रता को ध्यान में रखकर नामनिर्देशन पत्रों की जांच करना।
   - (vi.) स्वयं उम्मीद्वारों द्वारा प्रस्तुत नाम वापसी प्रार्थना पत्र (परिशिष्ट–27) प्राप्त करना।

www.rajteachers.com

(vii.) नाम वापसी के पश्चात् पंच/सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्ररूप–5 (परिशिष्ट–8-B/8-A) तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन करना।

(viii.) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन।

(ix.) **मतपत्रों की तैयारीः–** उपरोक्त कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की गई पंच एवं सरपंच के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की पृथक–पृथक प्ररूप–5 में सूची जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत की जायेंगी। अभ्यर्थियों की इस सूची (प्ररूप–5) के आधार पर मतपत्रों का मुद्रण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर सम्पन्न कराया जायेंगा ।

(x.) मतदान के दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित मतदान भवन/भवनों पर मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक बूथ पर मतदान दल के सदस्यों में काम बांटना व सामान्य पर्यवेक्षण करना।

(xi.) मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतगणना कराना।

(xii.) परिणामों की घोषणा करना।

(xiii.) प्रतिभूति निक्षेप राशि को लौटाना या जब्त करना (परिशिष्ट–32 के अनुसार)।

(xiv.) चुने गये अभ्यथियों को शपथ दिलाना।

(xv.) उपसरपंच का चुनाव कराना।

(xvi.) निर्वाचन रिकार्ड जमा कराना।

(xvii.) मतदान समाप्ति के बाद पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन से संबंधित समस्त कागज पत्रों को संबंधित मतदान अधिकारियों से तैयार करवाना।

(xviii.) जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य की मतपेटियों को पृथक् से सुरक्षित रखना तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्दिष्ट किये गये अधिकारी को संबंधित कागजात एवं मतपेटियों को सुपुर्द करना ।

(xix.) उप सरपंच का चुनाव सम्पन कराने के पश्चात् ही जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्देशित स्थान के लिए अपने मतदान दल के सदस्यों के साथ प्रस्थान करना है। यदि उस दिन आपका गन्तव्य स्थान जिला मुख्यालय है तो निर्वाचन कागजात यथा निर्दिष्ट रीति से जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जायें।

नोटः– पंच, सरपंच चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण इस पुस्तक के अध्याय–6 में बताया गया हैं।

5. **मतदान अधिकारी के कर्तव्यः–**

(i.) मतदान बूथ में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के चुनावों के लिए मतदाताओं द्वारा मत देने की समुचित व्यवस्था करना। मतदान अधिकारी की देख–रेख व निगरानी में ही प्रत्येक मतदान बूथ में मतदान होगा तथा मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य करीब–करीब वहीं होंगे जो विधानसभा व नगरपालिका चुनावों में पीठासीन अधिकारी के होते हैं।

(ii.) **मतपेटियों को तैयार करना :–** मतदान अधिकारी मतदान प्रारम्भ करने के लगभग 15 मिनट पूर्व मतदान बूथ पर उपस्थित उम्मीदवारों के समक्ष मतपेटियों के खाली होने का प्रदर्शन करने उपरान्त मतपेटी तैयार करेगा। पेपर सील पर अपने पूरे हस्ताक्षर करेगा व उपस्थित उम्मीदवार/अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) भी करवायेंगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा (परिशिष्ट–21) को

www.rajteachers.com

अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया जायेंगा एवं हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

(iii.) दृष्टिबाधित तथा दिव्यांग मतदाताओं को उनकी इच्छानुसार मत अंकित करने में सहायता करना।

(iv.) अपने बूथ में निविदत्त (Tender) मतपत्र द्वारा मतदान एवं चैलेन्ज मतों के मामलों को तय करना।

(v.) उम्मीदवारों द्वारा चेलेन्ज किये गये मतदाताओं के मामलों को निपटाना।

(vi.) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिये गये आदेशों की विधि संगत पालना करना।

(vii.) मतपत्रों की पीठ पर पूरे हस्ताक्षर करना एवं सुभिन्नकारी चिन्ह लगाना। मतदान के समय सहूलियत के अनुसार मतपत्रों पर हस्ताक्षर करके रख लें, लेकिन 50 मतपत्रों से अधिक मतपत्र हस्ताक्षरित न रहें। बाद में जरूरत के अनुसार ही हस्ताक्षर करें, ताकि हस्ताक्षरित मतपत्र मतदान समाप्ति पर कम से कम शेष रहें।

(viii.) यह सुनिश्चित करना कि मतदाता मतपत्रों को निर्धारित मतपेटी में डालें।

(ix.) पंच, सरपंच जिला परिषद् सदस्य और पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए मतदाता को जारी किये जाने वाले मतपत्र की क्रम संख्यांक निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, जो प्रत्येक चुनाव की पृथक्–पृथक् होगी, में मतदाता के नाम के सामने अंकित करना।

(x.) मतदान अधिकारी सहायक मतदान अधिकारियों के कार्य पर भी निगरानी रखेगा और यदि किसी सहायक मतदान अधिकारी के पास कार्य अधिक है और उसके कार्य निष्पादन की गति धीमी हो तो वह उसे आवश्यक मदद भी करेगा।

(xi.) राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन के नियम 24–क (परिशिष्ट–4 के अध्याय–4) में वर्णित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को मतदान बूथ से बाहर करेगा।

6. **सहायक मतदान अधिकारियों के कर्तव्यः–** पंच एवं सरपंच के चुनाव में 4 सहायक मतदान अधिकारी होगें। पंच व सरपंच चुनाव होने पर सहायक मतदान अधिकारियों के कर्त्तव्य निम्न प्रकार होगें।

1) **पहला सहायक मतदान अधिकारी (पहचान)।**

(i.) इसके पास कार्यकारी मतदाता सूची होगी और बॉल पैन होगा।

(ii.) वह मतदाता की पहचान के लिये उत्तरदायी होगा।

(iii.) सामान्यतः मतदाता किसी उम्मीदवार के खेमे से पहचान पर्ची लाता है उसके आधार पर यह अधिकारी मतदाता का नाम कार्यकारी प्रति में ढूंढता है। परन्तु यदि कोई मतदाता अपने साथ पहचान पर्ची नहीं लाये तो भी इस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह मतदाता का नाम ढूंढे और पर्ची नहीं होने के कारण मतदाता को लौटायें नहीं। पहचान पर्ची पर किसी उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह मुद्रित करना कानूनी अपराध है।

(iv.) राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पहचान हेतु दस्तावेज अधिसूचित (परिशिष्ट–22) किये हैं। अतः प्रथम सहायक मतदान अधिकारी मतदाता से मतदाता फोटो पहचान पत्र (Voter ID Card) तथा इसके उपलब्ध नही होने की स्थिति में उक्त अधिसूचित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहेगा, उसके आधार पर मतदाता की पहचान स्थापित करेगा। तत्पश्चात् यह अधिकारी प्रत्येक मतदाता की प्रविष्टियों को जोर से बोलेगा जिससे मतदान क्रम में बैठे सभी अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता सुन लें और वे मतदाता की पहचान को यदि चैलेन्ज करना चाहें तो कर सकें। किसी मतदाता की पहचान को इस सहायक मतदान अधिकारी के पास ही चैलेन्ज किया जा सकता है, उसके पश्चात् नहीं।

www.rajteachers.com

(v.) जो मतदाता अपनी पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से स्थापित कराये उनके संबंध में कार्यकारी मतदाता सूची में उनके नाम के पहले 'E' शब्द अंकित करें, और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पहचान कराने वाले मतदाताओं के नाम के पहले उक्त प्रकार का कोई अंकन नहीं करे। इस प्रकार मतदान की समाप्ति के बाद यह गणना करने में आसानी रहेगी कि कितने मतदाताओं ने फोटो पहचान पत्र से मत दिये हैं और कितनों ने अन्य दस्तावेजों के आधार पर स्थापित की गयी पहचान के बाद मत दिये हैं। पंच/सरपंच चुनाव के मतदान के संबंध में ऐसी सूचना Form of Statistics (परिशिष्ट–25) एवं पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट 23–B) में अंकित की जायेंगी।

(vi.) यह अधिकारी मतदाता सूची में उस मतदाता की पूरी प्रविष्टि को रेखांकित कर देगा व स्त्री मतदाता के नाम को टिक (√) कर देगा तथा मतदाता सूची में थर्ड जेण्डर के रूप में अंकित मतदाता की स्थिति में स्टार (*) का चिन्ह नाम के सामने अंकित कर देगा ताकि मतदान के अन्त में मतदान करने वाले स्त्री/पुरूषों एवं थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित मतदाताओं के आवश्यक आंकड़े एकत्रित किये जा सकें।

(vii.) प्रथम सहायक मतदान अधिकारी यह भी देखेगा कि मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान तो नहीं है। यदि स्याही का निशान है तो मतदाता को मतदान के लिए अनुमत नहीं किया जायेंगा, तथा मतदान केन्द्र से बाहर भेज दिया जायेंगा।

(viii.) मतदाता द्वारा यदि पहचान पर्ची नहीं लायी गयी है तो प्रथम सहायक मतदान अधिकारी सादा पर्ची पर मतदाता के वार्ड का क्रमांक व मतदाता क्रमांक लिख कर मतदाता को देगा। इस पर्ची या पहचान पर्ची को मतदाता दूसरे सहायक मतदान अधिकारी को और इसके बाद तीसरे सहायक मतदान अधिकारी को दे देगा।

2) **दूसरा सहायक मतदान अधिकारी (पंच मतपत्र)**:– इसके पास निम्नलिखित सामग्री एवं कार्य होगा।

(i.) चिन्हित मतदाता सूची (पंच)।

(ii.) पंच मतपत्र (पहले से मुड़े हुये)।

(iii.) बॉलपैन।

(iv.) यह सहायक मतदान अधिकारी (पंच मतपत्र) कहलायेंगा। पहले सहायक मतदान अधिकारी से प्राप्त पहचान पर्ची की सहायता से उस मतदाता के नाम को चिन्हित मतदाता सूची (पंच) में रेखांकित करेगा व यदि स्त्री मतदाता है तो उसे टिक (√) कर देगा तथा मतदाता सूची में थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित मतदाता की स्थिति में स्टार (*) का चिन्ह नाम के सामने अंकित कर देगा। साथ ही साथ पंच मतपत्र की संख्या के अन्तिम 3 अंक उसके नाम के आगे लिखेगा। उदाहरणार्थ यदि मतदाता को दिये जाने वाले मतपत्र की संख्या 1,00,331 हो तो केवल अंतिम 3 अंक यानी 331 ही लिखेगा लेकिन जहां मतपत्र क्रम संख्या में अंतिम तीन अंक शून्य हो तो वहां पूरी संख्या लिखी जायेगी। तत्पश्चात मुडे हुए मतपत्र को खोल कर मतदाता के दायें हाथ में देगा तथा पहचान पर्ची तीसरे सहायक मतदान अधिकारी को दे देगा।

3) **तीसरे सहायक मतदान अधिकारी (सरपंच मतपत्र)**:– तीसरे सहायक मतदान अधिकारी के पास निम्नांकित सामग्री एवं कार्य होगा।

(i.) चिन्हित मतदाता सूची (सरपंच)।

(ii.) सरपंच मतपत्र (पहले से मुड़े हुए)।

www.rajteachers.com

(iii.) बॉलपैन।

(iv.) यह सहायक मतदान अधिकारी ''सरपंच मतपत्र'' कहलायेगा। यह पहचान पर्ची की सहायता से उसी तरह से उस मतदाता के नाम को चिन्हित मतदाता सूची में रेखांकित कर देगा तथा स्त्री मतदाता के नाम को टिक (√) करेगा तथा मतदाता सूची में थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित मतदाता की स्थिति में स्टार (*) का चिन्ह नाम के सामने अंकित कर देगा। साथ ही साथ सरपंच मतपत्र के अंतिम 4 अंक उसके नाम के आगे लिखेगा। उदाहरणार्थ यदि मतदाता को दिये जाने वाले मतपत्र की संख्या 1,00,331 हो तो केवल अंतिम 4 अंक यानी 0331 ही लिखेगा, लेकिन जहां मतपत्र की क्रम संख्या में अंतिम तीन अंक शून्य हो तो वहां पूरी संख्या लिखी जायेगी। तत्पश्चात उसे पहले से ही मुड़े हुये मतपत्र को खोलकर मतदाता के दायें हाथ में दिया जायेंगा। इसके बाद पहचान पर्ची फाड दी जायेंगी ।

4) **चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारीः**– चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी पंच–सरपंच मतपेटी का प्रभारी होगा, इसके पास निम्नलिखित सामग्री एवं कार्य होगा।

(i.) अमिट स्याही की शीशी गीली रेत में रखी हुई।

(ii.) तीन ऐरोक्रास मार्कसील।

(iii.) एक बैंगनिया रंग का स्टाम्प पैड।

(iv.) सफेद कागज की शीट।

(v.) सीलबन्द मतपेटी (पंच, सरपंच दोनों के लिए एक) ज्योंही मतदाता अपने दायें हाथ में दूसरे एवं तीसरे सहायक मतदान अधिकारी से मिले पंच मतपत्र और सरपंच मतपत्र लेकर आये, तब चौथा मतदान अधिकारी उन्हें पहले अपने पास रख लेगा, तत्पश्चात उस मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी, (अंगूठे के पास वाली अंगुली) के नख के बिल्कुल ऊपर वाली कोमल चमड़ी पर अमिट स्याही का निशान इस तरह लगायेगा जिससे अमिट स्याही चमडी व नख पर फैल जाये। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अमिट स्याही लगाने का तरीका (परिशिष्ट–30) बताया गया है, जो इन निर्वाचनों में भी लागू रहेगा। स्त्री मतदाता के हाथ को न छुऐं, स्त्री मतदाता को अपनी अंगुली टेबिल पर रखने को कहें और उसके बाद निशान लगा दें। निशान लगाने के बाद दोनों मुड़े हुये मतपत्र (पंच एवं सरपंच) मतदाता के दायें हाथ में ही दें जिससे गलती से अमिट स्याही का निशान मतपत्र पर लगने की कोई संभावना नहीं रहें अन्यथा मतपत्र खराब हो जायेंगा।यदि मतदाता अमिट स्याही का निशान लगवाने से मना करे या उसके हाथ की अंगुली पर पहले से ही अमिट स्याही का निशान लगा हुआ हो तो उसे मतपत्र नही दिया जायें। ऐसे मतदाता को मतदान अधिकारी के सुपुर्द कर दें और आप अपने कार्य में लग जायें। साधारणतया ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि सबसे पहला सहायक मतदान अधिकारी मतदाता की अंगुली देख कर ही द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी के पास भेजेगा। चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी जब अमिट स्याही का निशान मतदाता की बायीं हाथ की तर्जनी के ऊपर लगायें तो उसे थोडा समय सूखने को भी देवें जिससे कि स्याही का निशान नहीं मिटे। पंच एवं सरपंच मतपत्रों को देने के साथ–साथ चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी ऐरोक्रास मार्क सील पर दोनों तरफ के क्रॉसों पर स्टाम्प पेड से स्याही लगाकर मतदाता को ऐरोक्रास सील भी देगा। यदि मतदाता मत अंकित करने की विधि समझना चाहे तो उसे सफेद कागज की शीट पर एक निशान

www.rajteachers.com

लगाकर भी समझा दें। मतदाता को यह जरूर बतायें कि वोटिंग कम्पार्टमेंट में से दोनों मतपत्रों पर मत अंकित कर अलग–अलग मोडकर लावें, जिससे उसका मत गुप्त रहे अर्थात् कोई अन्य नहीं देख पायें कि उसने किसको मत दिया है। मतदाता को यह समझायें कि मतपत्र पंच व सरपंच के लिए निर्धारित मतपेटी में ही डालें, और ऐरोक्रास सील वापस कर देवें।

(vi.) यह भी सुनिश्चित कर लें कि मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान उभर गया है। यदि स्याही का निशान उभरा हुआ नहीं पाया जायें तो स्याही का निशान पुनः लगा देवें।

(vii.) यदि प्रथम चरण में पंच–सरपंच चुनाव होने के उपरान्त दूसरे चरण में पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होता है तथा दोनो चरणों के मध्य अंतराल भी कम है तो पिछले चरण के चुनाव में बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का लगा हुआ निशान भी दृष्टव्य हो सकता है, अतः द्वितीय चरण में होने वाले चुनावों में बायीं तर्जनी के स्थान पर दायीं तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाया जायेंगा।

7. **पंचायत समिति व जिला परिषद् सदस्य का चुनाव होने पर सहायक मतदान अधिकारियों के कर्तव्यः–** पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य के चुनाव में 4 सहायक मतदान अधिकारी होंगे। सहायक मतदान अधिकारियों के कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे।

1) **पहला सहायक मतदान अधिकारी (पहचान)**।

(i.) इसके पास कार्यकारी मतदाता सूची होगी और बॉल पैन होगा।

(ii.) वह मतदाता की पहचान के लिये उत्तरदायी होगा।

(iii.) सामान्यतः मतदाता किसी उम्मीदवार के खेमे से पहचान पर्ची लाता है उसके आधार पर यह अधिकारी मतदाता का नाम कार्यकारी मतदाता सूची में ढूंढता है। परन्तु यदि कोई मतदाता अपने साथ पहचान पर्ची नहीं लाये तो भी इस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह मतदाता का नाम ढूंढे और पर्ची नहीं होने के कारण मतदाता को लौटायें नहीं। पहचान पर्ची पर किसी उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह मुद्रित करना कानूनी अपराध है।

(iv.) राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पहचान हेतु दस्तावेज अधिसूचित (परिशिष्ट–22) किये हैं। प्रथम सहायक मतदान अधिकारी मतदाता से मतदाता फोटो पहचान पत्र (Voter ID Card) तथा इसके उपलब्ध नही होने की स्थिति में उक्त अधिसूचित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहेगा और उसके आधार पर पहचान स्थापित करेगा और तत्पश्चात यह अधिकारी प्रत्येक मतदाता की प्रविष्टियों को जोर से बोलेगा जिससे मतदान कक्ष में बैठे सभी अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता सुन लें और वे मतदाता की पहचान को यदि चैलेन्ज करना चाहें तो कर सकें। इस सहायक मतदान अधिकारी के बाद उस मतदाता की पहचान को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता।

(v.) जो मतदाता अपनी पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से करायें उनके संबंध में कार्यकारी मतदाता सूची में उनके नाम के पहले 'E' शब्द अंकित करें, और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पहचान कराने वाले मतदाताओं के नाम के पहले उक्त प्रकार का कोई अंकन नहीं करें। इस प्रकार मतदान की समाप्ति के बाद यह गणना करने में आसानी रहेगी कि कितने मतदाताओं ने फोटो पहचान पत्र से मत दिये हैं और कितनों ने अन्य दस्तावेजों के आधार पर की गयी पहचान के बाद मत दिये हैं। यह सूचना जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य चुनाव की पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट 23–A) में अंकित की जायेगी।

www.rajteachers.com

(vi.) यह अधिकारी मतदाता सूची में उस मतदाता की पूरी प्रविष्टि को रेखांकित कर देगा व स्त्री मतदाता के नाम को टिक (√) कर देगा तथा मतदाता सूची में थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित मतदाता की स्थिति में स्टार (*) का चिन्ह नाम के सामने अंकित कर देगा ताकि मतदान के अन्त में मतदान करने वाले स्त्री/पुरूषों एवं थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित मतदाताओं के आवश्यक आंकड़े एकत्रित किये जा सकें।

(vii.) प्रथम सहायक मतदान अधिकारी यह भी देखेगा कि मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान तो नहीं है।

(viii.) मतदाता द्वारा यदि पहचान पर्ची नहीं लायी गयी है तो प्रथम सहायक मतदान अधिकारी सादा पर्ची पर मतदाता के वार्ड का क्रमांक व मतदाता क्रमांक लिख कर मतदाता को देगा। इस पर्ची या पहचान पर्ची को मतदाता दूसरे सहायक मतदान अधिकारी को और इसके बाद तीसरे सहायक मतदान अधिकारी को दे देगा।

2) **दूसरा सहायक मतदान अधिकारी (पंचायत समिति सदस्य मतपत्र)**:– इसके पास निम्नलिखित सामग्री एवं कार्य होगा।

(i.) चिन्हित मतदाता सूची (पंचायत समिति सदस्य)।

(ii.) पंचायत समिति सदस्य मतपत्र (पहले से मुड़े हुये)।

(iii.) बॉलपैन।

(iv.) यह सहायक मतदान अधिकारी पहचान पर्ची की सहायता से मतदाता सूची में मतदाता का नाम देखेगा। चिन्हित मतदाता सूची में मतदाता का नाम रेखांकित कर देगा यदि मतदाता स्त्री है तो उसके नाम पर टिक (√) लगायेगा तथा मतदाता सूची में थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित मतदाता के लिए स्टार (*) का चिन्ह नाम के आगे अंकित कर देगा। मतपत्र की संख्या के अंतिम 4 अंक (डिजिट) मतदाता सूची में मतदाता के नाम के आगे लिख देगा। उदाहरण के लिए मतपत्र की क्रम संख्या 10001 है तो केवल अंतिम 4 अंक, अर्थात् 0001 ही लिखेगा यदि इस चार अंक की संख्या में सभी शून्य हो तो पूरी संख्या लिखी जायेगी, जैसे क्रम संख्या 20000 हो तो पूरी संख्या 20000 लिखी जायेगी। मतपत्र की क्रम संख्या अंकित करने के बाद ही उक्त मतदान अधिकारी पहले से ही मुड़े मतपत्र को खोलकर उस मतदाता को दे देगा, व पहचान पर्ची तीसरे सहायक मतदान अधिकारी को दे देगा।

3) **तीसरा सहायक मतदान अधिकारी (जिला परिषद् सदस्य मतपत्र)**:– इसके पास निम्नलिखित सामग्री एवं कार्य होगा।

(i.) चिन्हित मतदाता सूची (जिला परिषद् सदस्य)।

(ii.) जिला परिषद् सदस्य मतपत्र (पहले से मुड़े हुये)।

(iii.) बॉलपैन।

(iv.) यह सहायक मतदान अधिकारी पहचान पर्ची की सहायता से मतदाता सूची में मतदाता का नाम देखेगा। चिन्हित मतदाता सूची में मतदाता का नाम रेखांकित कर देगा यदि मतदाता स्त्री है तो उसके नाम पर टिक (√) लगायेगा तथा मतदाता सूची में थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित मतदाता के लिए स्टार (*) का चिन्ह नाम के आगे अंकित कर देगा। मतपत्र की संख्या के अंतिम 4 अंक (डिजिट) मतदाता सूची में मतदाता के नाम के आगे लिख देगा। उदाहरण के लिए मतपत्र की क्रम संख्या 10001 है तो केवल अंतिम 4 अंक, अर्थात् 0001 ही लिखेगा यदि इस चार अंक की संख्या में सभी शून्य हो तो पूरी संख्या लिखी जायेगी, जैसे क्रम संख्या 20000 हो तो पूरी संख्या 20000 लिखी जायेगी। मतपत्र की क्रम संख्या अंकित करने के बाद ही उक्त मतदान अधिकारी पहले से ही मुड़े

www.rajteachers.com

मतपत्र को खोलकर उस मतदाता को दे देगा, व पहचान पर्ची मतदाता से लेकर फाड़ देगा।

4) **चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारीः–** इस अधिकारी के पास निम्नलिखित सामग्री होगी।

(i.) अमिट स्याही की शीशी

(ii.) तीन ऐरो क्रॉस मार्क सील।

(iii.) एक स्टाम्प पैड।

(iv.) एक सफेद कागज की सीट।

(v.) सीलबन्द मतपेटी।

ज्योंही मतदाता अपने हाथ में जिला परिषद् मतपत्र और पंचायत समिति मतपत्र लेकर आवें। तब चतुर्थ मतदान अधिकारी उन्हें पहले अपने पास रख लेगा, तत्पश्चात उस मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी, (अंगूठे के पास वाली अंगुली) के नख के बिल्कुल ऊपर वाले कोमल चमड़ी पर अमिट स्याही का निशान इस तरह लगायेगा जिससे अमिट स्याही चमडी व नख पर फैल जाये। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अमिट स्याही लगाने का तरीका (परिशिष्ट–30) बताया गया है, जो इन निर्वाचनों में भी लागू है। स्त्री मतदाता के हाथ को न छुऐं, स्त्री मतदाता को अपनी अंगुली टेबिल पर रखने को कहें और उसके बाद निशान लगा दें। निशान लगाने के बाद दोनों मुड़े हुये मतपत्र मतदाता के दायें हाथ में ही दें जिससे गलती से अमिट स्याही का निशान मतपत्र पर लगने की संभावना नहीं रहें और मतपत्र खराब न हो जायें। यदि मतदाता अमिट स्याही का निशान लगवाने से मना करे या उसके हाथ की अंगुली पर पहले से ही अमिट स्याही का निशान लगा हुआ हो तो उसे मतपत्र नही दिया जायें। ऐसे मतदाता को मतदान अधिकारी के सुपुर्द कर दें और आप अपने कार्य में लग जायें। साधारणतया ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि सबसे पहला सहायक मतदान अधिकारी मतदाता की अंगुली देख कर ही द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी के पास भेजेगा। चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी जब अमिट स्याही का निशान मतदाता की बायीं हाथ की तर्जनी के ऊपर लगायें तो उसे थोडा समय सूखने को भी देवें जिससे कि स्याही का निशान मिटे नहीं। मतपत्रों को देने के साथ–साथ चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी ऐरोक्रास मार्कसील पर दोनों तरफ के क्रॉसों पर स्टाम्प पेड से स्याही लगाकर मतदाता को ऐरोक्रास सील भी देगा। यदि मतदाता मत अंकित करने की विधि समझना चाहे तो उसे सफेद कागज की शीट पर एक निशान लगाकर भी समझा दें। मतदाता को यह जरूर बतायें कि वोटिंग कम्पार्टमेंट में से दोनों मतपत्रों पर मत अंकित कर अलग–अलग मोडकर लायें, जिससे उसका मत गुप्त रहें व कोई अन्य यह नही देख पाये कि मतदाता ने किसको मत दिया है। मतदाता को यह समझावें कि मतपत्र निर्धारित मतपेटी में ही डाले, और ऐरोक्रास सील वापस कर देवें।

(vi.) यह भी सुनिश्चित कर लें कि मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान उभर गया है। यदि स्याही का निशान उभरा हुआ नहीं पाया जायें तो स्याही का निशान पुनः लगा देवें।

(vii.) यदि प्रथम चरण में पंच–सरपंच चुनाव होने के उपरान्त दूसरे चरण में पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होता है तथा दोनो चरणों के मध्य अंतराल भी कम है तो पिछले चरण के चुनाव में बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का लगा हुआ निशान दृष्टव्य भी हो सकता है, इसलिये द्वितीय चरण में होने वाले चुनावों में बांयी तर्जनी के स्थान पर दांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाया जायेंगा।

www.rajteachers.com

अध्याय–4

मतदान सामग्री

1. **मतदान सामग्री को प्राप्त करना**:– पंच, सरपंच अथवा जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये के लिये आवश्यक मतदान सामग्री की सूची परिशिष्ट–7 पर संलग्न है। यह सामग्री लोहे की पेटी में या थैले में मिलेगी। यह सुनिश्चित कर लें कि आपको दिया गया सामान निर्धारित सूची के अनुरूप है। पंच, सरपंच चुनाव से संबंधित मतदान सामग्री जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करवाई जायेगी, तथा मतदान बूथ पर चुनाव सामग्री संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान दल को उपलब्ध करवाई जायेगी। पंचायत समिति/जिला परिषद् चुनावों के लिये मतदान सामग्री जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से मतदान अधिकारी को प्राप्त करनी होगी।
2. **मुख्य–मुख्य सामग्री**:– निम्नांकित विशेष मतदान सामग्री आप सावधानी से संभाल लें क्योंकि ये वस्तुयें मतदान के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और आपकी थोडी भी लापरवाही आपके मतदान में बाधा खड़ी कर सकती हैं।

(i.) **मतपेटियां**:– आपको मिली मतपेटियों की संख्या का मिलान कर लें। एक–एक मतपेटी को खोलकर जांच लेवें तथा वापिस बन्द कर देवें।

(ii.) **मतदाता सूचियां**:– आपको पंच, सरपंच का चुनाव होने की स्थिति में पंच, सरपंच चुनाव से संबंधित मतदाता सूचियां प्राप्त होगी। आपको वार्ड से संबंधित तीन कार्यकारी प्रतियां मिलेगी। आप यह देख लें कि आपको मिली प्रत्येक मतदाता सूचियां, पूर्ण, एक जैसी तथा प्रमाणित है। यह भी देख लें कि इस सूची में पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित सभी वार्डो की मुद्रित मतदाता सूचियां संशोधन सूचियों सहित सम्मिलित कर ली गई हैं।

इसी प्रकार जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव होने की स्थिति में जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मतदाता सूचियां प्राप्त होगी। आपको वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित तीन कार्यकारी प्रतियां मिलेगी। आप यह देख लें कि आपको मिली मतदाता सूचियां आपके बूथ पर जिस जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान होगा, उसी के लिए है। प्रत्येक सूची पूर्ण, एक जैसी तथा प्रमाणित है। यह भी देख लें कि इस सूची में पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित सभी वार्डो/निर्वाचन क्षेत्रों की मुद्रित मतदाता सूचियां संशोधन सूचियों सहित सम्मिलित कर ली गई हैं।

(iii.) **मतपत्र** :– यदि आप पंच, सरपंच के चुनाव सम्पन्न करा रहें है तो आपको पंच एवं सरपंच पद से संबंधित मतपत्र जिला निर्वाचन अधिकारी से छपें हुये (Printed) प्राप्त होगें। पंच पद के लिये मतपत्र गुलाबी रंग में तथा सरपंच पद के लिये मतपत्र सफेद रंग में होंगे। इन मतपत्रों पर मतपत्र क्रमांक अंकित होगा। चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों का नाम (प्ररूप–5 चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार) इन मतपत्रों पर उनके चुनाव चिन्ह् सहित छपा हुआ होगा। इन मतपत्रों में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) तथा इसके लिए निर्धारित प्रतीक चिन्ह् अंकित होगा। इनकी संख्या प्रत्येक मतदान बूथ के कुल मतदाताओं की संख्या को 10 में राउण्ड कर मतदान अधिकारी को दी जायेगी उदाहरणार्थ यदि मतदान बूथ पर उक्त संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या 512 है, तो 520 मतपत्र दिये जायेंगे।

(iv.) यदि आप जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव सम्पन्न करा रहें है तो आपको जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य पद से संबंधित

www.rajteachers.com

मतपत्र जो कि पहले से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा छपायें हुये होगें, प्राप्त होगें। जिला परिषद् सदस्य पद के लिये मतपत्र पीले रंग में तथा पंचायत समिति सदस्य पद के लिये मतपत्र नीले रंग में होगें। इन मतपत्रों पर मतपत्र क्रमांक अंकित होगा। चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों का नाम (प्ररूप–5 चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार) अपने चुनाव चिन्ह् सहित छपा हुआ होगा। इन मतपत्रों में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा का विकल्प नोटा (इनमें से कोई नहीं) तथा इसके लिए निर्धारित प्रतीक चिन्ह् अंकित होगा। इनकी संख्या प्रत्येक मतदान बूथ के कुल मतदाताओं की संख्या को 10 में राउण्ड कर मतदान अधिकारी को दी जायेगी उदाहरणार्थ यदि मतदान बूथ पर उक्त संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या 512 है, तो 520 मतपत्र दिये जायेंगे।

(v.) **स्टाम्प पैड** :–ये पैड बैंगनियां रंग (Purple) का मिलेगा।

(vi.) **अमिट स्याही की शीशी**:– आपको प्रत्येक मतदान बूथ पर अमिट स्याही की शीशी मिलेगी।

(vii.) **सुभिन्नकारी रबड़ सील**:– प्रत्येक मतपत्र की पीठ पर उसके दायीं तरफ सबसे ऊपरी भाग पर लगाने वाली सुभिन्नकारी रबड सील जिस पर अंकित होगा ''पं.रा. स.'' मिलेगी।

(viii.) **एरोक्रॉस मार्क रबड सील**:– आपको ऐरोक्रॉस मार्क रबड़ सीलें मिलेगी उनमें दोनों तरफ रबड़ चिपका हुआ है।

www.rajteachers.com

अध्याय–5

मतदान प्रक्रिया एवं मतदान समाप्ति पर की जाने वाली तैयारी

1. **मतपत्र को मोड़नाः–** मत–पत्र ऐसे ढंग से मोड़े जायेंगे ताकि एक अभ्यर्थी के वोट का इम्प्रेशन दूसरे अभ्यर्थी के खाने मे ना आये। पहला मोड़ खड़ा (Vertical) होगा जिससे चुनाव चिन्ह उम्मीदवार के नाम पर आ जायें व मोड़े हुए मतपत्र की चौड़ाई दो इन्च हो जायें। दूसरा मोड आड़ा (Horizontal) होगा। यह इस तरह होगा कि सुभिन्नकारी चिन्ह (पं.रा.स.) आपको बाहर दिखता रहे। मोड़ सीधे होने चाहिए जिससे मतपत्र को मतपेटी के सुराख में आसानी से डाला जा सके। ऐसा करने से मतदाता मतदान कक्ष में मतपत्र उसी तरह मोड़ कर लायेगा जिससे मत की गोपनियता बनी रहेगी ।
2. **मतदान कर्मियों के बैठने की व्यवस्थाः–** पंच/सरपंच या जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य के चुनाव होने की स्थिति में प्रथम तीन सहायक मतदान अधिकारी मतदान बूथ के अन्दर जाने वाले दरवाजें से सटे हुए बैठेंगे और चतुर्थ सहायक मतदान अधिकारी अन्दर दूसरी साइड में मतपेटी के पास बैठेगा। मतदान बूथ के कक्ष के आकार व उसकी स्थिति को देखते हुये मतदान बूथ के अन्दर की व्यवस्था सुव्यवस्थित किया जाना आवश्यक है, ताकि मतदाताओं की भीड़ अन्दर नहीं रहे। पंच–सरपंच चुनाव होने या पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य का चुनाव होने पर मतदान बूथ का मॉडल परिशिष्ट 11 पर बताया गया है।
3. **मतपत्र का अधिप्रमाणनः–** मतपत्र की पीठ पर दॉयीं तरफ सबसे ऊपर सुभिन्नकारी चिन्ह लगाना न भूलें। साथ ही मतपत्र की पीठ पर संबंधित मतदान अधिकारी अर्थात् पंच के लिये मतदान अधिकारी (पंच), सरपंच के लिये मतदान अधिकारी (सरपंच), पंचायत समिति सदस्य के लिये मतदान अधिकारी (पंचायत समिति सदस्य) एवं जिला परिषद् सदस्य के लिये मतदान अधिकारी (जिला परिषद् सदस्य) के पूरे हस्ताक्षर होंगे।
4. **मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति एवं बैठने की व्यवस्थाः–** पंच पद के लिये चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी कोई मतदान अभिकर्त्ता नियुक्त नहीं कर सकते। सरपंच पद का उम्मीदवार प्रत्येक बूथ के लिये एक–एक मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। पंच, सरपंच पद के चुनाव में मतदान बूथ पर केवल पंच पद का अभ्यर्थी तथा सरपंच पद का अभ्यर्थी अथवा नियुक्त मतदान अभिकर्ता मतदान बूथ पर बैठ सकता है।

   जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य में भी अभ्यर्थी एक मतदान बूथ पर नियम 69 (1)(परिशिष्ट 4) के अन्तर्गत एक मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन का अभ्यर्थी एक निर्वाचन अभिकर्ता भी नियुक्त कर सकता है। जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव में मतदान बूथ पर अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता मतदान बूथ पर बैठ अथवा प्रवेश कर सकता है। उपरोक्त अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति नियम 24 (2) (घ) (परिशिष्ट 4) के अन्तर्गत बिना आपकी इजाजत के मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सकता है।
5. **मत देने का अधिकारः–** राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18–ग (परिशिष्ट–3) के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वह वोट देने का हकदार है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक वार्डों में या निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज है तो वह पंचों के चुनाव में केवल एक ही वार्ड से तथा सरपंच चुनाव में केवल एक पंचायत के केवल एक ही वार्ड से, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में एक ही निर्वाचन क्षेत्र से और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र से अर्थात् प्रत्येक चुनाव में एक–एक बार ही अपना वोट दे सकेगा और यदि किसी भी चुनाव में वह एक से अधिक वोट देता है तो उस चुनाव में उसके सभी वोट निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी जेल या पुलिस अभिरक्षा में है तो वह व्यक्ति वोट नहीं दे सकेगा।

www.rajteachers.com

6. **मतदाता की पहचान हेतु दस्तावेजः–** राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता की पहचान हेतु कुछ दस्तावेज अधिसूचित (परिशिष्ट–22) किये हैं, मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत करना होगा और इसे प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में विहित किये गये वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज उसे अपनी पहचान स्थापित करने हेतु प्रस्तुत करना होगा।
7. **मतदान की गोपनीयताः–** मतदान बूथ में कोई उम्मीदवार या उसका अभिकर्त्ता मतदाता को दिये गये मतपत्र का नम्बर नियम 39 (3)(परिशिष्ट 4) के अन्तर्गत नोट नहीं कर सकता।
8. **निर्वाचन अपराध एवं मतदान प्रक्रिया सम्बन्धी नियमः–** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्वाचन संबंधी अपराधों के प्रावधान परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है तथा राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 1994 परिशिष्ठ–4 में नियम 23 से 48–ख तक मतदान संबंधी प्रक्रिया बतायी हुई है, जिनका अच्छी तरह से अध्ययन करना आवश्यक है।
9. **मतपेटियों को तैयार करना :–** मतदान अधिकारी मतदान प्रारम्भ करने के लगभग 15 मिनट पूर्व मतदान बूथ पर उपस्थित उम्मीदवारों के समक्ष मतपेटियों के खाली होने का प्रदर्शन करने के उपरान्त मतपेटी तैयार करेगा। पेपर सील पर अपने पूरे हस्ताक्षर करेगा व उपस्थित उम्मीदवार/अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर (जो इच्छुक हों) भी करवायेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा (परिशिष्ट–21) को अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया जायेंगा एवं हस्ताक्षर कराये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता उपस्थित न हो या हस्ताक्षर नहीं करना चाहे तो भी मतपेटी निर्धारित समय पर ही तैयार की जायेंगी। मतपेटी की विन्डों से देखते हुये पेपर सील के भाग पर शब्द, ''पं.रा.सं.'' अंकित किये जायेंगे। तत्पश्चात विन्डो कवर व स्लिट कवर को तार से बांध दिया जायेंगा। साथ ही साथ डोरे से भी दोनों को बांधे जाकर सील कर दिया जायेंगा।
10. **पेपर–सील लगानाः–** मतपेटी को सील करने के लिये पिंक पेपर सील भी लगायी जायेगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पिंक पेपर सील पर क्रम संख्यांक भी होंगे। पिंक पेपर सील की लम्बाई 10'' है, जिसे कार्ड बोर्ड के टुकडे का उपयोग करते हुये मतपेटी पर लगाना है।
11. **मतपेटियों पर लेबल लगाना एवं क्रमांक डालना :–** मतपेटियों के बाहर लेबल भी लगाया जायेंगा जिससे कि मतपेटियों की पहचान स्पष्ट हो सके। पंच व सरपंच मतपेटी पर सफेद रंग का एवं पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् के सदस्य वाली मतपेटी पर लाल रंग का लेबल चिपकाया जायेंगा, लेबल का प्रारूप परिशिष्ट–28 पर संलग्न है।

    यदि पंच/सरपंच चुनाव में बूथ पर 1 मतपेटी काम में आती है तो मतपेटी की क्रम संख्या 1/1 लिखी जायेगी। यदि दो मतपेटियां काम में आती हैं तो प्रथम मतपेटी पर 1/2, द्वितीय मतपेटी पर 2/2 अंकित किया जायेंगा। दो से अधिक मतपेटियॉ उपयोग में आने पर इसी प्रकार क्रम संख्या अंकित की जायेगी। जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य चुनाव की मतपेटियों की क्रम संख्या भी उपरोक्त प्रकार से ही अंकित की जायेगी।
12. **व्यक्तिशः मतदान एवं डाक मतपत्रः–** अब तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में चुनाव ड्यूटी के स्टाफ को डाक द्वारा मत देने के लिये नियमों में प्रावधान नहीं था, जबकि लोकसभा/विधानसभा/ नगरपालिका चुनावों में डाक मतपत्र/EDC का प्रावधान हैं। अब नियम 35 में संशोधन कर पंचायती राज संस्थाओं के लिये भी डाक मतपत्र के प्रावधान किये गये है। आयोग द्वारा विहित रीति से चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारी डाक द्वारा मत दे सकता है, परन्तु चुनाव कर्त्तव्य प्रमाण–पत्र (EDC) का प्रावधान नहीं हैं।

    पंचायत समिति एवं जिला परिषद् चुनाव में ड्यूटी स्टॉफ के लिये डाक द्वारा मत देना संभव है, जिसके लिये आयोग ने डाक द्वारा मत दिये जाने का प्रावधान किया हैं। चुनाव ड्यूटी पर लगा कोई मतदाता डाक द्वारा मत देने के लिये आवेदन प्ररूप–1 (परिशिष्ट–5) में कर सकता है ।

www.rajteachers.com

13. **पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा :–** मतदान आरम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ताओं और अभ्यर्थियों के समक्ष मतपेटी के खाली होने की घोषणा की जायेंगी, एवं मतपेटी की सुरक्षा के लिए लगी पेपर सील पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जायेंगा। यदि नई मतपेटी काम में ली जाती है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा पुनः मतपेटी के खाली होने की घोषणा की जायेगी। मतदान समाप्ति पर भी मतपेटी को मोहर बंद करने के संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा (परिशिष्ट–21 के अनुसार) की जायेंगी।
14. **अवचार के लिए मतदान केन्द्र से हटाया जाना (नियम 45):–** यदि कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र पर अवचार करता है या रिटर्निंग अधिकारी, या मतदान अधिकारी या किसी सहायक मतदान अधिकारी के विधिपूर्ण आदेशों का पालन नहीं करता है तो रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी ऐसे व्यक्ति को मतदान केन्द्र से बाहर कर देगा और ऐसा हटाया गया व्यक्ति मतदान केन्द्र के अन्दर पुनः नहीं आ पायेगा। लेकिन, ऐसे व्यक्ति को मत डालने के अधिकार, से निवारित करने के प्रयोजनार्थ ऐसा नहीं किया जाये।
15. **दिव्यांग व दृष्टिबाधित मतदाताओं की सहायता:–** मतदान अधिकारी नियम 41 (परिशिष्ट–4) के प्रावधानों के अनुसार दृष्टिबाधित, व दिव्यांग मतदाताओं को उनके निवेदन पर मत कक्ष में जाकर उनकी इच्छानुसार मत अंकित कर मतपेटी में डाल देंगे। ऐसे मतदाताओं के विवरण लिखने हेतु कोई फार्म निर्धारित नहीं है, लेकिन नियमानुसार आप मतदाता सूची में उस मतदाता के नाम के सामने दो अक्षर ''AA'' लिख दें।
16. **निविदत्त (Tender) मतपत्र व निविदत्त मतपत्रों की सूची।**
    1) यदि सही मतदाता की जगह फर्जी मतदाता मत देकर चला जाये और सही मतदाता बाद में आये तो नियम 44 (परिशिष्ट–4) के अन्तर्गत उसे निविदत्त (टेण्डर) मतपत्र दिया जायेंगा और उसे मतदान करने का अवसर दिया जायेंगा। यह मतपत्र वही साधारण मतपत्र होगा, लेकिन अन्तर केवल इतना ही होगा कि–
        (i) इस मतपत्र की पीठ पर स्वयं मतदान अधिकारी द्वारा शब्द ''निविदत्त मतपत्र'' लिखा जाकर नीचे हस्ताक्षर किये जायेंगे।
        (ii) यह मतपत्र प्रयोग में लिये जा रहे सरपंच तथा पंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद् सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, के मतपत्रों में सबसे अंतिम क्रमांक से शुरू होगा।
        (iii) मतदाता मत कक्ष (वोटिंग कम्पार्टमेन्ट) में जाकर मत अंकित कर मतदान अधिकारी को दे देगा, मतपेटी में नहीं डालेगा।
        (iv) निविदत्त मत की स्थिति में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य, चारों ही निर्वाचनों के लिये अलग–अलग प्ररूप–6 (परिशिष्ट–9) भरे जायेंगे। प्ररूप–6 में निर्धारित प्रविष्टियां अंकित की जायेंगी। इन प्रविष्टियों के अनुरूप निविदत्त मत की क्रम संख्या कॉलम–4 में इस व्यक्ति से पूर्व जो इसके स्थान पर मत दे चुका है, के मतपत्र का क्रम संख्या कॉलम संख्या–5 तथा निविदत्त मत देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी कॉलम संख्य–6 में लिये जायेंगें।
        (v) इसके साथ ही चिन्हित मतदाता सूचियों में संबंधित मतदाता के नाम की प्रविष्टि के आगे ''TEND'' लिख दिया जायेंगा, जिससे मालूम पड़ जाये कि किसने टेण्डर मतपत्र द्वारा वोट दिया है।
        (vi) निविदत्त मतपत्र न तो मतपेटी में रखे जायेंगे और न ही गिने जायेंगे। निविदत्त मतपत्रों को पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के लिए

www.rajteachers.com

क्रमशः अलग–अलग लिफाफे P-16, P-17, P-18 एवं P-19 में रखा जायेंगा। इस प्रकार मतदान केन्द्र पर निविदत्त मतपत्र सूची मय निविदत्त मतपत्रों के चार लिफाफे तैयार होंगे जो सीलबंद भी होंगे।

17. **खराब एवं रद्द मतपत्र** (Spoil and cancelled ballot papers) :– राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 42 (परिशिष्ट–4 के अध्याय–4) के अन्तर्गत यदि किसी मतदाता का मतपत्र त्रुटिवश खराब हो जाये तो उसे दूसरा मतपत्र दे दिया जायें। चिन्हित मतदाता सूची में संबंधित प्रविष्टि के आगे दोनों मतपत्रों के नम्बर भी लिखे जायेंगे, अर्थात् मतदाता को जो पहले मतपत्र दिया गया था उसका नम्बर भी रहेगा और मतपत्र के खराब हो जाने पर दूसरा मतपत्र दिया गया है वे नम्बर भी अंकित किये जायेंगे। खराब मतपत्र की पीठ पर शब्द ''खराब–रद्द'' लिखकर निर्धारित लिफाफे में रख दें। यह कार्य स्वयं मतदान अधिकारी द्वारा किया जायेंगा। यह ध्यान रखें कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन के लिये ऐसे ''खराब–रद्द'' मतपत्र पृथक्–पृथक् लिफाफों क्रमशः P-12, P-13, P-14 एवं P-15 में रखे जायेंगे। इस प्रकार एक मतदान केन्द्र पर चार प्रकार के ''खराब–रद्द'' मतपत्रों के लिफाफे बनेंगे जो सीलबंद भी होंगे।

18. **लौटाये गये–निरस्त किये गये मतपत्र** :(Returned and cancelled ballot papers):– राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 43 में यह प्रावधान थे कि मतपत्र लेने के बाद कोई मतदाता मत अंकित नहीं करना चाहे तो उसे वापस ले लिया जायेंगा और उसकी पीठ पर शब्द ''लौटाया– निरस्त'' लिखकर निर्धारित लिफाफे में बन्द कर दिया जायेंगा। किन्तु अब इस प्रकार की कोई कार्यवाही मतदान केन्द्र पर नही की जायेगी क्योंकि अधिसूचना संख्या 1531 दिनांक 12.11.14 द्वारा नियम 43 को विलोपित कर दिया गया है व इसके स्थान पर नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प मतपत्र पर उपलब्ध करवाया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित मतदाता इस विकल्प का उपयोग कर सकता है।

19. **मतदाता की पहचान को आक्षेपित** (Challange) **करना**:– पंचायत चुनावों में न तो कोई चैलेंज लिस्ट बनेगी और न ही कोई चैलेंज फीस होगी। मतदान बूथ में मतदाता की पहचान हेतु राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना (परिशिष्ट–22) द्वारा दस्तावेज अधिसूचित किये हैं। यदि वह व्यक्ति आयोग द्वारा अधिसूचित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज अपनी पहचान हेतु नही दिखाता है और मतदान अधिकारी द्वारा या सहायक मतदान अधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जायेंगा। मतदाता सूची में प्रिन्टिंग की गलती के कारण मतदाता को मतदान के लिये मना नहीं किया जायें। यदि मतदाता की पहचान स्थापित हो जायें तो उसे मत देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उसकी मतदाता के रूप में अयोग्यता के बारे में कोई ऐतराज नहीं उठाया जा सकता। उदाहरण के लिये यह नहीं कहा जा सकता है कि मतदाता पंचायत क्षेत्र का निवासी नहीं है या उसकी उम्र 18 साल के कम है। मतदाता की अपात्रता संबंधी आपत्तियों पर मतदान अधिकारी नियम 37 के अन्तर्गत जांच नहीं कर सकता।

20. **अल्प आयु के प्रतीत होने वाले मतदाताओं से घोषणा प्राप्त करना**:–
    1) जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह कानूनन वोट देने का अधिकार रखता है किन्तु ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसकी आयु आप बहुत ही अल्प समझते हैं तो उसके दावे के प्रति आपका निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के सन्दर्भ में साफ–साफ समाधान हो जाना चाहिये। यदि आपको प्रथम दृष्ट्या उसकी पहचान और उसके नाम के निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के बारे में समाधान है किन्तु उसे न्यूनतम आयु से कम का मानते हैं तो आप उस निर्वाचक से, जनवरी के प्रथम दिन जिसके सन्दर्भ से निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई है उसकी आयु के सम्बन्ध में एक घोषणा परिशिष्ट 13 में लेंगे। आप ऐसे निर्वाचक की घोषणा अभिप्राप्त करने से पूर्व उसे मिथ्या

www.rajteachers.com

घोषणा के लिये राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 18–क (परिशिष्ट–3) में विहित दण्डनीय प्रावधानों से अवगत करा दें।

2) आप ऐसे अल्प आयु मतदाताओं की सूची परिशिष्ट–14 में तैयार करें जिनसे आपने परिशिष्ट 13 में ऐसी घोषणाएं अभिप्राप्त की है। आपको उक्त परिशिष्ट 14 के भाग II में उन मतदाताओं की जिन्होंने उपरोक्त घोषणा करने से इन्कार कर दिया हो और बिना मतदान किये चले गये है, की एक सूची भी तैयार करनी चाहिये। मतदान की समाप्ति के पश्चात् पंच–सरपंच चुनाव के लिये उपरोक्त उल्लिखित सूची और घोषणाएं लिफाफा नं P-1 तथा पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य चुनाव के लिये लिफाफा संख्या P–39 तैयार करने हैं, जिन्हें सील नहीं किया जायें।

21. **मतदाताओं के प्रवेश को विनियमित करना – दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को मतदान के लिये प्राथमिकताः–** महिलाओं एवं पुरूष मतदाताओं की पृथक–पृथक पंक्तियां होनी चाहिये। एक बार में तीन या चार मतदाताओं को ही मतदान बूथ में महिला व पुरूष मतदाताओं की पंक्ति में से आने दें। दिव्यांगों, बुजुर्गो एवं महिलाओं जिनके गोद में बच्चा हो, उन्हें पंक्ति में खड़े अन्य मतदाताओं से पहले प्रवेश की सुविधा दें। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान बूथ मे प्रवेश करने के लिए आवश्यक सहयोग भी करना चाहिए। दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में प्राथमिकता देने के आशय के प्लेकार्ड सहज दृश्य स्थान पर लगायें।

22. **मतदान समाप्तिः–** लोकसभा/विधानसभा/नगरपालिका चुनावों की तरह मतदान की समाप्ति के लिये निर्धारित समय पर मतदान अधिकारी बाहर आकर जितने मतदाता पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति के अन्तिम व्यक्ति से क्रम संख्या 1 से शुरू करते हुये उन्हें अपनी हस्ताक्षरित पर्ची दे दें, जिससे मतदान समाप्ति के लिए नियत समय पूर्व पंक्ति में लगे मतदाता मतदान के लिये निर्धारित समय के बाद मतदान कर सकें तथा अन्य कोई मतदाता निर्धारित समय पश्चात् पंक्ति में शामिल न हो सके।

23. **मतपेटियों को सील करना :–** पंच, सरपंच वाली मतपेटी में मतों की गणना मतदान की समाप्ति के तुरन्त बाद उसी दिन पंचायत मुख्यालय पर होगी, अतः पंच/सरपंच वाली मतपेटी पर टेप या डोरी बांधने की जरूरत नहीं है और उसे थैले में भी बन्द करने की जरूरत नहीं है।

जिला परिषद् व पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन वाली मतपेटी पर टेप और डोरी बांधने की और उसे कपड़े की थैली में भी सील करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिला परिषद् व पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन की मतपेटी जिला मुख्यालय पर मतगणना के लिये पहुंचायी जायेगी और उसकी मतगणना भी बाद में होगी। पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन के अभ्यर्थियों व उनके मतदान अभिकर्ताओं में से इन पर कोई अपनी सील लगाना चाहे और दस्तखत करना चाहे तो उसे भी इजाजत दी जायें।

24. **पीठासीन अधिकारी की डायरी तैयार करनाः–** जब कभी आकस्मिक (Unexpected) या अप्रत्याशित घटना घटें, तथा जिसका विवरण पीठासीन अधिकारी की डायरी में अंकित करना आवश्यक हो तो आपको तत्समय उसका विवरण पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट–23–A) में लिख लेना चाहियें। जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव एक साथ होने पर पीठासीन अधिकारी की एक ही डायरी होगी। जिसमें दोनों चुनावों से संबंधित घटनाऐं अंकित करनी होगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित समय पर डाले गये मतों की संख्या एवं चुनाव समाप्ति पर मतपत्र, पेपर सील, निर्वाचकों की संख्या का वर्गीकरण लिंग के आधार पर तथा पहचान पत्र के आधार पर, निविदत्त मतपत्र, अंधे या शिथिलांग मतदाता, मतदान अभिकर्ता एवं अन्य सूचनाऐं भी पीठासीन अधिकारी की डायरी में अंकित करनी होगी।

इसी प्रकार पंच/सरपंच के चुनाव के लिये पीठासीन अधिकारी(परिशिष्ट–23–B) की अलग डायरी होगी।

www.rajteachers.com

पेपर सीलों का लेखा (परिशिष्ट–24) भी तैयार किया जायेंगा। जिसमें किस मतपेटी पर किस क्रम संख्या की पेपर सील लगाई गई है एवं कौनसी पेपर सील खराब तथा वापिस लौटाई गई है, का भी विवरण अंकित करना होगा।

25. **मतपत्रों का लेखाः–** मतपत्रों का लेखा (परिशिष्ट–26) में मतपत्रों का विवरण तैयार किया जायेंगा तथा Form of Statistics (परिशिष्ट–25) भी तैयार किया जायेंगा , जिसमें नामनिर्देशन, मतपत्र, निर्वाचकों की संख्या का वर्गीकरण तथा मतगणना संबंधित विवरण अंकित किया जायेंगा। सुसंगत पैरों में इनका ब्यौरा अवश्य देना है।

जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन में मतगणना, मतदान के दिन नहीं होगी और न ही पंचायत मुख्यालय पर होगी अपितु मतदान के कुछ दिन बाद जिला मुख्यालय पर होगी। ऐसी स्थिति में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के मतपत्रों का हिसाब अलग से रखा जायेंगा जिसके लिये मतपत्रों का लेखा (परिशिष्ट–26) बूथवार मतदान अधिकारी द्वारा तैयार किया जायेंगा। जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव का मतपत्र लेखा अलग–अलग तैयार किया जायेंगा। पंचायत समिति सदस्य का मतपत्र लेखा लिफाफा P–30 में व जिला परिषद् सदस्य चुनाव का मतपत्र लेखा लिफाफा P–31 में रखा जायेंगा जिसे सील नहीं करना हैं।

26. **मतदान समाप्ति के बाद मतदान केन्द्रवार कागज पत्रों की तैयारीः–** मतदान की समाप्ति पर मतदान अधिकारी को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सकें वह कागज पत्रों और लिफाफों को तैयार कर लेवें।

   1) **मतदान अधिकारी द्वारा पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के चुनाव से संबंधित निम्न सीलबन्द लिफाफे तैयार किये जायेंगेः–** नियम 47 के उप नियम (1) के खण्ड (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत मतदान अधिकारी द्वारा पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के चुनाव से संबंधित अलग–अलग चार–चार सीलबन्द लिफाफे तैयार किये जायेंगे। जिला परिषद् सदस्य चुनाव से संबंधित लिफाफा सं. P-25 में अप्रयुक्त मतपत्र, P-27 में चिन्हित् मतदाता सूची, P-15 में खराब व रद्द मतपत्र तथा P-19 में निविदत्त मतपत्र एवं सूची रखी जायेंगी । इसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य चुनाव से संबंधित लिफाफा सं. P-24 में अप्रयुक्त मतपत्र, P-26 में चिन्हित् मतदाता सूची, P-14 में खराब व रद्द मतपत्र तथा P-18 में निविदत्त मतपत्र एवं सूची रखी जायेंगी तथा इन लिफाफों को सील बन्द किया जायेंगा। जिला परिषद् व पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन से संबंधित उक्त लिफाफे मतदान समाप्ति के बाद मतपेटियों के साथ–साथ ही अलग से जिला मुख्यालय पर पहुंचाये जाने की व्यवस्था होगी। जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचनों से संबंधित समस्त प्रकार के लिफाफों को पृथक् ही रखा जायें उन्हें पंच व सरपंच से संबंधित लिफाफों एवं कागजात में शामिल (Mix) नहीं किया जायें।

   2) **मतदान अधिकारी द्वारा पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित लिफाफे तैयार किये जायेंगे (जिन्हें सील नहीं करना हैं)।**

      (i) महिला–पुरूष व अन्य वर्गवार मतदाताओं के सांख्यिकीय आंकड़ो के लिए लिफाफा संख्या P–2, जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य दोनों के लिए एक ही तैयार किया जायेंगा।

      (ii) जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव से संबंधित मतपत्र लेखा फार्म दो–दो प्रतियों में तैयार होंगे। मतपत्र लेखा फार्म पंचायत समिति सदस्य के लिए पृथक लिफाफा (P–30) तथा जिला परिषद् के सदस्य के लिये पृथक लिफाफा (P–31) में रखा जायेंगा, तथा मतपत्र लेखा का एक–एक फार्म पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट 23–A) के साथ लिफाफा नं. P–38 में रखा जायेंगा ।

www.rajteachers.com

(iii) जिला परिषद् और पंचायत समिति सदस्य दोनों चुनावों से संबंधित पिंक पेपर सील का लेखा (परिशिष्ट 24) एवं मतदान अधिकारी की घोषणा (परिशिष्ट 21) लिफाफा नं. P–32 में रखी जायेंगी।

(iv) दोनों चुनावों से संबंधित पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट 23–A) एक ही होगी और उसे लिफाफा संख्या P–38 में रखा जायेंगा।

(v) दोनों चुनावों से संबंधित विविध कागजात जिसमें मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें (परिशिष्ट–13) व उनकी सूची (परिशिष्ट–14) अप्रयुक्त पेपर सील, मतदान अभिकर्त्ता नियुक्ति के फार्म (परिशिष्ट–16), कार्यकारी मतदाता सूचियों की अन्य प्रतियां आदि कागजात पृथक लिफाफा नं. P–39 में रखे जायेंगें।

3) **मतदान अधिकारी द्वारा बूथवार पंच एवं सरपंच के चुनाव से संबंधित निम्न सीलबन्द लिफाफे तैयार किये जायेंगे :–** मतदान अधिकारी द्वारा पंच एवं सरपंच चुनाव संबंधित अलग–अलग चार–चार सीलबन्द लिफाफे तैयार किये जायेंगे । पंच चुनाव से संबंधित लिफाफा सं. P-4 में अप्रयुक्त मतपत्र, P-5 में चिन्हित् मतदाता सूची, P-13 में खराब व रद्द मतपत्र तथा P-16 में निविदत्त मतपत्र एवं सूची रखी जायेंगी । इसी प्रकार सरपंच पद के चुनाव से संबंधित लिफाफा सं. P-3 में अप्रयुक्त मतपत्र, P-6 में चिन्हित् मतदाता सूची, P-12 में खराब व रद्द मतपत्र तथा P-17 में निविदत्त मतपत्र एवं सूची रखी जायेंगी तथा इन लिफाफों को सील बन्द किया जायेंगा। पंच एवं सरपंच के निर्वाचन से संबंधित उक्त लिफाफे मतदान समाप्ति के बाद मतपेटियों के साथ–साथ ही अलग से रिटर्निंग अधिकारी को सुपुर्द किये जायेंगे ।

4) **रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार किये जाने वाले अन्य लिफाफेः–** रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पंच/सरपंच के चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड निम्नानुसार तैयार कर निर्धारित लिफाफे में रखकर जो लिफाफे सील योग्य है उन्हें सील करा जायेंगा।

1) निम्न कागजात का बड़ा लिफाफा। (सील नहीं होगा) P–1
   a. मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व उनकी सूची।
   b. मतदान अभिकर्ता व गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के उपयोग में लाये गये फार्म।
   c. कार्यकारी मतदाता सूची की अन्य प्रतियां एवं अन्य कागजात।
2) वैध मतपत्र (सरपंच) (सील करना है) P–8
3) वैध मतपत्र (पंच) (सील करना है) P–9
4) मतगणना में खारिज मतपत्र (सरपंच) (सील करना है) P-28
5) मतगणना में खारिज मतपत्र (पंच) (सील करना है) P–29
6) पंच/सरपंच के सांख्यिकीय आंकड़े (सील नहीं होगा) P–10
   a. सांख्यिकीय फार्म (पंच)
   b. सांख्यिकीय फार्म (सरपंच)
   c. बूथवार – मतदान के आंकडे (महिला/पुरूष/थर्ड जेण्डर वार)
7) प्ररूप–7 (निर्वाचन परिणाम पत्र) (सील नहीं होगा) P–11
8) प्रतिभूति निक्षेप संबंधी रसीद बुक व जब्त राशि (सील नहीं होगा) P–42

www.rajteachers.com

9) लिफाफा जिसमें निम्न कागज होंगे– (सील नहीं होगा) P–33

a. पंच/सरपंच चुनाव संबंधित पिंक पेपर सील का लेखा

b. अप्रयुक्त व क्षतियुक्त पेपर सीलें

c. शेष फार्म

10) पीठासीन अधिकारी की डायरी तैयार करना (परिशिष्ट 23–B)

11) डाक के लिफाफे परिणाम पत्र भेजने हेतु

12) उप सरपंच चुनाव के वैद्य एवं अवैद्य मतपत्र (सील होगा) P–40

13) उप सरपंच चुनाव का अन्य रिकार्ड (सील होगा) P-41

www.rajteachers.com

अध्याय–6

रिटर्निंग अधिकारी (पंच/सरपंच चुनाव) के कर्तव्य

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994, के नियम 23 (परिशिष्ट–4) में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा पंच व सरपंच चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जायेंगी । नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी की पंच व सरपंच के चुनाव की सम्पूर्ण व्यवस्था की देख–रेख एवं उपसरपंच का चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। नियम 65 (परिशिष्ट–4 के अध्याय–9) के अनुसार उपसरपंच चुनाव का रिटर्निंग अधिकारी भी वही है जो पंच/सरपंच चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी है। **रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान से निर्धारित दिवसों पूर्व की जाने वाली कार्यवाही का संक्षिप्त विवरणः–** राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, तिथि एवं समय निर्धारण के अनुरूप उक्त रिटर्निंग अधिकारी पंचायत मुख्यालय पर मतदान तिथि से कुछ दिवस पूर्व पहुंचेगा।

(i) ग्राम पंचायत पर पहुंचने के उपरान्त छपे हुए लेबल नियम 30(3) के अंतर्गत पंचायत कार्यालय की जगह या मतदान केन्द्र पर चिपका कर प्रदर्शित करेगा।

(ii) पंच/सरंपच का चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को नामनिर्देशन प्रस्तुत करने के प्ररूप–4 (परिशिष्ट 6–A), प्ररूप–4घ (परिशिष्ट 6–B), क्रियाशील स्वच्छ शौचालय घोषणा/अण्डर टेकिंग, (परिशिष्ट 6–C) उपाबन्ध–I-B (परिशिष्ट 6–D) तथा उम्मीद्वार से संबंधित सूचना फार्म (परिशिष्ट 6–E) का सैंट निःशुल्क उपलब्ध करवाना।

(iii) स्वयं उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्ररूप (प्ररूप–4, प्ररूप–4घ, क्रियाशील स्वच्छ शौचालय घोषणा/अण्डर टेकिंग, उपाबन्ध–I-B (केवल सरपंच के लिए) तथा उम्मीद्वार सूचना फार्म) में नामनिर्देशन प्राप्त करना।

(iv) सरपंच पद के निर्वाचन में उपाबन्ध–I-B में दिये गये प्ररूप में 50/– रूपये के गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर (नोन जूडिशीयल स्टॉम्प पेपर) पर नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत होना चाहिए तथा उक्त शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या माननीय उच्च न्यायालय या सैशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष सम्यक् रूप से सपथित होना चाहिए।

(v) सरपंच पद के लिये नामनिर्देशन पत्रों के साथ निर्धारित प्रतिभूति निक्षेप राशि जरिये रसीद प्राप्त करना। (वार्ड पंच के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि का कोई प्रावधान नहीं हैं)

(vi) चुनाव लड़ने के लिये राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियमों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं अपात्रता को ध्यान रखकर नामनिर्देशन पत्रों की जांच करना।

(vii) स्वयं उम्मीद्वारों द्वारा प्रस्तुत नाम वापसी प्रार्थना पत्र (परिशिष्ट–27) प्राप्त करना।

(viii) नाम वापसी पश्चात् पंच व सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्ररूप–5 (परिशिष्ट–8-B, 8-A) तैयार करना एवं चुनाव चिन्ह् का आवंटन करना।

(ix) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन करना।

उपरोक्त कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की गई पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए अभ्यर्थियों की अलग–अलग अंतिम सूची प्ररूप–5 (परिशिष्ट 8-B, 8-A) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत की जायेंगी , तथा इस अंतिम सूची के आधार पर मतपत्रों का मुद्रण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर कराया जायेंगा। पंच/सरपंच चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संपादित किये जाने वाले समस्त कार्यों की विस्तृत प्रक्रिया नीचे समझाई गई है।

www.rajteachers.com

1. **नामनिर्देशन के कानूनी प्रावधानः–** पंच एवं सरपंच चुनाव से संबंधित नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति के संबंध में कानूनी प्रावधान निम्नांकित है।

   (i) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19, 19 ख, 20, 21 एवं 22 (परिशिष्ट–3)

   (ii) राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 से 54, 56, 69 से 76 (परिशिष्ट–4)

आप उक्त प्रावधानों को अच्छी प्रकार से पढ़ लें तथा अपने संशयों को प्रशिक्षण देने वालों से चर्चा कर दूर कर लें।

2. **नामनिर्देशन के निर्धारित फार्म वितरणः–** पंच एवं सरपंच के नामनिर्देशन पत्र प्ररूप–4 (परिशिष्ट 6–A), 4घ (परिशिष्ट 6–B), क्रियाशील स्वच्छ शौचालय घोषणा/अण्डर टेकिंग, (परिशिष्ट 6–C) उपाबन्ध–I-B (परिशिष्ट 6–D) तथा उम्मीद्वार से संबंधित सूचना फार्म (परिशिष्ट 6–E) का मुद्रित फार्म सैट निःशुल्क नामनिर्देशन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व उपलब्ध कराये जायेंगे। आपके पहुँचने के समय से ही आप नामनिर्देशन पत्रों को वितरण कर सकते हैं ताकि नामनिर्देशन–पत्रों भरने के इच्छुक व्यक्तियों को कठिनाई न रहें।

   नोटः– जहां तक कोशिश हो छपे हुये फार्म काम में लिये जायें, परन्तु यदि फार्मो की कमी पड़ जाये तो हस्तलिखित या कार्बन की सहायता से फार्म की नकल कर अथवा टाईप किया हुआ अथवा फोटोस्टेट प्रति फार्म भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन विवरण हूबहू वही हो।

3. **नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति (नियम 25 से 29)**:– आप सरपंच व पंच चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी की हैसियत से लोक सूचना में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्धारित स्थान, निर्धारित तारीख व निर्धारित समय पर ही नामनिर्देशन–पत्र प्राप्त करेंगे, नामनिर्देशन पत्रों की संविक्षा करेंगे व नाम वापसी के नोटिस (परिशिष्ट–27) प्राप्त करेंगे। नामनिर्देशन पत्र प्राप्ति की जांच व अन्य कार्यों के लिए समय लोक सूचना द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के द्वारा निर्धारित किया जायेंगा। जिसका अलग से विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आपको देंगे। यह अति आवश्यक है कि आप पंच व सरपंच चुनाव के नामनिर्देशन–पत्र प्राप्ति के लिये निर्धारित दिन को जैसा भी मतदान का कार्यक्रम जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) से मिले, लोक सूचना में निर्दिष्ट स्थान (गांव व भवन) में उपस्थित रहें।

4. **पंच, सरपंच चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार की पात्रतायें (धारा 19 के अन्तर्गत) :–**

   (i.) **मतदाता के रूप में पात्रताः–** पंच व सरपंच पद चुनाव के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति उसी पंचायत क्षेत्र (पंचायत सर्किल) के किसी वार्ड का मतदाता होना चाहिये जिससे वह चुनाव लड़ना चाहता है, यह जरूरी नहीं है कि किसी वार्ड से पंच पद के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति उसी वार्ड का मतदाता हो। उदाहरण के लिये ग्राम पंचायत भगवानपुर के वार्ड नं. 5 की मतदाता सूची का मतदाता उसी पंचायत क्षेत्र के वार्ड नं.–8 से भी पंच पद का चुनाव लड़ सकता है व सरपंच पद का चुनाव भी लड़ सकता है।

   किन्तु अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए जो वार्ड या सरपंच पद आरक्षित है उसमें उसी वर्ग का मतदाता चुनाव लड़ सकता है जिसके लिए वह वार्ड या सरपंच पद आरक्षित किया गया है। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 30.10.14 से अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के चुनाव में विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के प्रमाण पत्र धारक मतदाता को भी पात्र माना जाये। इसके साथ ही जो वार्ड महिलाओं के लिये आरक्षित किया गया है उसमें कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता। यह भी स्पष्ट

www.rajteachers.com

किया जाता है कि जो वार्ड या सरपंच का पद आरक्षित नहीं किया हुआ है उसके लिये कोई भी जाति/वर्ग या महिला/पुरुष चुनाव लड़ सकता है।

(ii.) **शैक्षणिक योग्यताः**— वर्ष 2015 में पंचायतीराज अधिनियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 01.04.2015 से पंचायतीराज संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान किये गये थे, परन्तु पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.02.2019 से शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रावधान समाप्त कर दिये गये हैं। अतः अब पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में किसी भी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

(iii.) **उम्रः**— जो मतदाता नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा के दिन 21 साल की उम्र का हो गया है वह पंच, सरपंच चुनाव लड़ सकता है। मतदाता सूची में उम्र केवल अनुमानित होती है। अतः इस सूची में अंकित उम्र नामनिर्देशन हेतु प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। नामनिर्देशन भरने की तारीख को जो असली उम्र होगी उसे माना जायेंगा । यदि मतदाता सूची में 1—1—2009 को अनुमानित आयु 21 साल लिखी है पर उसके स्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार उम्र नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख, को 20 वर्ष 10 महिने होती है तो वह पंच व सरपंच पद के लिये योग्य नहीं माना जायेंगा । यदि ऐसा तथ्य स्पष्ट हो जाये तो उसका नामनिर्देशन पत्र खारिज कर दिया जायेंगा । मतदान के समय मतदाता सूची में अंकित उम्र को मताधिकार के लिये कोई चैलेंज नहीं कर सकता लेकिन उम्र का प्रभाव पात्रता पर पड़ता है तो चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार की इस उम्र को नामनिर्देशन पत्र की जांच के समय आक्षेपित किया जा सकता है, क्योंकि नामनिर्देशन पत्र में वास्तविक या असली उम्र लिखी जाती है, अनुमानित नहीं।

(iv.) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 20 (परिशिष्ट—3) के अंतर्गत एक से अधिक पंचायती राज संस्थाओं में एक साथ सदस्यता रखने पर तो रोक है, लेकिन चुनाव लडने पर नहीं है।

(v.) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 19 ख (परिशिष्ट—3) के अन्तर्गत किसी एक ही पंचायती राज संस्था के चुनाव में एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक है, अर्थात् कोई व्यक्ति—

(क) पंच निर्वाचन में एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता।

(ख) यदि सरपंच पद का चुनाव लड़ रहा है तो पंच के लिये चुनाव नहीं लड़ सकता तथा यदि पंच का चुनाव लड़ रहा है तो सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता।

(ग) पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन में एक से अधिक पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों से और जिला परिषद सदस्य निर्वाचन की स्थिति में एक से अधिक जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता।

नोटः— यदि कोई व्यक्ति किसी एक पंचायती राज संस्था में एक से अधिक सीटों के लिए नामांकन दाखिल करता है लेकिन वह अभ्यर्थिता वापिसी के निर्धारित समय के भीतर उस संस्था में एक सीट को छोड़कर शेष अन्य सीटों से अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो सभी सीटों से उसकी अभ्यर्थिता वापिस होना मान लिया जायेंगा । इस प्रकार अधिक सीटों पर नामांकन दाखिल करने पर उसका नामांकन संवीक्षा के समय तो निरस्त नहीं होगा, लेकिन नाम वापिसी के निर्धारित समय बाद किसी भी सीट से उसे निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी नहीं माना जायेंगा ।

www.rajteachers.com

5. **चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिये अपात्रतायेंः–** राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 19 (परिशिष्ट–3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अयोग्यताएँ धारण करने वाले व्यक्ति पंच व सरपंच चुनाव लड़ने के अयोग्य समझे जायेंगे।

(i.) राजस्थान विधानसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिये जो व्यक्ति अयोग्य है वह पंच व सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ सकता, लेकिन जहां विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिये कम से कम उम्र 25 वर्ष होना जरूरी है, वहां पंच सरपंच के लिये उम्र 21 वर्ष होना ही पर्याप्त है [धारा 19 का खण्ड (क)]। राजस्थान विधानसभा सदस्य का निर्वाचन लड़ने के लिये पात्रताएं संविधान के अनुच्छेद 191, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, धारा 8–क, धारा 9, धारा 9–क, धारा–10 एवं धारा–10 क के प्रावधानों में बताई गई है।

(ii.) भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला, किसी सक्षम न्यायालय से घोषित विकृतचित व्यक्ति, अनुन्मोचित दिवालिया एवं ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, या जिसने विदेशी नागरिकता स्वैच्छिक रूप से स्वीकार कर ली हो या वह विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या आशक्ति को स्वीकार किया हुआ है, यदि विद्यमान किसी कानून के अधीन किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया हुआ है, तो वह संबंधित व्यक्ति अपात्र होगा (अनुच्छेद 191)। राजस्थान विधानसभा सदस्य (निरर्हता– निराकरण) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के मंत्री, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, संसदीय सचिव या अवर संसदीय सचिव, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता आदि के पद अनुच्छेद 191 के प्रावधानों में बताये गये लाभ के पद में शामिल नहीं हैं।

(iii.) लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) में वर्णित अपराधों के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति, यदि उसे केवल जुर्माने से दण्डित किया गया है तो वह व्यक्ति ऐसी दोषसिद्धि तारीख से 6 वर्ष की अवधि के लिये अपात्र होगा और यदि उसे कारावास की सजा सुनाई गयी है तो वह दोषसिद्ध घोषित होने की तिथि से कारावास से मुक्त होने के बाद की 6 वर्ष अवधि तक अपात्र होगा। 1951 के उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में बताये गये अपराधों में यदि 6 माह या अधिक की सजा होती है या उपधारा (1) व (2) में वर्णित अपराधों से भिन्न किसी अपराध में दो वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गयी हो तो दोषसिद्ध होने की तिथि से अपात्र होगा तथा कारावास से मुक्ति के बाद 6 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति चुनाव लडने के लिये अयोग्य माना गया है। उक्त धारा 8 की उपधारा (1), (2) या (3) के अनुसार किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि की तारीख से ही अयोग्यता मान ली जायेगी, भले ही दोषसिद्धि के आदेश के विरूद्ध अपील या पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो अथवा दोषसिद्ध व्यक्ति जमानत पर छूटा हुआ हो तब भी उसकी कालावधि पूरी होने तक आपात्रता दूर नहीं मानी जायेगी।

(iv.) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 क, 9 एवं 10 क के अन्तर्गत अयोग्य घोषित किये गये व्यक्तियों की सूची जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होती है, की सुसंगत प्रविष्टियों की प्रति आपके संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों के संबंध में यदि कोई हो, तो सामग्री के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त हो जायेगी।

यदि उपरोक्त प्रावधानों के संबंध में आपको कोई शंका हो तो आप प्रशिक्षण के समय उसे दूर कर लें।

(v.) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 के खण्ड (कक) तथा परंतुक (ik) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी चुनाव याचिका में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो वह संबंधित न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश पारित किये जाने के छः वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अपात्र माना जायेंगा ।

www.rajteachers.com

(vi.) उक्त अधिनियम की धारा 19 के संशोधित खण्ड (ख) के अनुसार किसी स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय या किसी निगम, संस्था, उपक्रम या सहकारी समिति जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्त पोषित है, के अधीन कोई व्यक्ति वैतनिक पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति धारित करता है तो वह चुनाव लड़ने के लिये अपात्र होगा।

(vii.) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध होने के बाद वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य समझा जायेंगा [धारा 19(ट)]। नैतिक अधमता वाले किसी दुराचार के कारण राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त (dismiss) किया हुआ व्यक्ति और लोक सेवा में नियोजन के लिये अयोग्य घोषित किया व्यक्ति भी पंच व सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकेगा [धारा 19(ग)]। इसी प्रकार किसी अपराध के लिये किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति जिसे 6 माह या अधिक की सजा से दण्डित किया गया है और ऐसी सजा बाद में उलट न दी गयी हो अथवा उसमें छूट नहीं दी गयी हो अथवा अपराधी को माफ नहीं कर दिया गया हो तो वह व्यक्ति भी पंच व सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकेगा [धारा 19 (छ)]।

परन्तु पंचायती राज अधिनियम, 1994 की उक्त धारा 19(ग), 19(ट) तथा 19(छ) के उक्त प्रावधानों में बताये गये अपराधों में दोषसिद्ध व्यक्ति या पदच्चुत किया हुआ व्यक्ति उसके दोषसिद्ध या, यथास्थिति, पदच्चुत करने के आदेश की तारीख से 6 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिये पात्र हो जायेंगा।

नोटः– राज्य सरकार द्वारा उक्त धारा 19 के खण्ड (ग) (छ) एवं (ट) की अयोग्यता को हटा देने के बावजूद भी यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, की धारा 8, 8–क, 9, 9–क, 10 या 10–क के अंतर्गत कोई अपात्रता है तो अपात्रता ही मानी जायेगी।

(viii.) यदि कोई व्यक्ति नामनिर्देशन पत्रों की जांच के दिन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी (लोकल अथोरिटी) के अधीन पूरे समय का वैतनिक कर्मचारी हो, या पार्ट–टाईम वैतनिक कर्मचारी हो तो वह भी पंच/सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता।

नोटः–यदि उक्त प्रकार के कर्मचारी चुनावों में नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करें तो संविक्षा के समय आप उनसे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रसारित उनके त्यागपत्र की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति मांगे। ध्यान रखें की ये आदेश नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तारीख से पहले वाले दिन तक का होना चाहिये, उसी दिन का नहीं। यदि त्यागपत्र प्रस्तुत नहीं करें तो आप उनका नामनिर्देशन पत्र अस्वीकृत कर दें और उक्त विवरण लिख दें।

(ix.) यदि उम्मीदवार किसी भी पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता है तो वह भी पंच या सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता [धारा 19 (घ)]।

(x.) यदि कोई व्यक्ति संबंधित पंचायती राज संस्था से, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी ठेके में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपने द्वारा या अपने भागीदार या नियोजक या अपने कर्मचारी के द्वारा कोई भी अंश या हित किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित का स्वामित्व रखते हुए, रखता है तो वह पंच व सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता [धारा 19(ङ)] (धारा 19 का परंतुक (i) भी देखिये)

www.rajteachers.com

(xi.) धारा 19 के खण्ड (छछ) में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे किसी अपराध जो पांच वर्ष या अधिक की सजा से दण्डनीय है, उसके विरूद्ध न्यायालय ने संज्ञान ले लिया हो, और किसी व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय द्वारा आरोप निर्धारित कर दिये गये हो, तो ऐसा व्यक्ति निर्वाचन के लिये अपात्र माना जायेगा।

अभ्यर्थियों से उनकी दोषसिद्धि के संबंध में और उसके विरूद्ध विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों जिनमें आरोप निर्धारित हो, की सूचना प्रस्तुत करने हेतु घोषणा प्रत्येक अभ्यर्थी को प्ररूप 4 घ में प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि इस प्ररूप 4–घ में की गयी घोषणा से आपको यह जानकारी मिलती है कि अभ्यर्थी के विरूद्ध ऐसे किसी अपराध जो 5 वर्ष या अधिक की सजा से दण्डनीय है, के लिये न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है जिसमें न्यायालय ने आरोप निर्धारित (विरचित) कर दिये है और उसके विरूद्ध संज्ञान ले लिया है तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिये अपात्र माना जायेंगा ।

(xii.) **शारीरिक अयोग्यताः–** यदि कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से पीड़ित है, जो उसे कार्य करने के लिए असमर्थ बनाते हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता [धारा 19 (च)]।

(xiii.) यदि राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अधीन चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया हो तो वह पंच व सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता [धारा 19 (ज)]।

नोटः–यह सूची आपको जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जायेगी।

(xiv.) यदि कोई व्यक्ति संबंधित पंचायत की ओर से या उसके विरुद्ध वकील के रूप में नियुक्त है तो चुनाव नहीं लड़ सकता [धारा 19(ञ)]।

नोटः–यदि किसी व्यक्ति ने पंचायत के पक्ष या विपक्ष में भूतकाल में मुकदमा लड़ा हो या पक्ष में लड़ने के लिये पहिले कभी पारिश्रमिक लिया हो तो वह अब अयोग्य नहीं माना जायेंगा । भूतकाल में लिये गये पारिश्रमिक के लिये कोई व्यक्ति अयोग्य करार नहीं किया जा सकेगा।

(xv.) यदि किसी व्यक्ति ने संबंधित पंचायती राज संस्था (पंचायत) द्वारा अधिरोपित किसी भी कर, या फीस की धनराशि को उसके लिये मांग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो महीने तक नहीं चुकाया है, तो वह व्यक्ति पंच/सरपंच चुनाव लड़ने का अपात्र हो जायेंगा [धारा 19 (झ)]।

नोटः–यदि किसी पूर्व पंच, पूर्व सरपंच ने अपने टेलीफोन या चाय पीने के पैसे पंचायत के बार–बार कहने पर भी जमा नहीं करायें हो तो अपात्रता नहीं मानी जायेगी क्योंकि उपरोक्त धनराशि, टैक्स या फीस नहीं मानी जाती।

यदि किसी व्यक्ति ने कर या फीस, नामनिर्देशन पत्र भरने की तारीख से पहले जमा कराकर रसीद प्राप्त कर ली है, तो वह चुनाव लड़ने के योग्य होगा।

(xvi.) **दो से अधिक संतान होनाः–** राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 (ठ) के प्रावधानों के अनुसार दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन दो से अधिक संतानों वाले किसी व्यक्ति को तब तक अयोग्य नहीं माना जायेंगा जब तक कि दिनांक 23.4.94 को विद्यमान उसकी संतानों की संख्या (दि. 23.4.94 से दि. 27.11.95 तक की अवधि में पैदा हुयी केवल एक संतान को छोडकर) मे और वृद्धि नही हो जाती। इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख दिनांक

www.rajteachers.com

23.4.94 है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 23–4–94 को या उसके बाद जहां किसी दम्पत्ति के किसी पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक बच्चा हो वहां किसी एक ही पश्चात्वर्ती प्रसव से पैदा हुये बच्चों की किसी संख्या को एक समझा जायेंगा। बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे बच्चे को नही गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मा हो और दिव्यांगता से ग्रसित हो। (शब्द दिव्यांगता में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता सम्मलित होगी)।

किसी पंचायती राज संस्था के सरपंच/उपसरपंच/प्रधान/उप प्रधान/प्रमुख/उप प्रमुख के पद पर रहे हुये किसी व्यक्ति को पंचायती राज संस्था की बकाया राशि जमा कराने का नोटिस दिया गया हो, और उसने नोटिस की तिथि से दो माह के भीतर उक्त बकाया राशि जमा नहीं करायी हो, उसे नोटिस विधिवत तामिल भी हो गया हो तथा पंचायतीराज संस्था के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो महीने पूर्व ऐसे व्यतिक्रमियों (defaulters) की सूची में राज्य सरकार ने उसका नाम शामिल कर सूची कलक्टर को भेजी हो तो वह व्यक्ति अपात्र होगा। लेकिन यदि ऐसा संरपंच/उपसरपंच/प्रधान/उपप्रधान/ प्रमुख/उपप्रमुख नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व बकाया राशि जमा करा देता है तो वह अपात्र नहीं होगा। [धारा 19(ड़) एवं परंतुक (V)]

(xvii.) अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट से भिन्न वर्ग का व्यक्ति, चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा। [धारा 19(ढ)]

(xviii.) महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीट से अन्य व्यक्ति जो महिला नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए अपात्र है।[धारा 19(ण)]

(xix.) अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर उस वर्ग से भिन्न वर्ग की महिला चुनाव नहीं लड़ सकती [धारा 19(त)]।

(xx.) शैक्षणिक योग्यता के संबंध में धारा 19 के r, s, t clause को राजस्थान पंचायतीराज संशोधन अधिनियम 2019 दिनांक 22 फरवरी 2019 की अधिसूचना से समाप्त कर दिया गया है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 q इस प्रकार है: –

(q) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नही जाता हो;

स्पष्टीकरण :–

1) "स्वच्छ शौचालय" से तात्पर्य तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जलबंद (Water sealed) शौचालय प्रणाली से हैं।
2) ''परिवार के सदस्य'' में व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और उसके साथ निवास कर रहे उसके माता–पिता अभिप्रेत है।

उक्तानुसार जिस व्यक्ति के घर में कार्यशील शौचालय नहीं हो तो तथा जिसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए जाता हो, वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा। इसके लिए घोषणा/अण्डरटेकिंग का प्रारूप (परिशिष्ट 6–C) आयोग द्वारा तैयार किया गया है। जिसे अभ्यर्थी से प्राप्त किया जाना है तथा जिसके लिए आपको आवश्यक होने पर अभ्यर्थी को मीमों भी दिया जाना है।

नोटः– धारा 19 पंचायती राज अधिनियम में बताई गई योग्यताएं/अयोग्यताएं पंच चुनाव के लिये बताई गई हैं, साथ ही उपरोक्त योग्यताएँ एवं अयोग्यताऐं धारा 26 (1) के अनुसार सरपंच पद के निर्वाचन के लिये भी मानी गई हैं।

www.rajteachers.com

6. **नामनिर्देशन पत्र प्ररूप 4** (परिशिष्ट 6–A) **के साथ और उसके भाग के रुप में दोषसिद्धि, लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरणों, संतानों एवं सम्पत्ति के ब्योरे की धोषणा प्ररुप 4–घ** (परिशिष्ट 6–B) **में प्राप्त करना** – राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 25 (परिशिष्ट–4) के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना नाम निर्देशन पत्र प्ररूप–4, प्ररूप–4घ के साथ विधिवत पूर्ति करते हुए और हस्ताक्षरित करते हुए या अंगूठा निशानी लगाते हुए रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिशः प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्ररूप 4घ में निम्नांकित चार बिन्दुओं पर अभ्यर्थी द्वारा घोषणा की जायेगी।

(i.) लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरण– ऐसे अपराधों के लिए लंबित आपराधिक प्रकरण जिनमें पांच वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान है और जिसमें न्यायालय ने अभ्यर्थी के विरूद्ध आरोप विचरित कर दिये हों,

(ii.) आपराधिक मामलों में अभ्यर्थी की दोषसिद्धि का विवरण,

(iii.) अभ्यर्थी की संतानों के संबंध में सूचना,

(iv.) अभ्यर्थी व उसके पति/पत्नि व आश्रितों की सम्पत्ति का ब्यौरा।

उपरोक्त चार बिन्दुओं के प्रथम तीन बिन्दु अभ्यर्थी की पात्रता परीक्षण के लिए भी आवश्यक है और उपरोक्त प्रथम तीन बिन्दुओं अर्थात् बिन्दु सं. (i), (ii) एवं (iii) के संबंध में यदि आपको कोई अन्यथा तथ्य ज्ञात होते हैं या कोई आपत्ति पेश होती है तो आप उनकी संक्षिप्त जांच नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय कर सकते है ताकि अभ्यर्थी की पात्रता का परीक्षण हो सकें, लेकिन उपरोक्त में बिन्दु सं. (iv) अर्थात् सम्पत्ति के ब्यौरे के संबंध में अभ्यर्थी के द्वारा जो भी कोई सूचना दी जाये उसके संबंध में जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सूचना पात्रता परीक्षण के लिए नहीं है केवल आम जनता की जानकारी के लिए है।

जैसा की उपर बताया गया है कि प्ररूप 4–घ में अभ्यर्थी की घोषणा नामनिर्देशन पत्र के साथ ही प्राप्त करना कानूनन आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी प्ररूप 4–घ के बिना प्ररूप 4 अर्थात् नामनिर्देशन पत्र ही प्रस्तुत करता है तो यह अधूरा माना जायेंगा । यह आप अभ्यर्थी को नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय स्पष्ट बता दें कि वह प्ररूप 4–घ में घोषणा पूर्ण भर कर एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर/अंगूठा निशानी लगाकर नामनिर्देशन पत्र के साथ में प्रस्तुत करें अन्यथा नामनिर्देशन पत्र खारिज कर दिया जायेंगा । यह भी ध्यान रखा जाये कि जो कोई चुनाव लडने के इच्छुक व्यक्ति आप से नामनिर्देशन पत्र का फार्म प्राप्त करे तो आप साथ में प्ररूप 4–घ भी उसको आवश्यक रूप से दे साथ ही घर में कार्यशील स्वचछ शौचालय एवं परिवार के सदस्यों द्वारा खुले में शौच के लिए नही जाने के संबंध में घोषणा/अण्डरटेकिंग का प्ररूप (परिशिष्ट 6–C) भी दें और साथ ही उपाबंध–I-B (केवल सरपंच के निर्वाचनों में) भी दें, जिसका विवरण आगे दिया गया हैं।

7. **नामनिर्देशन पत्र के साथ और उसके भाग के रूप में उपाबन्ध**–I-B (केवल सरपंच के निर्वाचनों में) **में संपत्ति के ब्यौरे, शैक्षणिक योग्यता, देयताओं आदि की सूचना प्राप्त करनाः–** राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 07.02.2004 से यह आवश्यक किया है कि सरपंच का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को उपाबन्ध–I-B (परिशिष्ट 6–D) में एक स्वघोषणा नामनिर्देशन पत्र के साथ ही प्रस्तुत करनी होगी जिसमें उसके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों, शैक्षणिक योग्यता, सम्पत्ति का ब्यौरा (आश्रितों सहित) तथा सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों की देयताओं का विवरण देना होगा। चूंकि उक्त उपाबन्ध–I-B (केवल सरपंच के लिए) नामनिर्देशन पत्र का भाग माना गया है, अतः कोई अभ्यर्थी यदि उक्त उपाबन्ध–I-B (केवल सरपंच के लिए), नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं करता है तो इसे नामनिर्देशन पत्र की विहित प्रक्रिया का उल्लंघन मानते हुये नामांकन अस्वीकार किया जायेंगा। इसके अतिरिक्त आयोग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 07.02.2004 के बिन्दु संख्या 13 में उपबिन्दु III (a) जोड़कर यह प्रावधान किया है कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा स्वघोषणा में किसी कॉलम को रिक्त छोडने पर रिटर्निंग अधिकारी के स्मरण कराये जाने के बाद भी कमी की पूर्ति नही की जाती है तो संवीक्षा के

www.rajteachers.com

समय अभ्यर्थी का नामनिर्देशन पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा। रिटर्निंग अधिकारी को यह नहीं देखना है कि उपाबन्ध–I-B (केवल सरपंच के लिए) में वर्णित सूचना सही है या गलत, क्योंकि इन सूचनाओं के आधार पर अपात्रता का निर्धारण नहीं होना है। उक्त उपाबन्ध–I-B (परिशिष्ट 6–D) सर्वसाधारण की सूचनार्थ है। अतः इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी लगायी जायेगी।

8. **सरपंच पद के लिये नामनिर्देशन पत्रों के साथ प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराना:–**

(i.) वार्ड पंचों के चुनाव के लिये प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सरपंच पद के नामनिर्देशन पत्रों के साथ प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने का प्रावधान रखा गया है जो नियम 56 (परिशिष्ट–4 के अध्याय–5) के उप नियम (3) में बताया गया है। सरपंच का नामनिर्देशन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 500/– रुपये प्रतिभूति निक्षेप राशि जरियें रसीद जमा नहीं की गई हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला अभ्यर्थियों की दशा में 250/– रु. की प्रतिभूति निक्षेप राशि जरियें रसीद जमा की रसीद नामनिर्देशन पत्र के साथ होना आवश्यक है।

(ii.) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 250/– रु. प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराने की स्थिति में आवश्यक है कि वे जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा सक्षम किये गये अधिकारी के द्वारा जारी किये गये जाति/वर्ग प्रमाण–पत्र को भी नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न करें। जो सरपंच पद किसी जाति/वर्ग या महिला के लिये आरक्षित नहीं है वहां पर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नामनिर्देशन पत्र भरता है और प्रतिभूति निक्षेप के रूप में 250/– रु. जमा कराता है तो उसे संबंधित जाति/वर्ग का प्रमाण–पत्र उपरोक्तानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(iii.) यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र दाखिल करता है तो उसे एक से अधिक प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

9. **अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना:–** जो सरपंच /वार्ड पंच पद यदि अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हो तो वहां केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। जो अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित है वहां केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड सकता है। जो केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये ही आरक्षित है वहां केवल अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव लड सकता है। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 30.10.14 से अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के चुनाव में विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति को भी पात्र माना जाये। जो सरपंच/वार्ड पंच पद केवल महिलाओं के लिये आरक्षित हैं वहां केवल महिलायें ही चुनाव लड़ सकती हैं।

उपरोक्त स्थितियों में नियम 25(1) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जिला कलेक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किये गये किसी अधिकारी के द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र को नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

10. **नामनिर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण:–** पंच व सरपंच चुनाव के नामनिर्देशन के लिये निर्धारित प्ररूप 4 के साथ प्ररूप 4घ, उपाबन्ध–I-B (केवल सरपंच के लिए) एवं क्रियाशील स्वच्छ शौचालय घोषणा/अण्डर टेकिंग मय हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी स्वयं अभ्यर्थी द्वारा ही रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित तिथि, निर्धारित समयावधि में, और निर्धारित स्थान पर ही प्रस्तुत किया

www.rajteachers.com

जायेंगा । यदि कार्यशील शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग भी साथ में प्रस्तुत नही की जाती हैं तो इस आशय का मीमो उसे दिया जाये कि संवीक्षा से पूर्व उक्तानुसार घोषणा/अण्डरटेकिंग स्वयं के हस्ताक्षरित प्रस्तुत करें। उक्त घोषणा/अण्डरटेकिंग के अभाव में संवीक्षा में नामनिर्देशन पत्र खारिज किया जा सकेगा। पंच–सरपंच चुनाव में प्रस्तावक का प्रावधान नहीं है।

11. **नामनिर्देशन पत्रों के प्रस्तुतिकरण के बाद की प्रक्रियाः–** पंच/सरपंच चुनाव के लिये नामनिर्देशन पत्रों के प्रस्तुतकर्ता अभ्यर्थियों को नामनिर्देशन पत्रों की जांच का समय, तारीख और स्थान बता दिया जायें । रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये नामनिर्देशन पत्र पर अपनी हस्तलिपि से वार्ड का क्रम संख्यांक (जहां के लिये नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत हुआ है) और संबंधित वार्ड/सरपंच चुनाव का नामनिर्देशन पत्र का क्रम संख्यांक अंकित की जायेंगी, और यदि कोई व्यक्ति नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी के साथ उसकी पहचान करने के लिये उपस्थित हो तो उसका उल्लेख भी नामनिर्देशन पत्र के तृतीय पैरा में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कर दिया जायें एवं जिस समय नामनिर्देशन पत्र प्राप्त किया गया है वह समय भी अंकित किया जायें। नामनिर्देशन पत्र की रसीद जो प्ररूप–4 (परिशिष्ट 6–A) में उपलब्ध है, को अभ्यर्थी को दे दी जायें।

12. **नामनिर्देशन पत्रों की जांचः–** निम्न कारणों से किसी उम्मीदवार का नामनिर्देशन पत्र राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 27 (परिशिष्ट–4) के अनुसार खारिज किया जा सकेगा।

    (i.) उम्मीदवार निर्वाचन के लिये पात्र नहीं है अथवा धारा–19 में उल्लिखित किसी अयोग्यता को धारण करता है।

    (ii.) उम्मीदवार वह व्यक्ति नहीं है जिसका नाम व मतदाता सूची की क्रम संख्या नामनिर्देशन पत्र में लिखी है।

    (iii.) उम्मीदवार ने अपना नामनिर्देशन पत्र व्यक्तिशः आपको प्रस्तुत नहीं किया है।

    (iv.) नामनिर्देशन पत्र नियमों में दिये गये निर्धारित प्ररूप–4 के अनुसार नहीं है।

    (v.) नामनिर्देशन पत्र के साथ प्ररूप–4घ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

    (vi.) उम्मीदवार उस पंचायत का मतदाता नहीं है।

    (vii.) नामनिर्देशन पत्र के साथ उपाबन्ध–I-B (केवल सरपंच के लिए) शपथ–पत्र रूपये 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत नहीं किया है अथवा उपाबंध के किन्ही कॉलम को रिक्त छोड़ दिया गया है व स्मरण कराने पर भी उनकी पूर्ति नही की गई है। नामनिर्देशन पत्र के साथ कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग (परिशिष्ट 6–C) प्रस्तुत नहीं है तथा स्मरण कराने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई **है।**

    (viii.) नामनिर्देशन पत्र प्ररूप–4 या प्ररूप 4–घ या उपाबन्ध–I-B (केवल सरपंच के लिए) या कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा/अण्डरटेकिंग पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं है।

    (ix.) सरपंच निर्वाचन में अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा नहीं करायी हो।

    (x.) यदि कोई पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित है, तो कलक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र जिस वर्ग के लिये आरक्षित है, प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

    (xi.) यदि कोई पद महिलाओं के लिये आरक्षित हैं एवं अभ्यर्थी महिला नहीं है।

नोटः– आपका यह भी कर्त्तव्य होगा कि आप उम्मीदवार से यह जांच कर लें किः–

(i.) हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी उसी व्यक्ति का है जिसने नामांकन भरा है। अंगूठा निशानी हो तो आप फार्म लेते समय स्वयं को संतुष्ट कर लें जिससे जांच पर इस आधार पर खारिज नहीं हो। इसी प्रकार उसके नाम के बारे में उसकी मतदाता क्रम

www.rajteachers.com

संख्या में गलती हो तो उम्मीदवार से उस समय ठीक करवा लें क्योंकि उम्मीदवार का नाम आपके पास उपलब्ध मतदाता सूची में है।

(ii.) जिस वार्ड से वह लड़ना चाहता है वहीं वार्ड संख्या नामनिर्देशन पत्र में लिखी हुई है। यदि त्रुटि हो तो उसी समय ठीक करवा लें।

(iii.) यह भी पूछ लें कि पंच पद के लिये चुनाव लड़ रहा है या सरपंच के लिये।

(iv.) पंच पद के नामनिर्देशन के साथ कोई प्रतिभूति राशि नहीं लेनी है। ना ही उपाबन्ध–1–B में सूचनाएं प्राप्त करनी हैं।

(v.) उम्मीदवार चूंकि आप ही की पंचायत का मतदाता है अतः किसी प्रविष्टि की प्रमाणीकृत नकल की आवश्यकता नहीं है।

(vi.) आपके सामने यह ऐतराज उठाया जा सकता है कि अमुक उम्मीदवार का नाम दूसरी पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में भी है तथा वहां की प्रमाणीकृत सूची भी आक्षेप के समय प्रस्तुत की जा सकती है, ऐसी अवस्था में नामनिर्देशन पत्र केवल इस आधार पर कि उस उम्मीदवार का नाम दो जगह है खारिज नहीं किया जा सकता है। आपको केवल यह संतुष्टि करनी है कि नामनिर्देशन पत्र में अंकित प्रविष्टि वाला व्यक्ति ही उम्मीदवार है चाहे उसका नाम अन्य जगह भी लिखा हुआ है।

(vii.) नामनिर्देशन पत्र के बिन्दु संख्या 3 अभ्यर्थी की जाति में जो सही एवं संबंधित विवरण हैं, के अतिरिक्त शेष विवरण को उम्मीदवार से कटवा दिये जायें। इसी प्रकार नामनिर्देशन पत्र में उम्मीदवार द्वारा की जाने वाली घोषणा के तीसरे बिन्दु के विवरण को भी लागू न होने की स्थिति में उम्मीदवार से कटवा दिये जायें।

(viii.) कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग का व्यक्ति सामान्य वार्ड/पंचायत का चुनाव लडने से अयोग्य नहीं माना जायेंगा [नियम 16(1)]

(ix.) यदि एक ही उम्मीदवार ने दो या अधिक नामनिर्देशन पत्र भरें हों और उनमें से एक या दो खारिज हो जायें व तीसरा स्वीकृत हो जायें तो वह व्यक्ति उम्मीदवार बना रहेगा।

(x.) कोई व्यक्ति किसी वार्ड या सरपंच पद के लिये एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है, और संवीक्षा में एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र स्वीकार किये गये हैं तो भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में नाम एक बार ही लिखा जायेंगा , एक से अधिक बार नहीं।

13. **अभ्यर्थी द्वारा नाम वापिस लेना :– राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 28 के अन्तर्गत अभ्यर्थी अपना नाम वापिस ले सकता हैं।**

(i.) अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी का नोटिस (परिशिष्ट–27) स्वयं व्यक्तिगत आकर आपको दो प्रतियों में प्रस्तुत करना है, जो उम्मीदवार स्वयं हस्ताक्षरित करेगा। दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया नोटिस अमान्य होगा।

(ii.) उक्त नोटिस यथास्थान व निर्धारित समय में ही प्रस्तुत किया जाना है निर्धारित समय के बाद दिया गया नोटिस अमान्य होगा।

(iii.) एक बार नोटिस दिये जाने के बाद उम्मीदवार उसे वापिस नहीं ले सकेगा।

(iv.) ध्यान रहे नाम वापिसी नोटिस से उम्मीदवार चुनाव से हटता है। कोई उम्मीदवार दो नामनिर्देशन पत्रों में से एक नामनिर्देशन पत्र वापिस लेने हेतु यह नोटिस नहीं दे सकता अर्थात् यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किये हैं तो समस्त नामनिर्देशन पत्र नाम वापिसी के एक ही नोटिस से वापिस लिये हुए समझे जायेंगे।

www.rajteachers.com

(v.) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दोनों नोटिसों की प्रतियों में से एक प्रति पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगायेगा और यदि पंचायत कार्यालय नहीं है तो रिटर्निंग अधिकारी पंचायत मुख्यालय पर किसी प्रमुख स्थान पर यह नोटिस लगायेगा।

(vi.) नाम वापिसी हेतु नियमों में कोई प्रारूप (फार्म) निर्धारित नहीं है, परन्तु सुविधा के लिए नाम वापसी का एक मॉडल फॉर्म (परिशिष्ट–27) तैयार किया गया है। उक्त मॉडल फॉर्म की प्रतियॉ अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दें जिससे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई नहीं हो, व एकरूपता रहे। इन फार्मों की मुद्रित प्रतियां आपको नामनिर्देशन प्रक्रिया के लिये दी जाने वाली सामग्री में दी जायेंगी। यदि कमी पडे तो कार्बन प्रतियां तैयार कर लें। उम्मीदवार इस मॉडल फॉर्म की नकल करवाकर भी आपको नाम वापसी का नोटिस दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है।

14. **एक से अधिक सीटों पर से अपनी अभ्यर्थिता वापिस लेना :–** यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक सीटों पर अपनी अभ्यर्थिता प्रस्तुत की है तो एक सीट को छोड़कर नाम वापिस नही लेने पर सभी सीटों से अभ्यर्थिता वापिस मानी जायेगी। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 19 ख (परिशिष्ट–3) के अनुसार किसी एक पंचायती राज संस्था के चुनाव में एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक है, अर्थात् ग्राम पंचायत के चुनाव की स्थिति में कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों से पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता और यदि सरपंच का चुनाव लड रहा है तो पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता।

यदि कोई अभ्यर्थी पंचायत में एक से अधिक सीटों के लिये नामांकन दाखिल करता है, तो उसका नामांकन संवीक्षा में तो खारिज नहीं किया जायेंगा , लेकिन अभ्यर्थिता वापिस लेने के निर्धारित समय तक वह एक सीट को छोड़कर शेष अन्य सीटों से अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो सभी सीटों से उसकी अभ्यर्थिता वापिस होना मान लिया जायेंगा । इस प्रकार की स्थिति में वह चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में शामिल नहीं रहेगा।

15. **नाम वापसी के बाद निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों की सूची एवं चुनाव चिन्ह् आवंटन करनाः–** नाम वापिसी के पश्चात् शेष बचे अभ्यर्थियों की अंतिम सूची पंच एवं सरपंच के लिये अलग–अलग प्ररूप–5 (परिशिष्ट–8–B, 8–A) में तैयार की जायेंगी । इन चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णमाला (परिशिष्ट–19) के अनुसार क्रम से इस प्ररूप–5 में लिखे जायेंगे । पंच के लिए प्ररूप–5 (परिशिष्ट 8–B) दस चुनाव चिन्ह् एवं सरपंच के लिये प्ररूप–5 (परिशिष्ट 8–A) में बीस चुनाव चिन्ह् पहले से ही छपे हुए है जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम के सम्मुख छपा चुनाव चिन्ह् आवंटित हो जायेंगा । पंच चुनाव व सरपंच चुनाव के लिए पृथक्–पृथक् प्ररूप–5 तैयार किया जायें। हिन्दी वर्णमाला (Alphabetical) के अनुसार वार्डवार पंच के लिये उम्मीदवारों की सूची व पंचायत के सरपंच के उम्मीदवारों की पृथक्–पृथक् सूची निम्न प्रकार बनायेंगे।

(i.) सूची तैयार करने के लिए किसी उम्मीदवार का मुख्य नाम ही देखा जायेंगा , न कि उपनाम। यद्यपि उक्त सूची में पूरा नाम मय उपनाम के लिखा जायेंगा । जैसे ''जयनारायण व्यास''। इसमें मुख्य नाम ''जयनारायण'' है वह ''व्यास'' उपनाम है। ऊपर बताये सिद्धान्त के अनुसार यह नाम अक्षर ''ज'' के हिसाब से सूची में रखा जायेंगा न कि ''व'' के हिसाब से। पर चुनाव लड़ने वाली सूची में उनका पूरा नाम ''जयनारायण व्यास'' ही लिखा जायेंगा व मत–पत्र पर भी ऐसा ही लिखा जायेंगा क्योंकि वे उपनाम से प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार शिवहरि महावर, आनन्द सक्सेना तथा माहिर खान के नाम क्रमशः ''शि'' ''आ'' व ''मा'' वर्ण के अनुसार लिखे जायेंगे।

(ii.) नामों के पहले अक्षर जैसे श्री, श्रीमती, सुश्री, नहीं लिखे जायेंगे पर उपनाम जैसे सुखाड़िया, नेहरू, शेखावत, चतुर्वेदी, माथुर, पालीवाल इत्यादि लिखे जायेंगे क्योंकि उपनामों से ही अनेक व्यक्ति जल्दी व ठीक से जाने जाते हैं।

www.rajteachers.com

(iii.) हिन्दी वर्णमाला में तीन तरह से ''स'' हैं। इनका सही क्रम ''श'' ''ष'' ''स'' है। अतः शंकरलाल, षट्दर्शन तथा सरवर चन्द भंडारी इस क्रम में लिखे जायेंगे। ''श्र'' भी ''श'' के बराबर है। यदि श्री नारायण कोई उम्मीदवार हुआ तो शंकरलाल के पहले ही आयेगा।

(iv.) ऋषिकुमार, त्रिलोक चन्द व डालचन्द में से पहला नाम ऋषिकुमार (ऋ स्वर है) दूसरा डालचन्द आयेगा और तीसरा त्रिलोकचन्द आयेगा। हाजी मोहम्मद अवश्य लिखा जायेंगा । पर ''म'' वर्ण के हिसाब से इस नाम को रखा जायेंगा क्योंकि हाजी उपनाम है। ग्यानचन्द व ज्ञानचन्द में ग्यानचन्द पहले व ज्ञानचन्द बाद में आयेगा।

(v.) आपकी सुविधा के लिये मानक हिन्दी वर्णमाला परिशिष्ट–19 पर दी हुई है।

(vi.) यदि एक ही नाम से दो या अधिक अभ्यर्थी हैं तो उनके नाम के साथ उसके पिता/पति का नाम जोड़कर या अन्य रीति से जो रिटर्निंग अधिकारी ठीक समझे, सुभिन्न किये जायेंगे।

16. **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन।**

(i.) वार्ड पंच एवं सरपंच का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची पृथक्–पृथक् प्ररूप–5 में बनाई जायेगी। उक्त सूचियों की प्रति निम्न प्रकार से प्रकाशित एवं वितरित की जायेगी।

(क) प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को	1
(ख) सरपंच की सूची प्रत्येक वार्ड में	1
(ग) पंच की सूची संबंधित वार्ड में	1
(घ) पंचायत कार्यालय पर	1

(ii.) यदि पूरी पंचायत में सभी वार्ड पंच व पंचायत में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो तो अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन उक्त पैरा (i) के अनुसार नहीं किया जायेंगा परन्तु दो प्रतियां बनाकर उनमें से एक पंचायत कार्यालय पर व दूसरी ऑफिस कापी लिफाफे में बन्द कर दी जायेगी। ऐसी हालत में आप चुनाव परिणाम नियम 29(2) में निर्विरोध घोषित कर प्ररूप–7 (परिशिष्ट–10) भरेंगे व हस्ताक्षर करेंगे।

किसी वार्ड में या पंचायत में एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदान निर्धारित स्थान पर नियत तिथि एवं नियत समय पर होगा।

17. **मतपत्रों की तैयारीः–** उपरोक्त कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तैयार की गई पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए अभ्यर्थियों की पृथक–पृथक प्ररूप–5 अंतिम सूची जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत की जावेगी। अभ्यर्थियों की प्ररूप–5 में अंतिम सूची के आधार पर मतपत्रों का मुद्रण जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा जिला स्तर पर कराया जायेंगा।

18. **चुनाव पश्चात् मतगणना कराना :–** पंच एवं सरपंच चुनाव के मतदान समाप्ति पश्चात् राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 49 व 50 (परिशिष्ट–4) के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर मतगणना करवाई जायेंगी।

(i.) मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद की जायें। यह गणना आपकी (रिटर्निंग अधिकारी की) देख–रेख में तथा निर्देशानुसार की जायेगी। मतदान दलों के सभी सदस्य आपकी सहायता हेतु उपलब्ध हैं।

(ii.) आपके पास सील बन्द मतपेटियां समस्त मतदान बूथों से मतगणना स्थान पर आ जायेंगी। यह संतुष्टि कर लें कि समस्त प्रयुक्त मतपेटियां आ गयी हैं। यदि पंचायत मुख्यालय के बाहर उसी पंचायत के किसी गांव में बहुत ही विशेष परिस्थितियों में बूथ स्थापित किया गया है तथा उनकी मतदान पेटियां आने में कुछ देरी भी हो तो

www.rajteachers.com

भी अभ्यर्थियों की जानकारी में लाते हुए बाकी मतपेटियों की मतगणना प्रारम्भ कर दें।

(iii.) मतगणना में आपके स्टाफ के अलावा पंच व सरपंच के उम्मीदवार एवं सरपंच के दो गणन अभिकर्ता भी बैठ सकते है। जिन पंचायत सर्किलों के वार्डों की संख्या 20 या अधिक है तो सरपंच पद के अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 2 से अधिक गणन अभिकर्ताओं की संख्या को जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा आवश्यकतानुसार अनुमत किया जा सकेगा। [नियम 70 (1)]।

(iv.) मतगणना स्थल की व मतगणना प्रारम्भ करने के समय की सूचना सभी उम्मीदवारों को पहले से ही दे दी जायें।

(v.) आपके पास मतपत्र रखने हेतु कुछ काउंटिंग ट्रे और कुछ खाली मतपेटियॉ भी होंगी जिनका उपयोग मतगणना में मतपत्र रखने के लिये किया जा सकता है।

(vi.) सबसे पहले एक मतपेटी में से समस्त मतपत्र निकालकर सरंपच व वार्ड पंच के मतपत्र कागज के रंग के अनुसार अलग–अलग कर दें।

(vii.) दूसरी छंटनी में पंच पद के वार्डवार मतपत्र अलग–अलग कर दिये जायें।

(viii.) तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड के पंच मतपत्रों व सरपंच मतपत्रों की 50–50 की गड्डी को रबड़ बैन्ड से बांध दिया जाये। प्रत्येक वार्ड में व पंचायत में एक–एक गड्डी ऐसी हो सकती है जिसमें 50 से कम मतपत्र हों। इस प्रकार गड्डियां बनने के बाद उस मतदान बूथ के प्रत्येक वार्ड में डाले गये पंच मतपत्रों की संख्या एवं सरपंच पद के मतपत्रों की संख्या एक कागज पर नोट कर लें।

(ix.) उपरोक्त प्रकार से बिन्दु संख्या (vi) से (viii) में वर्णित प्रक्रिया को दोहराते हुये प्रत्येक मतपेटी के मतों को बाहर निकाल कर गड्डियां बना लेगें एवं प्रत्येक मतपेटी से निकले मत पत्रों की संख्या को कागज पर नोट कर लेगें।

(x.) तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड के मतपत्रों को मतदान दलों के एक–एक कर्मचारी को गणना हेतु सुपुर्द कर दिया जाए व सरपंच के मतपत्रों की गणना स्वयं करें जिससे कार्य जल्दी समाप्त हो जाय। प्रत्येक मतगणना कर्मचारी एक स्लिप पर प्रत्येक उम्मीदवार तथा नोटा (इनमें से कोई नहीं) को मिले मतों की संख्या अंकित कर हस्ताक्षर कर दें। उस स्लिप पर वार्ड संख्या अवश्य लिखें। इस प्रकार यह कर्मचारी प्रत्येक उम्मीदवार व नोटा के मतपत्रों की रबड़ बैण्ड की सहायता से बनायी गड्डियों को एक पैकेट में बांध कर तथा सबसे ऊपर उपरोक्त स्लिप रख कर आपको दे दें। इस मतगणना में संदेहास्पद (doubtful) मतपत्रों की गड्डी बनाना जरूरी नहीं है। प्रत्येक मतगणना कर्मचारी यदि कहीं आवश्यकता समझे तो विवादास्पद मतपत्र के सम्बन्ध में आपसे तुरन्त निर्णय प्राप्त कर उक्त मतपत्रों को या तो संबंधित उम्मीदवार की गड्डी में सम्मिलित कर दे या खारिज मतपत्रों की गड्डी में रख दे। आप इन खारिज मतपत्रों को पुनः देखकर व संबंधित उम्मीदवारों को बताकर अन्तिम निर्णय कर लें। ऐसे खारिज मतपत्रों पर खारिज करने के कारण की सील लगाकर हस्ताक्षर कर दें। यदि कोई उम्मीदवार ऐसे खारिज मतपत्रों की क्रम संख्या जानना चाहें तो आप उन्हें नोट करा दें।

(xi.) मतगणना के दौरान यदि कोई उम्मीदवार पुनः गणना कराने हेतु आधार बताते हुये आग्रह करें और आप उचित समझें तो पुनः गणना करा दें जिससे उनमें विश्वास पैदा हो जाय। ऐसा करना ज्यादा उपयुक्त उन मामलों में होगा जहां किन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच बहुत ही कम मतों का अन्तर हो।

(xii.) मतगणना पूरी करने के बाद पंच चुनाव के वैद्य मत लिफाफा संख्या P-9 एवं खारिज मत लिफाफा संख्या P-29 में एवं इसी प्रकार सरपंच चुनाव के वैद्य मत लिफाफा

www.rajteachers.com

संख्या P-8 में एवं खारिज मत लिफाफा संख्या P-28 में रखे जायेंगे। ये सभी लिफाफे सील किये जायेंगे।

19. **परिणामों की घोषणाः**— राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 51 व 52 के अन्तर्गत पंच एवं सरपंच पद के लिये प्राप्त मतों का विवरण प्ररूप—7 (परिशिष्ट—10) में अंकित कर परिणाम घोषित कर दिया जायें। उक्त फार्म की हस्ताक्षरित प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को प्रेषित कर दी जायें।
    - (i.) आयुक्त, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
    - (ii.) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)।
    - (iii.) नव—निर्वाचित सरपंच।
    - (iv.) पंचायत कार्यालय (यदि कोई हो)।
    - (v.) पंचायत समिति कार्यालय को, (जिसमें यह पंचायत सम्मलित हैं)
20. **प्रतिभूति निक्षेप राशि को लौटाना या जब्त करनाः**— चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद सरपंच चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें कुल डाले गये वैध मतों का 1/6 भाग अथवा इससे अधिक मत मिले हैं, उनकी प्रतिभूति निक्षेप की राशि लौटा दी जायेगी। सरपंच चुनाव लड़ने वाले शेष ऐसे अभ्यर्थियों जिन्हें कि कुल डाले गये वैद्य मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त हुये हैं, उनकी प्रतिभूति निक्षेप राशि जब्त कर ली जायेगी, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ एक से अधिक बार प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करायी हो तो उनकी केवल एक नामांकन पत्र के साथ जमा की गयी राशि ही जब्त की जायेगी, शेष लौटा दी जायेगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि चुनाव में विजयी उम्मीद्वार के मत कुल वैद्य मतों के 1/6 से कम है तब भी उन्हें प्रतिभूति निक्षेप राशि वापिस की जायेंगी। प्रतिभूति निक्षेप राशि को लौटाने एवं राजकोष में जमा कराने की विस्तृत प्रक्रिया के अनुरूप मतगणना के पश्चात् निक्षेप राशि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को प्रपत्र—1 (परिशिष्ट—32) में आवेदन करना होगा। जब्त तथा अवितरित राशि प्रपत्र—2 (परिशिष्ट—32) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को निर्धारित लिफाफे में एवं काउन्टर पर जमा करानी होगीं।
21. **चुने गये अभ्यर्थियों को शपथ दिलाना :—** पंचों व सरपंचों के चुनाव परिणाम घोषित होते ही पंच व सरपंच के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्धारित प्ररूप—11 (परिशिष्ट—18) में शपथ दिलाना, ताकि वे उप सरपंच के निर्वाचन के लिए होने वाली बैठक में शामिल हो सके।
22. **उपसरपंच का चुनाव करानाः—** पंच एवं सरपंच चुनाव का परिणाम घोषित करने के पश्चात् अगले दिवस को उक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपसरपंच का चुनाव सम्पन्न कराया जायेंगा । जिसका विस्तृत विवरण अध्याय—7 उपसरपंच का चुनाव में समझाया गया हैं।
23. **निर्वाचन रिकार्ड जमा करानाः**— रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पंच/सरपंच के चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड निम्नानुसार तैयार कर निर्धारित लिफाफे (परिशिष्ट—15) में रखकर जो लिफाफे सील योग्य है उन्हें सील कर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा अधिकृत अधिकारियों को संभलवा दिये जायें।

    1) निम्न कागजात का बड़ा लिफाफा। (सील नहीं होगा) P—1
        a. मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व उनकी सूची।
        b. मतदान अभिकर्ता व गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के उपयोग में लाये गये फार्म।
        c. कार्यकारी मतदाता सूची की अन्य प्रतियां एवं अन्य कागजात।
    2) वैध मतपत्र (सरपंच) (सील करना है) P—8
    3) वैध मतपत्र (पंच) (सील करना है) P—9
    4) मतगणना में खारिज मतपत्र (सरपंच) (सील करना है) P-28

www.rajteachers.com

5) मतगणना में खारिज मतपत्र (पंच) (सील करना है) P–29
6) पंच/सरपंच के सांख्यिकीय आंकड़े (सील नहीं होगा) P–10
   a. सांख्यिकीय फार्म (पंच)
   b. सांख्यिकीय फार्म (सरपंच)
   c. बूथवार – मतदान के आंकडे (महिला/पुरूष/थर्ड जेण्डर वार)
7) प्ररूप–7 (निर्वाचन परिणाम पत्र) (सील नहीं होगा) P–11
8) प्रतिभूति निक्षेप संबंधी रसीद बुक व जब्त राशि (सील नहीं होगा) P–42
9) लिफाफा जिसमें निम्न कागज होंगे– (सील नहीं होगा) P–33
   a. पंच/सरपंच चुनाव संबंधित पिंक पेपर सील का लेखा
   b. अप्रयुक्त व क्षतियुक्त पेपर सीलें
   c. शेष फार्म
10) पीठासीन अधिकारी की डायरी तैयार करना (परिशिष्ट 23–B)
11) डाक के लिफाफे परिणाम पत्र भेजने हेतु
12) उप सरपंच चुनाव के वैद्य एवं अवैद्य मतपत्र (सील होगा) P–40
13) उप सरपंच चुनाव का अन्य रिकार्ड (सील होगा) P-41

24. **अन्य कार्य :–**

(i) मतदान के दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित मतदान भवन/भवनों पर मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक बूथ पर मतदान दल के सदस्यों में काम बांटना व सामान्य पर्यवेक्षण करना।

(ii) मतदान समाप्ति के बाद पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन से संबंधित समस्त कागज पत्रों को संबंधित मतदान अधिकारियों से तैयार करवाना।

(iii) जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य की मतपेटियों को पृथक् से सुरक्षित रखना तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्दिष्ट किये गये अधिकारी को सुपुर्द करना साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि जिला परिषद् सदस्य व पंचायत समिति के चुनाव वाली मतपेटी एवं उनसे संबंधित कागज पत्र किसी प्रकार से पंच/सरपंच चुनाव के मतपेटी या कागज पत्रों में मिक्स नहीं हो जायें। यह देखना है कि इन चुनावों से संबंधित कागज पत्र पृथक् एवं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं तथा इसे सुरक्षित अवस्था में ही जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि को उनके निर्देशानुसार सुपुर्द करना।

(iv) उप सरपंच का चुनाव सम्पन कराने के पश्चात् ही जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्देशित स्थान के लिए अपने मतदान दल के सदस्यों के साथ प्रस्थान करना है। यदि उस दिन आपका गन्तव्य स्थान जिला मुख्यालय है तो निर्वाचन कागजात यथा निर्दिष्ट रीति से जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जायें।

25. **मतदान का स्थगन/पुर्नमतदानः–**

(i.) **मतदान का स्थगन** :– राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन के नियम–48 (परिशिष्ट–4) के अन्तर्गत मतदान का स्थगन केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जायें स्थगन का ब्यौरा तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को सूचित किया जायें, उनके निर्देशानुसार आगे कार्यवाही करें।

(ii.) **मतपेटियों के क्षतिग्रस्त आदि होने की स्थिति में पुनः मतदान (नियम 48 ए)**:– यदि किसी मतदान केन्द्र/बूथ से कोई मतपेटी दुर्घटनावश या जानबूझकर क्षतिग्रस्त हो जाती है, या खो जाती है, या तोड़–फोड़ कर दी जाती है जिससे उस मतदान केन्द्र/बूथ पर हुये मतदान का परिणाम प्रभावित हो जाता है तो ऐसी घटना की पूर्ण रिपोर्ट पीठासीन

www.rajteachers.com

अधिकारी की डायरी में अंकित करेगें एवं आप तुरन्त रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजेंगे।

यदि किसी मतदान केन्द्र/बूथ पर मतदान प्रक्रिया में कोई त्रुटि या अनियमितता हो जाती है, जिससे मतदान दूषित हो जाता है तो ऐसे प्रकरण में आप रिपोर्ट तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजेंगे।

यह भी उल्लेखनीय है कि पंच/सरपंच निर्वाचन के लिए आप रिटर्निंग अधिकारी हैं, पंच/सरपंच निर्वाचन से संबंधित ऐसी रिपोर्ट आप रिटर्निंग अधिकारी की हैसियत से भेजेंगे।

जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन की रिपोर्ट संबंधित मतदान अधिकारी तैयार करेगा एवं अपनी रिपोर्ट पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) दोनों को भेजेंगा।

यह रिपोर्ट आप शीघ्र भेजेंगे, जिससे जिला निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी की रिर्पोट राज्य निर्वाचन आयोग तक आने में कोई विलम्ब न हो।

(iii.) **बूथ केप्चरिंग की स्थिति में पुनः मतदान (नियम 48 ख)**:– यदि मतदान केन्द्र पर बूथ केप्चरिंग कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति की रिपोर्ट उपरोक्त बिन्दु संख्या (ii) में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार भेजेंगे।

(iv.) **मतगणना के दौरान मतपत्र खो जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना (नियम 49 ए)**:– पंचायत मुख्यालय पर आपको पंच एवं सरपंच चुनाव के मतपत्रों की गणना भी करनी है। यदि मतगणना के दौरान आपकी अभिरक्षा से अवैध तरीके से मतपत्रों को ले जाया जाता है या दुर्घटनावश या जानबूझकर उनको क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, या खो दिया जाता है, या किसी प्रकार से विकृत कर दिया जाता है, जिससे कि मतदान का परिणाम सुनिश्चित करने में कठिनाई हो जाती हो तो ऐसी घटना की रिपोर्ट भी आप तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रेषित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के आदेश नहीं हो तब तक मतगणना का कार्य नहीं होगा, ऐसी स्थिति में आप समस्त मतपत्रों को एवं निर्वाचन संबंधी कागजात को उसी स्थिति में लिफाफों में या बक्सों में जो भी आपके पास उपलब्ध हैं, उनमें उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं के समक्ष सील कर दें यदि उनमें से कोई हस्ताक्षर करना चाहें तो उनसे हस्ताक्षर भी करवा लें तथा मतगणना का कार्य आगे नहीं बढ़ायें।

अतः आप इस संबंध में उपरोक्त खण्ड (i) से (ii) में बताई गयी कार्यवाही की रिर्पाट भली–भांति कागजात को देखकर भेजें। रिपोर्ट पूर्णतया स्पष्ट होनी चाहिये क्योंकि आपकी अस्पष्ट रिपोर्ट पर कार्यवाही संभव नहीं हो पायेगी। जब भी कोई रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजी जायें तो रिपोर्ट में मतदान केन्द्र/बूथ का नाम, वार्ड संख्या, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या तथा घटना का ब्यौरा अंकित किया जाये। रिटर्निंग अधिकारी की पुनः मतदान के संबंध में स्पष्ट अभिशंषा भी होनी चाहिये कि पुनः मतदान कराना क्यों जरूरी है। ऐसी रिपोर्ट भेजने पर रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना का कार्य भी रोक देंगे तथा राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के पश्चात् ही आगे की कार्यवाही संभव हो पायेगी। मतदान दल को तब तक अपने कागजात सील कर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को जमा करा देने चाहिये, यह अवश्य ध्यान रखा जायें कि किसी मामूली घटना को लेकर ही ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी जायें। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी यथा स्थान विवरण अंकित किया जाये।

www.rajteachers.com

अध्याय–7

उप सरपंच चुनाव

1. पंचायती राज अधिनियम की धारा 27(2) तथा पंचायती राज (निर्वाचन) नियमों के नियम 65 और 66 के अनुसार उप सरपंच चुनाव कराये जायेंगे।
2. उप सरपंच चुनाव आप द्वारा ''रिटर्निंग अधिकारी'' के पदनाम से कराया जायेंगा । नियम 65 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो अधिकारी पंच, सरपंच चुनाव के लिये रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त है, वही अधिकारी उप सरपंच चुनाव का भी रिटर्निंग अधिकारी है।
3. उप सरपंच चुनाव हेतु बुलायी गयी मीटिंग को पहली मीटिंग कहा जायेंगा [नियम 65(2)]।
4. **नोटिसः**– मीटिंग की नोटिस का फार्म नियमों में निर्धारित नहीं हैं। आपकी सुविधा के लिए एक मॉडल फार्म (परिशिष्ट–29) तैयार किया गया है। मीटिंग नोटिस के छपे हुये फार्म जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आपको उपलब्ध कराये जायेंगे जो यदि कम हो तो आप संलग्न फार्म की कार्बन की सहायता से आवश्यकतानुसार प्रतियां बनाकर प्रयोग में ले लें। मीटिंग नोटिस के छपे हुये फार्म भरकर पहले से तैयार रखें। समस्त चुनाव कार्यक्रम आपको जिला निर्वाचन अधिकारी ने पहले से ही दे दिया है। ये नोटिस (परिशिष्ट–29) समस्त निर्वाचित पंचों व सरपंच को दिये जाने हैं चाहे वे मौजूद हों या नहीं, व्यक्तिगत तामील नहीं होने की दशा में उनके घर पर नोटिस चस्पा कर तामील पूरी करनी है। यह नोटिस मतदान के लिये निर्धारित समय से कम से कम दो घण्टे पहले पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाना आवश्यक है। यदि मतदान 11.00 बजे पूर्वान्ह निर्धारित है तो नोटिस 9.00 बजे प्रातः तक चस्पा कर देना चाहिये [नियम 65(2)]।
5. **नामनिर्देशन पत्रः**–
   (i) नियमों में उप सरपंच चुनाव के लिए नामनिर्देशन पत्र का फार्म निर्धारित नहीं है, लेकिन इसके लिये एक मॉडल फार्म ''ख'' इस अध्याय में आगे बताया गया है। आप मॉडल फार्म की प्रतियां उप सरपंच चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्तियों को दे दें। यदि वे इस फार्म को प्रयोग नहीं करें और किसी कागज पर किसी उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करें तो भी स्वीकार करें। इस आधार पर नामनिर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जा सकता कि प्रस्तावक ने उक्त मॉडल फार्म (ख) में नामनिर्देशन पत्र नहीं भरा।
   (ii) उपसरपंच पद के लिये नामनिर्देशन पत्र या लिखित में प्रस्ताव, सरपंच या किसी निर्वाचित पंच जो उस मीटिंग में मौजूद हो, के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नामनिर्देशन पत्र आपको नोटिस के लिये निर्धारित समय में ही, प्रस्तुत किया जा सकता है। नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु नियम 66(1) में एक घण्टे का ही समय दिया हुआ है। यह एक घण्टे का समय उक्त नोटिस में निर्धारित समय में मीटिंग प्रारम्भ होने से गिना जायेंगा। यदि मीटिंग प्रारम्भ का समय नोटिस में 9.00 बजे प्रातः दिया गया हो तो नामनिर्देशन पत्र 10.00 बजे प्रातः तक ही लिये जा सकेंगे, बाद में नहीं। इस प्रस्ताव या नामनिर्देशन पत्र पर प्रस्तावक एवं अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। उम्मीदवार यदि मीटिंग में उपस्थित हों तो आप उसकी मौखिक स्वीकृति लेकर स्वयं उस प्रस्ताव पर यह तथ्य लिख दें। जो उम्मीदवार उस मीटिंग में उपस्थित नहीं है तथा नामनिर्देशन पत्र पर भी उसके हस्ताक्षर नहीं है, तो उसकी अलग से लिखित में स्वीकृति प्राप्त करना कानूनन जरूरी है। यदि प्रस्तावक ने अपने प्रस्ताव या नामनिर्देशन पत्र (मॉडल फार्म–''ख'') के साथ ही अनुपस्थिति उम्मीदवार की स्वीकृति संलग्न नहीं की है तो वह प्रस्ताव या नामनिर्देशन पत्र खारिज हो जायेंगा। यह प्रावधान आप मीटिंग प्रारम्भ होते ही बता दें।
   (iii) ऐसे प्रस्ताव या नामनिर्देशन पत्र पर प्राप्ति का समय अंकित कर हस्ताक्षर कर दें।

www.rajteachers.com

(iv) उप सरपंच पद के लिये केवल निर्वाचित पंच ही खड़े हो सकते हैं [नियम 66(1)]।

6. **नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों की सूची**:– नामनिर्देशन पत्र या प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय के पश्चात् आप नियम 66(3) के अनुसार एक कागज पर समस्त उम्मीदवारों के नाम लिखकर मीटिंग में पढ़ देवें।

7. **जाँच**:– तत्पश्चात समस्त प्रस्ताव व नामनिर्देशन पत्र उपस्थित पंच, सरपंच तथा विशेषतया उम्मीदवारों को बता देवें और कोई एतराज हो तो वह भी सुन लेवें तथा अपने निर्णय अंकित कर दें। यदि कोई नामनिर्देशन खारिज करें तो संक्षिप्त में उसका कारण अवश्य लिखें। ये प्रस्ताव तथा नामनिर्देशन पत्र निम्न कारणों से खारिज किये जा सकते हैं।
   (i) प्रस्ताव या नामनिर्देशन पत्र पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर नहीं हैं।
   (ii) प्रस्ताव या नामनिर्देशन पत्र निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
   (iii) प्रस्ताव के साथ अनुपस्थित उम्मीदवार की लिखित में स्वीकृति नहीं है।
   (iv) उम्मीदवार, निर्वाचित पंचों में से नहीं है।

8. **चुनाव लड़ने वालों की सूची एवं मतदान प्रक्रिया**:– नामनिर्देशन पत्रों की जांच समाप्त करते ही चुनाव लड़ने वालों की सूची प्ररूप–5 में तैयार करेंगे तथा जिनके नाम, नामनिर्देशन पत्रों की समीक्षा में सही पाये गये हैं उनके नाम मीटिंग में पढ़कर सुनायेंगे। ये नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रम में होंगे। यदि केवल एक ही उम्मीदवार हैं तो उसे उप सरपंच के लिये निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी चुनाव में खड़े होते हैं तो गुप्त मतदान से वोट डाले जायेंगे। उप सरपंच चुनाव में डाक द्वारा या प्रोक्सी द्वारा वोट देने का प्रावधान नहीं है। यदि एक भी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ होगी। उप सरपंच चुनाव के लिये नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार करेगा।

9. **मतपत्र**:– उप सरपंच चुनाव में गुप्त मतदान कराया जायेगा। इसके लिये मतपत्र का प्रयोग किया जायेगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को चुनाव चिन्ह् आवंटित होगा जो सरपंच मतपत्र में वर्णित चुनाव चिन्हों के क्रमानुसार होगा। अभ्यर्थियों की सूची को हिन्दी वर्णमाला के अनुसार तैयार किया जायेगा एवं सरंपच पद के लिये निर्धारित चुनाव चिन्ह् जो पहले से ही छपे हुये के अनुसार उप सरपंच पद के अंतिम अभ्यर्थियों को क्रमांनुसार चुनाव चिन्ह् का आवंटन होगा। अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प व चिन्ह अंकित किया जायेगा। यदि एक नाम के दो अभ्यर्थी हैं तो उन्हें पिता के नाम से सुभिन्न किया जायेगा। मतपत्र का स्वरूप राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।

   उप सरपंच मतपत्र के खाली फार्म जिसमें चुनाव चिन्ह मुद्रित होंगे लेकिन अभ्यर्थी के नाम की जगह खाली रहेगी आपको जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने सांविधिक आदेश संख्या 12/94 दिनांक 29.12.94 से उप सरपंच चुनाव के लिये मतपत्र का प्रारूप सरपंच चुनाव के मतपत्र के प्रारूप के समान ही विनिर्दिष्ट किया हुआ है। उप सरपंच मतपत्र को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्र की पीठ पर हस्ताक्षर कर अधिप्रमाणित किया जायेगा।

10. **मतदान** :–
   (i) मतदान के लिये मतदाताओं (पंच/सरपंच) को ऐरोक्रास मार्कसील देवें।
   (ii) मतदान के दौरान मतदाताओं (पंच/सरपंच) की सूची को मतदान अधिकारी द्वारा मतपत्र जारी करने से पूर्व टिक (√) किया जायेंगा।
   (iii) मत अभिलिखित करते समय मतदाता (पंच/सरपंच) मतपत्र को मोड़कर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष रखी मतपेटी में डालेगा। यदि मतदाता मत की गोपनीयता भंग करे तो उससे मतपत्र लेकर निरस्त कर दिया जायें और इस आशय का अंकन मतपत्र पर करते हुये रिटर्निंग अधिकारी हस्ताक्षर करेगा।

www.rajteachers.com

(iv) यदि कोई मतदाता शारीरिक अक्षमता के कारण या दृष्टिहीनता के कारण अपना वोट नहीं दे सके तो रिटर्निंग अधिकारी मतदाता की सहायता करेगा।

11. **मतगणना** :– मतदान समाप्त होते ही वोटों की गिनती की जायेगीं। मतपत्र निम्न आधारों पर खारिज किये जा सकते हैं।
    - (i) यदि मतपत्र पर अंकित चिन्ह से या हस्ताक्षर से मतदाता की पहचान स्थापित होती हो।
    - (ii) यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों अथवा एक अभ्यर्थी तथा नोटा दोनों को मत अभिलिखित किया हो।
    - (iii) यदि मतपत्र के मुखपत्र पर कोई चिन्ह नहीं हो या पीठ पर चिन्ह लगाया हो या चिन्ह इस प्रकार लगा हो जिससे यह निश्चित नहीं हो पाये कि किसे वोट दिया गया है या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी एरोक्रास सील से भिन्न किसी अन्य उपकरण से चिन्ह लगाया हो।
    - (iv) यदि मतपत्र जाली हो।
    - (v) यदि मतदाता मतपत्र को गुप्त नही रख पाया हो।
12. **परिणाम की घोषणा** :– सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जायेंगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की संख्या समान होने पर लॉटरी निकाली जायेगी। परिणाम की घोषणा प्ररूप–7 (परिशिष्ट–10) में होगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि नोटा को प्राप्त मतों की चुनाव परिणाम अभिनिश्चित करने में कोई भूमिका नही होगी।
13. **रिकार्ड व लिफाफे** :– मतगणना के पश्चात् खारिज किये गये व विधिमान्य स्वीकृत किये गये मतपत्रों को रबड़ बैण्ड से अलग–अलग बांधकर एक ही लिफाफा संख्या P–40 में रख कर सील कर देवें। उपसरपंच संबंधित अन्य फार्म जैसे नामनिर्देशन पत्र, अभ्यर्थियों की सूची, मतदाताओं की सूची, नोटिस आदि को लिफाफा संख्या P–41 में रख दिया जायें। इस लिफाफे को सील नहीं करना है।

मॉडल फार्म – ख
नामनिर्देशन–पत्र
उप सरपंच चुनाव, ...

..... पंचायत ..... पंचायत समिति .....जिला

मैं श्री/श्रीमती ..... (उम्मीदवार का नाम) जो उक्त पंचायत में निर्वाचित पंच है, का नाम उप सरपंच पद के लिये उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करता हूँ/करती हूँ।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
या अंगूठे के निशान

मेरी सहमति है

हस्ताक्षर अभ्यर्थी,

दिनांक .....

निर्वाचित पंच/सरपंच

जो शब्द उपर्युक्त न हो काट दीजिए।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–1
(देखें अध्याय–1, पैरा 2)

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के उद्धरण

171. घ. निर्वाचनों में प्रतिरूपणः– जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिये आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिये आवदेन करता है और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है या उत्पात करता है या उत्पात करने का प्रयत्न करता है वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है।

172. च. निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिये दण्डः– जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेंगा।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–2

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से निर्वाचन अपराध संबंधी उद्धरण

125. **निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करनाः–** जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनायें भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गो के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेधः–

(1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिये मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घन्टों की कालावधि के दौरानः–

(क) निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलायेगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा या

(ख) चलचित्र, टेलिविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा या

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद–प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

(2) वह व्यक्ति, जो उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेंगा तो कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा में, ''निर्वाचन संबंधी बात'' पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है।

127. **निर्वाचन सभाओं में उपद्रवः–**

(1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में जिसके, संबंध में यह धारा लागू है, उस कारबार के संव्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह सभा बुलाई गई है, विच्छृंखलता से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिये उदीप्त करेगा (वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा)।

(1क) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यह धारा राजनीतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा में लागू है जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिये निर्वाचन–क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र में की गई है।

(3) यदि कोई पुलिस आफिसर किसी व्यक्ति पर युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने उप–धारा (1) के अधीन अपराध किया है तो सभा के सभापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरंत

www.rajteachers.com

अपना नाम और पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इन्कार करता है या बताने में असफल रहता है या पुलिस आफिसर उसकी बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता दिया है, तो पुलिस आफिसर उसे वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।

127. **(क) पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धनः–**

(1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और ना ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को–

(क) उस दशा के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और ना ही मुद्रित करायेगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है, तथा

(ख) उस दशा के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और ना ही मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित–

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन आफिसर को, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) दस्तावेज की अनेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और ''मुद्रक'' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा, तथा

(ख) ''निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर'' से किसी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं की चर्चा संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता हैं।

(4) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

128. **मतदाता की गोपनीयता को बनाए रखनाः–**

(1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संबंधित किसी कर्त्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित नहीं करेगा।

www.rajteachers.com

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोंनों से, दण्डनीय होगा।

129. **निर्वाचनों में आफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए न तो कार्य करेंगे और ना ही मत दिए जाने में कोई असर डालेंगेः–**

(1) कोई जिला निर्वाचन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान आफिसर है या ऐसा आफिसर है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रेसर करने के लिए नहीं करेगा।

(2) उपरोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस दल का कोई भी सदस्य–

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिये मनाने का, और ना ही

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का, और ना ही

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के असर डालने का, प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

130. **मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेधः–**

(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को, जिनको किसी मतदान बूथ में मतदान होता है, मतदान बूथ के भीतर या मतदान बूथ से (एक सौ मीटर) की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कायों से कोई कार्य न करेगा, अर्थात्ः–

(क) मतों के लिए संयाचना,

(ख) किसी निर्वाचक से उनके मत की याचना करना,

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना, और

(घ) निर्वाचन में मत देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाना, और

(ड.) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

131. **मतदान केन्द्रों या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्तिः–**

(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान बूथ में मतदान होता है–

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधन मतदान बूथ के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ौस में किसी लोक स्थान या प्राईवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लायेगा और ना ही चलायेगा, और ना ही

www.rajteachers.com

(ख) मतदान बूथ के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ौस के किसी लोक स्थान या प्राईवेट स्थान में ऐसे चिल्लायेगा या विच्छृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा, कि मतदान के लिए मतदान बूथ में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान बूथ में कर्त्तव्यारूढ़ अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लधंन में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डनीय होगा।

(3) यदि मतदान बूथ के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस आफिसर को निर्देश दे सकेगा कि वह इस व्यक्ति को गिरफ्तार करें और पुलिस आफिसर उस पर उसे गिरफ्तार करेगा।

(4) कोई पुलिस आफिसर ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उप–धारा (1) के उपबंधों में किसी उल्लघंन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाये गये किसी साधन को अभिग्रहित कर सकेगा।

132. **मतदान बूथ के अवचार के लिए शास्तिः–**

(1) जो कोई किसी मतदान बूथ में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन आफिसर के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुपालना में असफल रहता है, उसे पीठासीन आफिसर या कर्त्तव्यारूढ कोई पुलिस आफिसर या ऐसे पीठासीन आफिसर द्वारा एतन्निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान बूथ से हटा सकेगा।

(2) उप–धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियॉ ऐसे प्रयुक्त नहीं की जाऐंगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान बूथ में मत देने के लिए हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाये।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान बूथ से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन आफिसर की अनुज्ञा के बिना मतदान बूथ में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

132क. **मतदान करने के लिये प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्तिः–** यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इन्कार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।

133. **निर्वाचनों में प्रवहणों के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्तिः–** यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है, जैसा धारा 123 के खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

134. **निर्वाचनों में संसक्त पदीय कर्त्तव्य के भंगः–** यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्त्तव्य के भंग में किसी कार्य के लोभ का या युक्तियुक्त हेतु के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(1) (क) उप–धारा(1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोभ की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगी।

www.rajteachers.com

(3) वे व्यक्ति, जिन पर यह धारा लागू है या जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा ''पदीय कर्त्तव्य'' पदावली या अर्थ इस धारा के लिए तदनुसार लगाया जायेंगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्त्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित हैं।

134.क. **निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्तिः–** यदि सरकार की सेवा का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

134.ख. **मतदान बूथ या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिशेधः–**

(1) रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन अधिकारी और किसी पुलिस आफिसर से तथा मतदान बूथ पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिये नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान बूथ पर कर्तव्यरूढ़ है भिन्न कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान बूथ के आस–पास आयुध अधिनियम, 1959 में परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सुसज्जित होकर नहीं जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) आयुध अधिनियम,1959 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उक्त अधिनियम में परिभाषित एसे आयुध, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुधों के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहत की गई समझी जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संदेय होगा।

135. **मतदान बूथ से मतपत्रों को हटाना अपराध होगाः–**

(1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान बूथ से मतपत्र अप्राधिकृत रूप से बाहर ले जायेंगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि मतदान बूथ के पीठासीन अफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा आफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान बूथ छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आफिसर को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस आफिसर द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा, परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा, शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, तलाशी ली जायेगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा पुलिस आफिसर के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस आफिसर द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा आफिसर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

www.rajteachers.com

(4) उप–धारा (1) के अधीन दण्डीय अपराध संज्ञेय होगा।

135.क. **बूथ के बलात् ग्रहण का अपराधः**– जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दडनीय होगा।

स्पष्टीकरणः– इस उपधारा और धारा 20ख के प्रयोजनों के लिए ''बूथ का बलात् ग्रहण'' के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात्ः–

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान बूथ या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित करना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान बूथ या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को उसके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना;

(ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रपीड़ित करना या अभित्रस्त करना या धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान बूथ या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित करना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;

(ड.) सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौन अनुमति देना।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135ख. **मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश संदेय होगा** –

(1) किसी व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेंगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी ओर यदि एसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है तो उसे सामान्यतः किसी ऐसे दिन के लिये मजदूरी प्राप्त नहीं होती तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर ने किए जाने की दशा में दी गई होती।

(3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंधन करेगा, तो एसे नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

www.rajteachers.com

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उप नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

135ग. **मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना, न दिया जाना ओर न वितरण किया जाना**:–

(1) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घण्टे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजन, पॉकशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राईवेट स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त, क्रिण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधो का उल्लघंन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनो से, दण्डनीय होगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां स्पिरिट युक्त, क्रिण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होगें और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

136. अन्य अपराध और उनके लिये शास्तियां:–

(1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्तिः–

(क) कोई नामनिर्देशन–पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा, अथवा

(ख) रिटर्निंग आफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरुपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा, अथवा

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र के शासकीय चिन्ह या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक–मतपत्र देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरुपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा, अथवा

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति का कोई मतपत्र देगा, (या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा), अथवा

(ड.) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा, अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यो में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यो के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यो का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्तिः–

(क) यदि वह रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर या मतदान बूथ में पीठासीन आफिसर या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित

www.rajteachers.com

कोई अन्य आफिसर या लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा,

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गये मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उतरदायी रहे किन्तु ''पदीय कर्तव्य'' पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किये जाने से अन्यथा अधिरोपित है।

(4) उप–धारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–3

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 से उद्धरण

18–क मिथ्या घोषणा करनाः– यदि कोई व्यक्ति–

(क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के, अथवा

(ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित किये जाने के,

संबंध में ऐसा कथन या घोषणा लिखित रूप में करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

18–ग मत देने का अधिकार–

1. इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी पंचायतीराज संस्था के किसी भी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार होगाः
2. कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह धारा 18 की उप–धारा (3) में निर्दिष्ट किन्हीं भी निरर्हताओं के अध्याधीन है।
3. कोइ भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन में एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत देता है तो ऐसे सभी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों में के उसके मत शून्य समझे जायेंगे।

   स्पष्टीकरण – पंच या सरपंच या किसी पंचायत समिति के सदस्य या किसी जिला परिषद् के सदस्य के लिए निर्वाचन, जब साथ–साथ कराये जायें, पृथक्–पृथक् निर्वाचन समझे जायेंगे।
4. कोई भी व्यक्ति, किसी भी निर्वाचन में इस बात के होने पर भी कि उसका नाम एक ही वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित कर दिया गया है, उसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मत नहीं देगा और यदि वह इस प्रकार मत देता है तो उसके सभी मत शून्य समझे जायेंगे।
5. कोई भी व्यक्ति, यदि वह चाहे किसी दण्डादेश के अधीन या अन्यथा किसी जेल में परिरूद्ध हो या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हो, इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन में मत नहीं देगा।

19. किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएंः– किसी पंचायतीराज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायतीराज संस्था के पंच या, यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति–

(क) राजस्थान राज्य के विभाग मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित नहीं है;

परन्तु कोई भी व्यक्ति यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष की आयु से कम का है;

(कक) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीनानुसार फाइल की गयी किसी निर्वाचन याचिका के परिणामस्वरूप किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया गया है;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी विश्वविद्यालय या किसी भी ऐसे निगम, निकाय, उपक्रम या सहकारी सोसायटी, जो राज्य सरकार द्वारा या तो नियंत्रित या पूर्णतः

www.rajteachers.com

या अंशतः वित्त पोषित है, के अधीन कोई वैतनिक पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण नहीं करता है;

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अवचार के कारण राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत नहीं किया गया है और लोक सेवा में नियोजन के लिए निरर्हित घोषित नहीं किया गया है;

(घ) किसी भी पंचायतीराज संस्था के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण नहीं करता है;

(ङ) संबंधित पंचायतीराज संस्था से, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपने द्वारा या अपने भागीदार, नियोजक या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अंश या हित, किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित का स्वामित्व रखते हुए, नहीं रखता है;

(च) कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है;

(छ) किसी भी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और छः मास या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है, ऐसा दण्डादेश तत्पश्चात उलट दिया गया हो या उसका परिहार कर दिया गया हो या अपराधी को क्षमा कर दिया गया हो;

(छछ) ऐसे किसी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है जिसने उसके विरूद्ध ऐसे किसी अपराध का जो पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय हो, संज्ञान ले लिया है और आरोप विरचित कर दिये हैं;

(ज) धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए तत्समय अपात्र नहीं है;

(झ) संबंधित पंचायतीराज संस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फीस की रकम, को, उसके लिए मांग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो मास तक असंदत्त नहीं रखे हैं;

(ञ) संबंधित पंचायतीराज संस्था की ओर से या उसके विरूद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित नहीं है;

(ट) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है;

(ठ) दो से अधिक बच्चों वाला नहीं है;

(ड) पूर्व में किसी पंचायतीराज संस्था का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहते हुए पंचायतीराज संस्था के शोध्यों को जमा कराने के लिए ऐसी तारीख से जबकि ऐसा नोटिस/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पर तामील किया गया था, दो मास की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी शोध्य असंदत्त नहीं रखे हैं और उसका नाम, ऐसी पंचायतीराज संस्था के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो मास पूर्व, राज्य सरकार द्वारा कलक्टर (पंचायत) को उपलब्ध करायी गयी ऐसे व्यतिक्रमियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ढ़) राज्य की अनुसूचित जाति या अनुसचित जनजाति या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, उन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य हैः

(ण) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, महिला है; और

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, उन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य है और महिला है;

www.rajteachers.com

(थ) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नही जाता हो।

स्पष्टीकरण II :–

1. "स्वच्छ शौचालय" से तात्पर्य तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जलबंद (Water sealed) शौचालय प्रणाली से हैं।

2. ''परिवार के सदस्य'' में व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और उसके साथ निवास कर रहे उसके माता–पिता से अभिप्रेत है।

इस प्रकार उक्तानुसार जिस व्यक्ति के घर में कार्यशील शौचालय नहीं हो तो तथा जिसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए जाता हो, वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा। इसके लिए घोषणा/अण्डरटेकिंग का प्रारूप आयोग द्वारा तैयार किया गया है। जिसे अभ्यर्थी से प्राप्त किया जाना है तथा जिसके लिए आपको आवश्यक होने पर अभ्यर्थी को मीमों दिया जाना है।

परन्तु–

(i) किसी व्यक्ति को किसी भी निगमित कम्पनी या राजस्थान राज्य में तत्समय प्रवृत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी में केवल अंशधारी या उसका सदस्य होने के कारण से कम्पनी या सहकारी सोसाइटी और पंचायतीराज संस्था के बीच की गई किसी भी संविधा में हितबद्ध नहीं ठहराया जायेंगा;

(iक) खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति खण्ड (कक) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से छः वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित समझा जायेंगा;

(ii) खण्ड (ग), (छ) और (ट) के प्रयोजनों के लिए कोई भी व्यक्ति उसकी पदच्युति की तारीख या, यथास्थिति, दोषसिद्धि की, तारीख से छह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात निर्वाचन के लिए पात्र हो जायेंगा;

(iii) खण्ड (झ) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को तब निरर्हित नहीं समझा जायेंगा यदि वह उससे शोध्य कर या फीस की रकम अपना नाम निर्देशन दाखिल करने की तारीख के पूर्व संदत्त कर देता है;

(iv) खण्ड–(ठ) के प्रयोजन के लिए

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख, जिसे इस परन्तुक में आगे ऐसे प्रारम्भ की तारीख कहा गया है, से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्में किसी अतिरिक्त बच्चे पर विचार नहीं किया जायेगा;

(ख) कोई व्यक्ति जिसके दो से अधिक बच्चे हैं (ऐसे प्रारम्भ का तारीख से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मा बच्चा, यदि कोई हो, को छोड़कर), उस खण्ड के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को रही उसकी बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं होती;

(ग) बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे बच्चे को नही गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मा हो और दिव्यांगता से ग्रसित हो;

स्पष्टीकरण:–शब्द दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित होंगी।

(v) खण्ड (छ) के प्रयोजनो के लिये, किसी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को निरर्हित नहीं समझा जायेंगा यदि वह अपना नाम निर्देशन पत्र फाईल करने के पूर्व उससे शोध्य रकम संदाय कर देता है।

www.rajteachers.com

19–ख किसी पंचायती राज संस्था में एक से अधिक स्थानों के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध–
(1) इस अधिनियम के किन्हीं भी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई व्यक्ति–

(क) पंच के निर्वाचन की दशा में एक से अधिक वार्डों के लिए,

(ख) यदि वह सरपंच के रूप में निर्वाचन लड़ता है तो उस पंचायत में पंच के स्थान के लिए,

(ग) किसी पंचायत समिति के सदस्य के निर्वाचन की दशा में उस पंचायत समिति के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए,

(घ) जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन की दशा में उस जिला परिषद् के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, निर्वाचन लड़ने का हकदार नहीं होगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी पंचायतीराज संस्था के स्थानों के लिए एक से अधिक वार्ड या, यथास्थिति, निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप–धारा(1) के उल्लघंन में अपना नाम निर्देशन फाइल कर दिया हो, एक को छोड़कर सभी स्थानों से अपनी अभ्यर्थिता लिखित सूचना द्वारा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो विहित की जायें, वापस लेगा और नाम निर्देशन वापस लेने के लिए नियत समय और तारीख के पूर्व परिदत्त करेगाः

परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऊपर विनिर्दिष्टानुसार अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने में विफल रहता है तो उसके बारे में यह समझा जायेंगा कि उसने उन सभी स्थानों से, जिनके लिए उसने अपना नाम निर्देशन फाइल किया हो, अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली हैं।

22. निर्वाचन अपराधः– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 125, 126, 127, 127 क, 128, 129, 130, 131, 132, 132–क, 133, 134, 134 क, 134 ख, 135, 135 क, 135 ख, 135 ग और 136 के उपबंध ऐसे प्रभावी होगें मानो–

(क) किसी निर्वाचन के प्रति उनमें निर्देश इस अधिनियम के अधीन के किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश हों;

(ख) किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उनमें निर्देशों में, किसी पंचायती राज संस्था के किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र के प्रति निर्देश सम्मिलित हों,

(ग) उसकी धारा 134 और 136 में, शब्दों ''इस अधिनियम के द्वारा या अधीन'' के स्थान पर शब्द और अंक ''राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के द्वारा या अधीन'' प्रतिस्थापित किये हुए हों; और

(घ) धारा 135 ख की उप–धारा (1) में अभिव्यक्ति ''लोकसभा या विधानसभा'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''पंचायतीराज संस्था'' प्रतिस्थापित की हुई हो।

22–क. यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बधन

(1) राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतीराज संस्था के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी अभ्यर्थी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कटआउटों, होर्डिगों, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बधंन अधिरोपित कर सकेगा।

(2) यदि कोई भी अभ्यर्थी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता, उप–धारा (1) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निर्बधनों में से किसी का भी उल्लघंन करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो 2000 रू. तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) उप–धारा (1) के अधीन दंडित प्रत्येक व्यक्ति आयोग के आदेश से, किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी कालावधि के लिए, जो ऐसे

www.rajteachers.com

आदेश की तारीख से छह वर्ष तक की हो सकेगी, निरर्हित किये जाने का दायी होगाः

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा, इस धारा के अधीन किसी भी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरर्हता की कालावधि को कम सकेगा।

(4) कोई भी न्यायालय उप–धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध का, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा।

23. निर्वाचन परिणामों का प्रकाशनः– ऐसे व्यक्तियों के नाम, जो चाहे पंचायतीराज संस्था के सदस्य निर्वाचित किये गये हों या ऐसी संस्थाओं के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, विहित रीति से प्रकाशित किये जायेंगे।

24. शपथ या प्रतिज्ञानः– किसी पंचायतीराज संस्था का प्रत्येक सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस रूप में अपना कर्त्तव्य ग्रहण करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विहित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

26. सरपंच और उसका निर्वाचनः– (1) प्रत्येक पंचायत में एक सरपंच होगा जो पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हित व्यक्ति होना चाहिए और वह सम्पूर्ण पंचायत सर्किल के निर्वाचकों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित किया जायेंगा।

(2) यदि किसी पंचायत सर्किल के निर्वाचक इस धारा के अनुसार सरपंच का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं या यदि पंच, उप–सरपंच का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार रिक्ति पर, ऐसी रिक्ति के, छह मास की कालावधि के भीतर–भीतर निर्वाचन द्वारा भरे जाने तक, किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति सम्यक् रूप से निर्वाचित सरपंच या, यथास्थिति उप–सरपंच समझा जायेंगा।

27. किसी पंचायत की स्थापना पर उप–सरपंच के निर्वाचन के लिए प्रक्रियाः– (1) प्रत्येक पंचायत में एक उप–सरपंच होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन पहली बार किसी पंचायत की स्थापना पर, या तत्पश्चात उसके पुनर्गठन या स्थापना पर पंचायत की एक बैठक सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुरन्त बुलायी जायेगी जो स्वयं बैठक की अध्यक्षता करेगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा और ऐसी बैठक में उप–सरपंच निर्वाचित किया जायेंगा।

38. हटाया जाना और निलंबनः– (1) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा और सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जॉच करने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाये, किसी भी पंचायतीराज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए, किसी भी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी, जो–

(क) कार्य करने से इंकार करता है या इस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(ख) कर्त्तव्य के निर्वहन में अवचार या किसी भी अपकीर्तिकर आचरण का दोषी है;

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी जॉच, संबंधित पंचायती राज संस्था की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी प्रारम्भ की जा सकेगी या, यदि ऐसी समाप्ति के पूर्व ही प्रारम्भ कर दी गई थी तो उसके पश्चात् जारी रखी जा सकेगी और किसी भी ऐसे मामले में, राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा, लगाये गये आरोपों पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन हटाया गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष राज्य सरकार के विवेक से, संबंधित पंचायती राज संस्था की सदस्यता, यदि कोई हो, से भी हटाया जा सकेगा।

(3) ऐसा सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो उप–धारा (1) के अधीन हटाया गया है या जिसके विरूद्ध निष्कर्ष उस उप–धारा के परन्तुक के अधीन अभिलिखित किये गये हैं, उसके हटाये जाने की तारीख या, यथास्थिति, उस तारीख, जिसको ऐसे निष्कर्ष अभिलिखित किये जाते हैं, से पांच वर्ष की कालावधि तक इस अधिनियम के अधीन चुने जाने का पात्र नहीं होगा।

www.rajteachers.com

(4) राज्य सरकार किसी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए किसी भी ऐसे सदस्य को निलंबित कर सकेगी जिसके विरूद्ध उप–धारा (1) के अधीन कोई जॉच प्रारम्भ कर दी गई है या जिसके विरूद्ध नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के संबंध में कोई भी दाण्डिक कार्यवाही किसी न्यायालय में विचारणाधीन है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निलंबन के अधीन रहते समय संबंधित पंचायती राज संस्था के किसी कार्य या कार्यवाही में भाग लेने से विवर्जित हो जायेंगा।

परन्तु राज्य सरकार भी किसी पंच को वार्ड सभा की सिफारिश पर या सरपंच को ग्राम सभा की सिफारिश पर निलम्बित कर सकेगी, किन्तु राज्य सरकार ऐसा तब ही करेगी जब किसी वार्ड सभा या, यथास्थिति, ग्राम सभा द्वारा पारित इस आशय के किसी संकल्प को राज्य सरकार द्वारा, सदस्यों की इच्छा का अंतिम अभिनिश्चय करने के लिये वार्ड सभा या, यथस्थिति, ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित करने के लिए कलेक्टर को निर्दिष्ट कर दिया गया हो और कलेक्टर द्वारा इस प्रकार आयोजित और उसके नामनिर्देशिती की अध्यक्षता वाली बैठक में उपस्थित सदस्यों ने, पंच या, यथास्थिति, सरपंच का निलंबन चाहने वाले संकल्प की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पुष्टि कर दी होः

परन्तु यह और कि पंच या, सरपंच का निलंबन चाहने वाला कोई भी संकल्प किसी पंच या, यथास्थिति, सरपंच द्वारा दो वर्ष की पदावधि पूर्ण कर लेने से पूर्व प्रस्तावित या पारित नहीं किया जायेंगा।

(5) इस धारा के अधीन उद्भूत किसी भी मामले पर राज्य सरकार का विनिश्चय, धारा 97 के अधीन किये गये किसी आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत किये जाने के अधीन नहीं होगा।

117. कतिपय विषयों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का वर्जनः– इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी,–

(क) इस अधिनियम के अधीन किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित, निर्वाचन क्षेत्रों या वार्डो के परिसीमन से, या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों अथवा वार्डो को स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी भी विधि की विधिमान्यता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेंगा; और

(ख) किसी भी पंचायतीराज संस्था के किसी भी निर्वाचन को, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गयी किसी ऐसी निर्वाचन अर्जी के सिवाय, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित है, प्रश्नगत नहीं किया जायेंगा।

117–क सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जितः– किसी भी सिविल न्यायालय को–

(क) कोई ऐसा प्रश्न कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार है या नहीं, ग्रहण करने या न्यायनिर्णीत करने की; अथवा

(ख) किसी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रधिकार के द्वारा या अधीन की गयी किसी कार्रवाई की या ऐसी किसी नामावली के पुनरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करने की; अथवा

(ग) किसी निर्वाचन के संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त रिटर्निंग अधिकरी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गयी किसी कार्रवाई की या किये गये किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करने की, अधिकारिता नहीं होगी।

119–ख अधिकारियों और कर्मचारियों का राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जानाः– इस अधिनियम के अधीन सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धियां करने और उनका संचालन करने के संबंध में नियोजित अधिकारी या कर्मचारियों उस कालावधि में, जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है,

www.rajteachers.com

राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति समझे जायेंगे और ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों, उस कालावधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण के अध्याधीन होंगे।

119–ग कर्मचारियों के लिए शास्ति–

(1) जहां इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों से संसक्त या निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि से संसक्त कर्तव्यों के पालन के लिए तैनात किया गया कोई कर्मचारी कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है या ऐसे कर्त्तव्य पर उपस्थित होकर, उसे समनुदेशित कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता है तो वह ऐसी किसी कालावधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–4

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 से उद्धृत अंश

अध्याय–4 (पंचों का निर्वाचन) :–

23. निर्वाचनों की अधिसूचनाः– (1) आयोग के साधारण निर्देश के अधीन रहते हुये, जब कभी अधिनियम के उपबंधों द्वारा किसी पंचायत सर्किल में पंचों का साधारण निर्वाचन कराया जाना आवश्यक हो जए या अपेक्षित हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सार्वजनिक नोटिस द्वाराः–

(i) पंचायत सर्किल के वार्ड/वार्डों से प्रत्येक से एक पंच का निर्वाचन सार्वजनिक नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, करने की अपेक्षा करेगा ; और

(ii) निम्नलिखित नियम करेगाः–

(क) वह दिन जिसको और वह समय जिसके बीच में नामनिर्देश–पत्र प्रस्तुत किये जाने हैः

(ख) वह दिन जो नामनिर्देशन–पत्रों के प्रस्तुतीकरण के लिये नियम दिन से ठीक अगले दिन के पश्चात् का न हो, और उसका समय, जिसको ऐसे नामनिर्देशन–पत्रों की संवीक्षा की जायेगी।

(ग) वह दिन जो नामनिर्देशन–पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत दिन के टीक अगले दिन के पश्चात् का न हो, और उसका समय जिस तक नानिर्देशन वापस लिया जा सकेगा।

(घ) वह दिन, जिसको मतदान, यदि आवश्यक हो, होगा ; और

(ङ) वह समय जिसके भीतर ऐसा मतदान होगा।

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिये, किसी व्यक्ति को नाम से और उसके पदाभिधान से रिटर्निंग अधिकारी के रूप में काये करने के लिये नियुक्त करेगा।

(3) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), रिटर्निंग अधिकारी के अपरिहार्य रूप से उसके कृत्यों के निर्वहन से निवारित हो जाने की दशा में, प्रत्येक पंचायत सर्किल के बूथों के लिये नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से किसी एक को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये भी प्राधिकृत कर सकेगा।

24. रिटर्निंग अधिकारी के कर्त्तव्य और शक्तियां – इन नियमों के अधीन किसी रिटर्निंग अधिकारी पर अधिरोपित कर्त्तव्यों और प्रदत्त शक्तियों के साथ–साथ ऐसे समस्त कार्य और बातें करना उसका साधारण कर्त्तव्य होगा जो इन नियमों के अधीन किसी निर्वाचन के प्रभावी संचालन के लिये आवश्यक हो और वह यह भी देखगा कि उसकी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदान, यदि हो तो, निष्पक्ष संचालित होता है।

24क. मतदान अधिकारी के कर्त्तव्य और शक्तियां – मतदान अधिकारी मतदान बूथ पर व्यवस्था बनाये रखेगा, यह देखेगा कि मतदान निष्पक्ष संचालित हो रहा है और मतदान बूथ के भीतर किसी एक समय पर प्रवेश दिये जाने के लिये मतदाताओं की संख्या विनियमित करेगा और निम्नलिखित को छोड़कर उनमें से समस्त व्यक्तियों को बहार निकाल देगाः–

(क) सहायक मतदान अधिकारी,

(ख) निर्वाचन से संसक्त ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवक,

(ग) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति,

(घ) अभ्यर्थी,

(ड.) किसी मतदाता के साथ उसकी गोद में कोई बच्चा, और

(च) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें वह निर्वाचकों की पहचान करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश दे।

www.rajteachers.com

25. नाम निर्देशन–पत्रों का पेश किया जाना– (1) नियम 23 के उप–नियम(1) के खण्ड (ii) के उप–खण्ड (ख) के अधीन नाम निर्देशन–पत्र के पेश करने के लिये नियत दिन को, धारा 19 के अधीन पंच के रूप में निर्वाचन के लिये अर्हित और ऐसे निर्वाचन लड़ने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में अभ्यर्थी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, सम्यक् रूप से भरा हुआ और स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित या अंगूठे की छाप लगाया हुआ अपना नाम निर्देशन–पत्र प्ररूप 4घ के साथ प्ररूप 4 में रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिशः देगा;

परन्तु यदि अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र किसी आरक्षित वार्ड के लिये प्रस्तुत करे तो वह, कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा उस आशय का जारी किया गया प्रमाण–पत्र संलग्न करेगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के किसी अभ्यर्थी को साधारण वार्ड से निर्वाचन लड़ने से निवर्जित नही किया जायेंगा;

परन्तु यह भी कि कोई पुरूष अभ्यर्थी, महिलाओं के लिये आरक्षित किसी वार्ड में नाम निर्देशन–पत्र दाखिल करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) उप नियम (1) में यथा – उपबंधित रूप से नहीं किया गया कोई भी नाम निर्देशन पत्र नामंजूर कर दिया जायेंगा।

26. नाम निर्देशन–पत्रों के परिदान पर प्रक्रियाः– नियम 23 के अधीन नाम निर्देशन पत्रों के परिदान पर रिटर्निंग अधिकारी, उसे इस प्रकार पेश करने वाले व्यक्ति को, उसकी समीक्षा के लिए नियत दिन, समय और स्थान के बारे में सूचित और उस पर अपने हस्तलेख से निम्नलिखित पृष्ठांकित करेगा–

(i) वार्ड का क्रम संख्यांक जिससे अभ्यर्थी निर्वाचन चाहने का प्रस्ताव करे;
(ii) ऐसे वार्ड के लिए नाम निर्देशन पत्र का क्रम संख्यांक;
(iii) नाम निर्देशन पत्र देने वाले व्यक्ति के नाम के साथ–साथ ऐसे व्यक्ति की पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम, यदि कोई हो ;
(iv) वह तारीख जिसको, और वह समय जिस पर, नाम निर्देशन पत्र उसे दिये गये।

27. नाम निर्देशन–पत्रों की संवीक्षाः– (1) नियम 23 के उप नियम (1) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (ख) के अधीन नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत दिन को और समय पर, रिटर्निंग अधिकारी उनकी परीक्षा करेगा।

(2) ऐसे परीक्षा के समय पर अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित रह सकेगें, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, रिटर्निंग अधिकारी उनकी परीक्षा करेगा।

(i) उनके द्वारा परिदत्त नाम निर्देशन पत्रों की परीक्षा के लिए समस्त समुचित सुविधायें और
(ii) उनमें से किसी पर भी आक्षेप करने का समुचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी ऐसे समस्त आक्षेपों पर विनिश्चय करेगा और या तो ऐस आक्षेपों के आधार पर या स्वप्रेरणा से निम्नलिखित आधारों में से किसी पर नानिर्देशन–पत्र को नामंजूर कर सकेगा, अथात्:–

(क) कि अभ्यर्थी निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं है या निरर्हित हो गया है,

(ख) कि वह वही व्यक्ति नहीं है जिसका मतदान सूची में का संख्यांक या नाम नामनिर्देश–पत्र में वर्णित है;

(ग) कि उसके हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप असली नहीं है या कपट, प्रपीड़न या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया है;

(घ) कि नियम 25 के उपबन्धों के अनुपालन में चूक रही है।

www.rajteachers.com

(4) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामनिर्देशन–पत्र पर उसे मंजूर या नामंजूर करने का अपना विनिश्चय, और नामंजूरी के मामले में ऐसी न मंजूंरी के लिए अपने कारणों का संक्षिप्त कथन पृष्ठांकित करेगा।

(5) संविक्षा उसी दिन पूरी की जायेगी और कार्यवाही का कोई स्थगन अनुज्ञात नहीं किया जायेंगा।

28. अभ्यर्थिता वापस लेना :– (1) कोई भी अभ्यर्थी, अपने द्वारा हस्ताक्षरित या अपने अंगूठे की छाप लगे हुए और व्यक्तिशः परिदत्त लिखित, नोटिस, रिटर्निंग अधिकारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत करके नियम 33 के उप–नियम (1) के खण्ड (ii) के उप–खण्ड (ग) के अधीन नियत तारीख को और समय तक अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा।

(2) वापसी का कोई नोटिस उप–नियम (1) में निर्दिष्ट दिन और सम के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेंगा।

(3) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है, वापसी का नोटिस रद्द करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेंगा।

(4) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है, वापसी का नोटिस प्राप्त होने पर, यथाशक्य शीघ्र, उसकी एक प्रति पंचायत कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर या जहां कोई पंचायत कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है वहां पंचायत मुख्यालय के किसी भी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करायेगा।

29. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुपालित की जाने वाली पश्चात्वर्ती प्रक्रिया :– (1) नियम 23 के उप–नियम (1) के अधीन नियत समय की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी उन अभ्यर्थियों के नाम, जिनका नाम निर्देशन पत्र मंजूर कर लिया गया है, और वापस नहीं लिया गया है, अभ्यर्थियों की सूची के अन्त में एवं नोटा (इनमें से कोई नही) दर्शित करते हुए प्रत्येक वार्ड के लिए प्ररूप 5 में सूची तैयार करायेगा।

(2) यदि किसी वार्ड में एक ही अभ्यर्थी हो और उसका नाम निर्देशन मंजूर कर लिया गया है तो रिटर्निंग अधिकारी उसे सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(3) यदि किसी वार्ड से निर्वाचित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक हो तो रिटर्निंग अधिकारी–

(i) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतीकों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को एक प्रतीक समनुदिष्ट करेगा,

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतीक/अपेक्षित प्रतीकों से कम पाये जाने की दशा में, रिटर्निंग अधिकारी, ऐसे अन्य प्रतीक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बतायी गयी रीति से आवंटित कर सकेगा जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी राजनैतिक दल के लिये आरक्षित नहीं किये गये हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग को और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को सूचित करेगा।

(ii) ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के नाम वर्णमाला क्रम में, प्रत्येक के लिये समनुदिष्ट प्रतीक के साथ, वार्ड के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा करवा कर के प्रकाशित करेगा और इस प्रकार प्रकाशित सूची की मूल प्रति निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

(iii) निर्देश देगा कि मतदान नियम 23 के उप नियम (1) के खण्ड (ii) के क्रमशः उप खण्ड (घ) और (ड.) के अधीन नियत तारीख को और समय के बीच होगा,

(iv) मतदान कराने के लिये आवश्यक और व्यवस्थाऐं करने के लिये अग्रसर होगा।

(4) (क) मतपत्र ऐसे प्ररूप में होंगे जो आयोग निर्दिष्ट करे और इनमें विशिष्टयां देवनागरी लिपि में हिन्दी में लिखी जायेगी।

www.rajteachers.com

(ख) अभ्यर्थियों के नाम, मतपत्र पर उसी क्रम में होंगे जिसमें प्ररूप 5 की सूची में दिये हुए हैं, मतपत्र पर अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा (इनमें से कोई नही) को अंकित किया जायेंगा।

(ग) यदि एक ही नाम के दो या अधिक अभ्यर्थी हैं तो उनके नाम के साथ उनके पिता का, यथास्थिति, पति का नाम जोड़कर या किसी ऐसी अन्य रीति में, जो रिटर्निंग अधिकारी ठीक समझ सुभिन्न किये जायेंगे।

30. मतदान केन्द्र और मतदान बूथः–

(1) यदि किसी वार्ड में मतदान कराना हो तो रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्याधीन रहते हुए, मतदान बूथ के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करेगा।

परन्तु ऐसा चयनित स्थान सामान्यतः उस पंचायत मुख्यालय के बाहर का स्थान नहीं होगा जिसके लिए निर्वाचन कराया जाना है।

(2) रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्याधीन रहते हुए, प्रत्येक मतदान केन्द्र में उतने मतदान बूथ स्थापित कर सकेगा, जितने वह आवश्यक समझे और जहां इस प्रकार एक से अधिक बूथ स्थापित किये जाने हैं वहां वह निर्देश देगा कि विनिर्दिष्ट क्रम संख्यांकों से प्रारम्भ और समाप्त होने वाले वार्ड के उसकी मतदान सूची में निर्वाचकों को या एक से अधिक वार्ड के निर्वाचकों को बूथ–विशेष में अपने–अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेंगा।

(3) मतदान केन्द्र के स्थान की घोषणा संबंधी एक नोटिस पंचायत कार्यालय पर या, यदि पंचायत कार्यालय नहीं हैं तो मतदान केन्द्र के लिए चयनित स्थान पर, निर्वाचन होने से कम से कम एक दिन पूर्व प्रकाशित किया जायेंगा।

31. मतदान अधिकारी और अन्य स्टॉफः–

(1) प्रत्येक मतदान बूथ के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नामनिर्देशन अधिकारी, नाम से या पदनाम से, मतदान अधिकारी/सहायक मतदान अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए इतने व्यक्ति और इतना अन्य स्टॉफ नियुक्त करेगा, जितना प्रत्येक मतदान अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की सहायता करने के लिए आवश्यक समझे;

परन्तु यदि कोई मतदान अधिकारी स्टॉफ का कोई भी अन्य सदस्य मतदान केन्द्र या मतदान बूथ से अनुपस्थित है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अनुपस्थित व्यक्ति के स्थान पर कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तद्नुसार सूचित करेगा;

परन्तु यह और कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो निर्वाचन में या उसके बारे में किसी अभ्यर्थी के द्वारा या उसके निमित्त नियोजित किया गया हो या उसके लिए कार्य कर रहा हो, मतदान अधिकारी या स्टॉफ के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेंगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन नियुक्त मतदान अधिकारी और अन्य स्टॉफ ऐसे कर्त्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इन नियमों द्वारा उन पर अधिरोपित किये गये है या जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपे गये है।

स्पष्टीकरणः– पंचायत निर्वाचन में मतदान अधिकारी किसी मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी के रूप में कृत्य करेगा।

32. निर्वाचन सामग्री का प्रदायः– (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र को मतपत्र, मतदाता सूचियों की प्रतियां, मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए निर्वाचकों के लिए आवश्यक उपकरणों और मतपेटियों को सम्मिलित करते हुए, मतदाताओं को उनके अपने–अपने मत डालने में समर्थ बनाने के लिए प्रयोजनार्थ पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।

www.rajteachers.com

(2) ऐसी सामग्री का प्रदाय करने में, मतदान केन्द्र पर मतदान करने के हकदार निर्वाचकों को संख्या और उसमें स्थापित मतदान बूथों की संख्या को ध्यान में रखा जायेंगा।

33. मतपेटियां:– (1) मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त प्रत्येक मतपेटी पर पंचायत का नाम और पंचायत के सर्किल के वार्ड का संख्याक होगा।

(2) प्रत्येक मतपेटी इस प्रकार से निर्मित की जायेगी कि मतपत्र उसमें डाले तो जा सकेंगे किन्तु पेटी का ताला खोले बिना उसमें से निकालें नहीं जा सकेंगे।

34. मतदान का प्रारम्भ:– (1) मतदान का प्रारम्भ ऐसे प्रारम्भ के लिए नियत समय पर होगा।

(2) ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रत्येक मतदान अधिकारी–

(i) प्रत्येक मतपेटी, इस तथ्य के सत्यापन के लिए कि वह खाली है, ऐसे अभ्यर्थियों को दिखलायेगा जो उस समय उपस्थित हों,

(ii) तत्पश्चात उसके ताला लगायेगा,

(iii) उस पर ऐसी रीति से मुहर लगायेगा कि मुहर को तोड़े बिना उसका खोला जाना या उसका ताला खोला जाना रोका जा सके,

(iv) उसे अपने सामने रखेगा।

35. **निर्वाचनों में मतदान की रीति–** प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान किया जाता है, इस नियम के अधीन अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, मत मतदान केन्द्र में या नियम 20 के उप–नियम (2) के अधीन उपबंधित मतदान बूथ में मतपत्र द्वारा और व्यक्तिगत रूप से डाले जायेंगे और मतदान अधिकारी किसी भी मतदाता को प्राक्सी द्वारा डाले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा:

परन्तु ऐसे वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान मशीन द्वारा मत डाला या अभिलिखित किया जाना अंगीकृत किया जा सकेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु यह और कि निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी उस रीति से डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

स्पष्टीकरण 1: इस नियम के प्रयोजन के लिये, ''मतदान मशीन'' से मत देने या अभिलिखित करने के लिये प्रयुक्त कोई मशीन या साधन, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा संचालित हो, अभिप्रेत है और इन नियमों में किसी मतपत्र के निर्देश से, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसी मतदान मशीन, जहां किसी निर्वाचन में ऐसी मतदान मशीन प्रयुक्त की गयी है, के निर्देश को सम्मिलित करते हुये अर्थ लगाया जायेंगा।

स्पष्टीकरण 2: ''निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता'' से कोई मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या अन्य लोक सेवक, जो किसी पंचायतीराज संस्था में मतदाता है, और उसके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण मतदान केन्द्र, जहां वह मतदान देने का हकदार है, पर मतदान करने में असमर्थ है, अभिप्रेत है।

36. मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्था:– (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र या, यथास्थिति बूथ में एक पृथक कोष्ठ होगा जिसमें मतदाता पर्दे में अपना मत डाल सके।

(2) जब निर्वाचक ऐसे कोष्ठ में हो तब नियम 41 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्याधीन रहते हुये कोई भी अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।

(3) मतदान अधिकारी अभ्यर्थियों के साथ, यदि वे ऐसी वांछा करें तो, ऐसे कोष्ठ में यदा–कदा तक प्रवेश कर सकेगा जब कोष्ठ में कोई भी निर्वाचक नहीं हो।

37. निर्वाचकों की अनन्यता :– किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदान सूची में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों के प्रति निर्देश से निर्वाचक का अनन्यता के बारे में स्वयं का समाधान करेगा। वह इस निमित्त उठायें गये किसी भी आक्षेप की वहां इन्कार कर सकेगा जो ऐसी अनन्यता निश्चित करने के प्रयोजनार्थ उससे पूछे गये किसी भी

www.rajteachers.com

युक्तियुक्त प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करें या जिसकी अनन्यता उसकी समाधानप्रद रूप से साबित नहीं होता हैं, किन्तु मतपत्रों को जारी किये जाने से मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टियों में किसी भी मुद्रण संबंधी भूल या लोप के आधार पर इन्कार नहीं किया जायेंगा, यदि निर्वाचक की अनन्यता अन्यथा साबित हो जाती हैं।

38. प्रतिरूपण के विरूद्ध उपायः– (1) ऐसा प्रत्येक मतदाता, जिसकी अनन्यता के बारे में रिटर्निंग अधिकारी या, यथास्थिति, मतदान अधिकारी का समाधान हो जाये अपने बाये हाथ की तर्जनी अंगुली का रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी से निरीक्षण करवायेगा और उस पर अमिट स्याही का चिन्ह लगवायेगा।

(2) यदि कोई मतदाता उपनियम (1) के अनुसार अपनी बायी तर्जनी का निरीक्षण या चिन्ह न करने देने से इन्कार करें या उसके बायें हाथ की तर्जनी पर पहले से ही ऐसा चिन्ह हो या स्याही के चिन्ह को हटाने को दृष्टि से कोई भी कार्य करें तो उसे कोई भी मत–पत्र प्रदत्त नहीं किया जायेंगा और मत नहीं देने दिया जायेंगा।

स्पष्टीकरणः– इस नियम में, किसी मतदान के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली के प्रति किसी निर्देश का अर्थ ऐसे मामलें में जहां किसी मतदाता की उसके बायें हाथ की तर्जनी अंगुली नहीं हो वहां, उसके बांये हाथ की किसी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश लगाया जायेंगा और ऐसे मामलें में, जहां उसके बायें हाथ की सभी अंगुलियां नहीं हो वहां उसके दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली या किसी भी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश लगाया जायेंगा, और ऐसे मामले में, यहां उसके दोनों हाथों की सभी अंगुलियां नहीं हो वहां उसकी बायीं या दायीं बांह के ऐसे छोर के प्रति निर्देश लगाया जायेंगा जो भी उसके हों।

39. मतपत्रः– (1) प्रत्येक मतपत्र, निर्वाचक को जारी किये जाने से पूर्व ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जायेंगा और आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जायें।

(2) किसी निर्वाचक को कोई मतपत्र जारी करते समय, मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी उसका क्रम संख्यांक इस प्रयोजन के लिए अलग रखी गयी मतदाता सूची (चिन्हित प्रति) में मतदान से संबंधित प्रविष्टि के सामने अभिलिखित करेगा।

(3) उप–नियम (2) में यथा उपबंधित के सिवाय मतदान केन्द्र में का कोई भी व्यक्ति विशिष्ट निर्वाचकों को जारी किये गये मतपत्रों के क्रम संख्यांक नोट नहीं करेगा।

40. मतदान की रीतिः– (1) कोई निर्वाचक उसको जारी किया गया मतपत्र प्राप्त कर लेने पर किसी भी एक मतदान कोष्ठ में तुरन्त जायेंगा, वहां इस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण से मतपत्र के मुख भाग पर अभ्यर्थी के प्रतीक या नाम पर या नाम और प्रतीक के सामने ऐसे अभ्यर्थी के लिए निश्चित खाली स्थान में मुद्रित स्तम्भ में चिन्ह लगायेगा जिसके लिए मत देने का उसका आशय हो, और तत्पश्चात् इस प्रकार से चिन्हित मतपत्र इस प्रकार मोड़ेगा कि जिससे उसका मत छिपा रह जाये और इस प्रकार मोड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा जो कि रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी के सामने रखी जायेगी।

(2) प्रत्येक निर्वाचक अपना मत या अपने मत किसी असम्यक् बिलम्ब के बिना अभिलिखित करेगा और डालेगा और मतदान कोष्ठ, मतदान बूथ और मतदान केन्द्र से यथा सम्भव शीघ्र सुविधानुसार चला जायेंगा।

41. दृष्टिबाधित और दिव्यांग निर्वाचकों को सहायताः– (1) यदि कोई निर्वाचक दृष्टिबाधित या दिव्यांग के कारण नियम 40 के अधिकथित रीति से अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो तो मतदान अधिकारी निर्वाचक के निर्देशानुसार ऐसा करेगा और उसे ऐसे मोड़ेगा जिससे मत छिपा रह जाये और उसे मतपेटी के अंदर डालेगा और नियम 39 में निर्दिष्ट मतदाता सूची की प्रति में ऐसे निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने ऐसी कार्यवाही के लिए संक्षिप्त टिप्पण करेगा।

www.rajteachers.com

42. खराब हुए मतपत्र :– ऐसा निर्वाचक, जो अपना मतपत्र अनवधानता से ऐसी रीति से काम में लाता है कि वह उस रूप में सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाया जा सकता हो तो मतदान अधिकारी को उसका प्रदाय कर दिये जाने पर और अनवधनता के संबंध में उसका समाधान कर दिये जाने पर खराब हुए मतपत्र के स्थान पर दूसरा मतपत्र प्राप्त कर सकेगा और ऐसे खराब हुए मतपत्र को मतदान अधिकारी द्वारा ''रद्द'' चिन्हित किया जायेंगा।

44. निविदत्त मतः– यदि कोई व्यक्ति अपनी बाबत् यह व्यपदिष्ट करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है ऐस निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिया जाने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करता है तो अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसे रिटर्निंग अधिकारी या कोई भी मतदान अधिकारी पूछे, वह इस नियम के निम्नलिखित उपबंधों के अध्याधीन रखते हुए इसमें (इसके पश्चात् इन नियम में ''निविदित्तम पत्र'' के रूप में निर्दिष्ट) मतपत्र को चिन्हित करने का हकदार ऐसे होगा जैसे कोई अन्य निर्वाचक होता है।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किये जाने से पहले अपना नाम प्ररूप 6 की सूची में अपने से संबंधित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षरित करेगा।

(3) निविदत्त मतपत्र, इसके सिवाय कि वह –

(क) मतदान केन्द्र या बूथ में उपयोग के लिए दिये गये मतपत्रों के बंडल, में क्रम में अंतिम होगा, और

(ख) उसके पृष्ठ पर शब्दों ''निविदत्त मतपत्र'' से किसी भी मतदान अधिकारी द्वारा उसके स्वयं के हाथ पृष्ठांकित होगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा, वैसा ही होगा जैसा मतदान में उपयोग में लाया जाने वाला अन्य मतपत्र होता है।

(4) निर्वाचक निविदत्त मतपत्र को मतदान कोष्ठ में चिन्हित करने और उसके मॉडने के पश्चात् उसे मतपेटी में रखने के बजाय उसे रिटर्निंग अधिकारी या किसी भी मतदान अधिकारी को देगा जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा।

45. अवचार के लिए मतदान बूथ से हटाया जानाः–

(1) यदि कोई व्यक्ति मतदान बूथ पर स्वयं अवचार करे, या वहां नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी या किसी भी मतदान अधिकारी के विधिपूर्ण ओदशों का पालन नहीं करे तो रिटर्निंग अधिकारी या, यथास्थिति ऐसा मतदान अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं इस प्रकार अवचार कर रहा हो, मतदान बूथ से तुरन्त हटायेगा या वहां उपस्थित किसी भी पुलिस अधिकारी को उसे हटाने का आदेश देगा और ऐसे व्यक्ति को, रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी की अनुमति के बिना मतदान बूथ पर पुनः प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेंगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी मतदान बूथ से हटाये जाने का आदेश इस प्रकार नहीं दिया जायेंगा ताकि अपना मत डालने के हकदार मतदाता को वहां मतों को डालने का अवसर प्राप्त करने से निवारित किया जा सके।

46. मतदान का समापनः–

(1) मतदान अधिकारी, ऐसे बन्द किये जाने के लिए नियत समय पर मतदान केंन्द्र को बंद करेगा जिससे किसी निर्वाचक को उसके पश्चात् उसमें प्रविष्ट होने से रोका जा सके।

(2) तथापि, किसी भी ऐसे निर्वाचक को जिसे उस समय के पूर्व प्रवेश दे दिया गया हो, उस समय के पश्चात भी मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेंगा।

(3) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी द्वारा या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस निमित्त दिये गये किन्हीं भी निर्देशों के अध्याधीन रहते हुए उपनियम (1) में निर्दिष्ट मतपेटियां और पैकेट–मतदान अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित किये जायेंगे।

www.rajteachers.com

47. मतदान के समापन पर प्रक्रियाः– (1) मतदान बन्द कर दिये जाने के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से, मतदान अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की उपस्थिति में, जो वहां उपस्थति हों

(i.) मतदान केन्द्र पर उपयोग में लायी गई प्रत्येक मतदान पेटी की यह देखने के लिए परीक्षा करेगा कि वह खुली हुई नही हैं, और उसके साथ छेड़–छाड़ नही की गई हैं,

(ii.) उस पर अपनी मुहर लगायेगा,

(iii.) पृथक–पृथक पैकेटों में निम्नलिखित रखेगा :–

(क) निविदत्त मतों वाला लिफाफा,

(ख) अप्रयुक्त मतपत्र,

(ग) खराब हुए मतपत्र,

(घ) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, और

(iv.) ऐसे प्रत्येक पैकेट पर अपनी मुहर लगायेगा।

48. मतदान का स्थगनः–

(1) रिटर्निंग अधिकारी आपातकाल में, जैस लोक शांति में सम्भाव्य विघ्न होने पर, मतदान बन्द कर सकेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा नाम निर्देशित किसी अधिकारी के द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले किसी पश्चात्वर्ती दिन के लिए उसके स्थगन की घोषणा कर सकेगा।

(2) ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण ऐसा बन्द या स्थगन किया गया, रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी को रिपोर्ट की जायेगी।

48क. मतपेटियों के विनिष्ट होने आदि की दशा में नया मतदान–

(1) यदि किसी निर्वाचन मेंः–

(क) किसी मतदान बूथ में या मतदान के लिए नियत किसी स्थान पर उपयोग में लाई गई कोई मतपेटी पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरूद्ध तथा निकाल ली जाती है या घटनावश या साशय विनष्ट हो जाती है, या खो जाती हैं या ऐसी सीमा तक नुकसान पहुँचाया जाता है या उसमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान बूथ या स्थान पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता; या

(ख) किसी मतदान मशीन में मत रिकार्ड करने या मतगणना करने के दौरान् कोई यांत्रिक विफलता पैदा हो जाती है; या

(ग) किसी मतदान बूथ या मतदान के लिए नियत स्थान पर प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती हैं जिससे यह सम्भाव्य है कि मतदान दूषित हो जाये;

तो रिटर्निंग अधिकारी उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तुरन्त करेगा।

(2) तत्पश्चात् निर्वाचन आयोग समस्त तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, या तो–

(क) उस मतदान बूथ में या स्थान पर उस मतदान को शून्य घोषित करेगा, उस मतदान बूथ में या स्थान पर नया मतदान कराने के लिए दिन और समय नियत करेगा और इस प्रकार नियत दिन और नियत समय को ऐसी रीति से अधिसूचित करेगा, जो वह ठीक समझे या

(ख) यदि समाधान हो जाता है कि उस मतदान बूथ पर या स्थान पर किसी नये मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा या कि (मतदान मशीन की यांत्रिक विफलता या) प्रक्रिया संबंधी गलती या अनियमितता तात्विक नहीं हैं तो रिटर्निंग अधिकारी को उस निर्वाचन के

www.rajteachers.com

आगे के संचालन और पूरा किये जाने के लिए ऐसे निर्देश जारी करेगा जो वह समुचित समझे।

(3) अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों एवं आदेशों के उपबन्ध नये मतदान के संचालन के संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान के संबंध में लागू होते है।

48ख. बूथों के बलात् ग्रहण के कारण मतदान का स्थगित या निर्वाचन का प्रत्यादिष्ट किया जानाः–

(1) यदि किसी निर्वाचन में,–

(क) किसी मतदान बूथ पर या मतदान के लिए नियत स्थान पर (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् स्थान कहा गया है) बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया गया है जिससे ऐसे मतदान बूथ या स्थान में मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है; अथवा

(ख) किसी मतगणना स्थान पर बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया जाता है कि उस स्थान पर मतगणना का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तत्काल करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग में रिटर्निंग अधिकारी से उप–नियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर और सब सात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर या तो,–

(क) उस मतदान बूथ या स्थान में उस मतदान को, शून्य घोषित करेगा, उस मतदान बूथ या स्थान में नये सिरे से मतदान के लिए दिन और समय नियत करेगा और ऐसे नियत दिन और समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा, जैसी वह ठीक समझे; अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अधिक संख्या में मतदान केन्द्रों या स्थानों के बलात् ग्रहण को देखते हुए निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव पड़ने की संभावना है या यह कि बूथों के बलात् ग्रहण का मतों की गणना पर ऐसी रीति से प्रभाव पड़ा है जिससे निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होगा, तो वह उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करेगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनों के लिए ''बूथ का बलात् ग्रहण'' के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थातः–

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान बूथ या मतदान के लिए नियत स्थान का अधिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित करना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान बूथ या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को मतदान करने से निवारित करना;

(ग) किसी निर्वाचक को धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान बूथ या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;

www.rajteachers.com

(ड.) सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रिया कलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।

48 ग– नियम 48 (क) और 48 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियां निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अथवा निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यारोपित की जा सकेगी।

49 मतों की गणना – (1) मतों की गणना, उस तारीख को और ऐसे समय और ऐसे स्थान पर जो रिटर्निंग अधिकारी नियमत करें, प्रारंभ की जायेगी।

(2) ऐसी तारीख, समय और स्थान, सभी अभ्यर्थियों को संसूचित किया जायेंगा।

(3) मतों की गणना, रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा या उसके अधीक्षण के अधीन की जायेगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को गणना के समय उपस्थित होने का अधिकार होगा।

(4) मतदान अधिकारी और सहायक अधिकारियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के सिवाय, जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी इस कार्य में उसकी सहायता करने के लिए अनुज्ञा दे, मतों की गणना के समय किसी भी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेंगा।

(5) रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी को उन, मतपत्रों को वह जिन्हें वह नामंजूर किये जाने योग्य समझता है, उन्हें उठाये बिना निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात करेगा।

(6) गणना–स्थल पर उपस्थित प्रत्येक अभ्यर्थी, मतों की गणना के दौरान किसी भी समय, रिटर्निंग अधिकारी से उस वार्ड से संबंधित मत–पत्रों की पुनर्गणना करने के लिए लिखित में प्रार्थना कर सकेगा और रिटर्निंग अधिकारी, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से या तो प्रार्थना को नामंजूर कर सकेगा या मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकेगा।

(7) रिटर्निंग अधिकारी, स्वविवेक से सभी अभ्यर्थियों या उनमें से किसी के भी मतपत्रों को एक बार या एकाधिक बार पुनर्गणना कर सकेगा यदि उसका ठीक पूर्ववर्ती गणना के सहीपन के बारे में समाधान नही हो।

(8) प्रत्येक ऐसा मतपत्र जिसे नियम 50 के अधीन नामंजूर नही किया गया है उसे विधिमान्य समझा जायेंगा और उसे एक विधिमान्य मत के रूप में गिना जायेंगा।

(9) रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) को दिये गये सभी विधिमान्य मतों की गणना करेगा और गणना किये गये मतपत्रों के और उन मतपत्रों के जिन्हे नामंजूर किया गया है अभ्यर्थीवार पैकेट बनायेगा और ऐसे सभी पैकेट समुचित रूप से मुहरबन्द किये जायेंगे।

49 (क) गणना के समय मतपत्रों का विनाश, हानि आदि– (1) यदि मतों की गणना समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत स्थान पर उपयोग में लाये गये कोई मतपत्र निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में से विधिविरूद्धतया निकाल लिए जाते है अथवा घटनावश या साक्ष्य विनष्ट हो जाते हैं या कर दिये जाते हैं या खो जाते हैं या खो दिये जाते हैं अथवा इस विस्तार तक उनको नुकसान पहुंचाया जाता है या उनमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता तो रिटर्निंग अधिकारी उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तत्क्षण करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग तब सब तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर या तो –

(क) निर्देश देगा कि मतों की गणना बन्द की जाए, घोषणा करेगा कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर का मतदान शून्य है उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नये मतदान के लिए कोई दिन और समय नियत करेगा तथा ऐसी नियत तारीख और ऐसा नियत समय ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी वह ठीक समझे, अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि इस मतदान केन्द्र या स्थान पर नये मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार प्रभावित नही होगा, तो रिटर्निंग अधिकारी की

www.rajteachers.com

गणना के पुनः आरम्भ और पूरे किये जाने के लिए और उस निर्वाचन के आगे संचालन और पूरे किये जाने के लिए जिसके बारे में मतों की गणना की गई है ऐसे निर्देश देगा जैसे वह उचित समझे।

(3) इस अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों या निकाले गये आदेशों के उपबंध हर ऐसे मतदान को ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान को लागू है।

49 ख– निमय 49 (क) के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियां निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अथवा निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यारोपित की जा सकेगी।

50 – मतपत्रों का नामंजूर किया जानाः– (1) कोई मतपत्र नामंजूर किये जाने योग्य होगाः–

(i) यदि, उसमें ऐसा कोई भी चिन्ह हो जिससे निर्वाचक की शिनाख्त की जा सके,

(ii) यदि, उस पर एक से अधिक अभ्यर्थी के लिये चिन्ह लगे हुए हों,

(iii) यदि किसी भी मतपत्र के मुख्य पर कोई भी मत अभिलिखित नहीं किया गया हो या मत, मतपत्र के पृष्ठ भाग पर अभिलिखित किया गया हो या उसे इस प्रयोजन के लिये प्रदायित उपकरण से अन्यथा अभिलिखित किया गया हो,

(iv) यदि, मतपत्र उस पर अभिलिखित किये गये मत की अनिश्चितता के कारण शून्य हो, या यदि वह जाली मतपत्र हो, या

(v) यदि वह इतना नुकसानग्रस्त या विकृत हो गया हो कि उसकी असली मतपत्र के रूप में पहचान सिद्ध नहीं की जा सके।

(2) उप–नियम (1) में प्रगणित आधारों में से किसी भी आधार से अन्यथा किसी भी मतपत्र को नामंजूर नहीं किया जायेंगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक ऐसे मतपत्र पर, जिसे वह नामंजूर करता है ऐसे नामंजूर किये जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी का मतपत्र को विधिमान्यता के बारे में या अन्यथा विनिश्चय अन्तिम होगा।

51– मतों की समानताः– मतों की समानता के मामले में परिणाम ऐसी रीति से लाट निकालकर घोषित किया जायेंगा जो रिटर्निंग अधिकारी उचित समझे।

52– निर्वाचन का परिणामः– (1) जब मतों की गणना पूर्ण कर ली गई हो तब रिटर्निंग अधिकारीः–

(क) निम्नलिखित के पृथक् पैकेट बनायेगा :–

(i) गिने गये विधिमान्य मतपत्र, और

(ii) गणन के समय नामंजूर किये गये मतपत्र

(ख) ऐसे प्रत्येक पैकेट पर अपनी मुहर लगायेगा;

(ग) निम्नलिखित उपवर्णित करते हुए प्ररूप–7 में एक विवरणी तैयार और प्रमाणित करेगाः–

(i) उन अभ्यर्थियों के नाम और पते जिन्हें नियम 29 के उप–नियम (2) के अधीन निर्विरोध निर्वाचित किया गया हो,

(ii) उन अभ्यर्थियों के नाम और पते जिनके पक्ष में विधिमान्य मत डाले गये हैं,

(iii) प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या,

(iv) अविणिमान्य के रूप में नामंजूर किये गये मतों की संख्या, और

(v) उस लाट का परिणाम, यदि कोई हो, जो नियम 51 के अधीन निकाला गया हो, और

(घ) उस अभ्यर्थी को, जिसने मतदान और नियम 51 के अधीन निकाले गये लाट के परिणमस्वरूप अधिकतम संख्या में मत अर्जित किये हों, निर्वाचित हुआ घोषित करेगा, और

(ङ) उन वार्डों को विनिर्दिष्ट करेगा जिनमें पंच निर्वाचित नहीं हुए हों।

(2) रिटर्निंग अधिकारी यथाशक्त शीघ्र, –

www.rajteachers.com

(i) उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गयी विवरणी की एक प्रति पंचायत के कार्यालय को, यदि कोई हो, अग्रेषित करेगा,

(ii) ऐसी एक प्रति पंचायतों के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी को और नये निर्वाचित सरपंच को अग्रेषित करेगा,

(iii) निर्वाचन से संबंधित समस्त कागजातों के साथ उसको एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अग्रेषित करेगा,

(iv) उस खण्ड की पंचायत समिति को ऐसी एक प्रति जिसके भीतर वह पंचायत सर्किल पड़ता हो, अग्रेषत करेगा,

(v) निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर को ऐसी एक प्रति अग्रेषित करेगा।

53– निर्वाचन के कागजात की अभिरक्षा, उनका पेश किया जाना, उनका निरीक्षण और विनाशन में किया जानाः– (1) निर्वाचन से संबंधित सभी कागजात जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा रहेगें।

(2) सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन के सिवाय उपयोग में लिये गये मतपत्रों के पैकेट चाहे वे विधिमान्य हों, निविदत्त या नामंजूर किये हूए हो और मतदान सूची की चिन्हित प्रतिलिपियों को नही खोला जायेंगा और उनकी अन्तर्वस्तु का निरीक्षण या उसे पेश नहीं किया जायेंगा।

(3) आयोग या किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा दिये गये किसी भी प्रतिकूल निर्देश के अध्याधीन रहते हुएः–

(क) उपयोग में लाये गये मतपत्रों के पैंकेट छः मास की कालावधि के लिये प्रतिधारित किये जायेंगे और उसके पश्चात् ऐसी रीति से विनष्ट कर दिये जायेंगे जिसका आयोग निर्देश दे;

(ख) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट अन्य पैकेट या कागजात एक वर्ष के लिये प्रतिधारित किये जायेगें और उसके पश्चात् विनष्ट कर दिये जायेंगे;

(ग) निर्वाचन से संबंधित अन्य सभी कागजात ऐसी कालावधि के लिये प्रतिधारित किये जायेंगे जिसका आयोग निर्देश दें।

54– पंचों के नामों की अधिसूचना :– नियम 52 के अधीन निर्वाचित सभी पंचों के नाम आयोग द्वारा राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किये जायेंगे।

55– उप–निर्वाचनः– जब कभी किसी पंच का पद रिक्त हो जाये और धारा 42 के अधीन कोई निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित हो तो, नियम 25 से 54 तक के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी रिक्त को भरने के लिये किये जाने वाले प्रत्येक उप–निर्वाचन पर लागू होंगे।

अध्याय–5 सरपंच का निर्वाचन :–

56. सरपंच और पंचों का साथ–साथ निर्वाचन :– (1) नियम 23 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी साधारण निर्वाचन के प्रत्येक अवसर पर धारा 26 की उप–धारा (1) के अधीन किसी पंचायत के सरपंच का निर्वाचन उसके पंचों के निर्वाचन के साथ–साथ करवाया जायेंगा।

(2) कोई अभ्यर्थी किसी निर्वाचन में इतने मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा जितने पंचायत में मतदान केन्द्र हैं और जब कभी कोई ऐसी नियुक्ति की जाये, उस नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में दी जायेगी।

(3) नियम 23 से 54 तक के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित, यथाशक्त ऐसे निर्वाचन पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि सरपंच का नाम निर्देशन–पत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 500/– रूपये का और महिला अभ्यर्थियों तथा अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 250/– रूपये का प्रतिभूति निक्षेप उसके साथ न हो, सिवाय ऐसे अभ्यर्थियों के प्रतिभूति प्रतिदेय होगी जो निर्वाचित नहीं किया

www.rajteachers.com

जाये और उस निर्वाचन में डाले गये कुल वैद्य मतों का कम से कम षष्ठांश प्राप्त न कर पाये, उसकी दशा में वह समपहृत हो जायेगी।

परन्तु निर्वाचन में जहो एक अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन–पत्रों से नाम निर्दिष्ट हुआ है तो इस उप नियम में एक से अधिक निक्षेप अपेक्षित नहीं होगा।

'परन्तु यह और कि ऐसे निर्वाचनों में जहां मतदान मशीनें प्रयुक्त की जायें वहां ऐसे निर्वाचनों में नियम 32, 33, 34, 36 से 44, 47, 49, 50, 52 और 53 के उपबन्धों के बजाय, जहां तक हो सके, अध्याय 4क के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।'

(4)(क) जब तक सरपंच के निर्वाचन के लिये कोई पृथक मतदान कोष्ठ और या कोई पृथक मतपेटी उपलब्ध नहीं करायी गयी हो, पंच के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचकों के द्वारा मत डाले जाने के लिये भी उपयोग कराये गये मतदान कोष्ठ या मतपेटी को सरपंच के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचकों के द्वारा मत डाले जाने के लिये भी उपयोग में लिया जा सकेगा।

(ख) पंच और सरपंच के निर्वाचन के लिये एक मतपेटी दी जाने या उपयोग में ली जाने की दशा में नियम 33(1) में उल्लिखित विशिष्टियों के अलावा शब्द ''सरपंच'' भी मतपेटी पर लिखा जायेंगा।

(ग) यदि सरपंच के निर्वाचन के लिये कोई पृथक मतपेटी दी जाती है या उपयोग में ली जानी है तो उस मतपेटी पर पंचायत का नाम और शब्द ''सरपंच'' लिखा होगा।

(5) किसी पंच के निर्वाचन के लिये मतदान बूथ पर मतदान करने के लिये और प्रत्येक निर्वाचक को सरपंच के निर्वाचन के लिये दूसरा मतपत्र जारी किया जायेंगा।

(6) किसी पंचायत सर्किल के सरपंच को निर्वाचित करने में विफल रहने पर, उक्त तथ्य को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तुरन्त रिर्पोट की जायेगी, जो आयोग और राज्य सरकार को सूचित करेगा। तदुपरान्त राज्य सरकार धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सरपंच के रूप में नियुक्त करेगी।

57. सरपंच का उप निर्वाचनः– जब कभी किसी सरपंच का पद रिक्त हो जाये और धारा 42 के अधीन कोई उप निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित हो तो नियम 23 से 56 तक के उपबंध रिक्ति को भरने के लिये करवाये जाने वाले प्रत्येक निर्वाचन पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

अध्याय–6 पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी नियम

58. पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचनः–

(1) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), आयोग द्वारा अवधारित समय अनुसूची के अनुसार अधिसूचना द्वारा जिले में पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों और जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक से एक सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करेगा और–

(क) वे तारीखें, जिनको और वह समय, जिसके बीच रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने है, नियत करेगा।

(ख) नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए नियत किये गये अंतिम दिन का आगामी दिन और उसका समय, जब ऐसे नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी, नियत करेगा।

(ग) वह दिन, जो नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा करने के लिए नियत दिन के आगामी दिन के बाद का नहीं होगा और उसका वह समय, जिसके बीच नामनिर्देशन पत्र वापस लिये जा सकेंगे, नियत करेगा।

(घ) वह दिन जो नामनिर्देशन वापस लेने के लिए नियत तारीख के पश्चात् से 7 दिन पूर्व का नहीं होगा जिसका मतदान, यदि आवश्यक हो, किया जायेंगा, नियत करेगा।

(ड) वह समय जिसके भीतर ऐसा मतदान किया जायेंगा, नियत करेगा।

www.rajteachers.com

(च) वह स्थान, तारीख और समय जब मतों की गणना प्रारम्भ की जायेगी, नियत करेगा।

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रत्येक पंचायत समिति के लिए, उसके सदस्यों के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा और उसकी सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगा।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग जिला परिषद के सदस्यों से निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी और उसकी सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त करेगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का, इन नियमों के अधीन पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन प्रभावी रूप से करवाने के लिए नियम 24 में उल्लेखित कृत्यों को पालन करने का, साधारण कर्त्तव्य होगा।

''(5) पंचायत समितियों/जिला परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये, जहां तक हो सके, यदि जहां मतपेटियां प्रयुक्त की जाये, वहां नियम 24क से 54 तक के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे, और यदि जहां मतदान मशीनें प्रयुक्त की जायें वहां नियम 24क से 31, 35, 45, 46, 48, 48क, 48ख, 48ग, 49क, 49ख, 51 और 54 तथा अध्याय 4क के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगेः

58 क. **जिला परिषद् या पंचायत समिति के सदस्यों का उप निर्वाचनः–** जब कभी जिला परिषद् या पंचायत समिति के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाये और धारा 42 के अधीन कोई उप निर्वाचन कराना अपेक्षित हो तो, नियम 58 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किये जाने वाले प्रत्येक उप–निर्वाचन पर लागू होगा।

अध्याय–9 उप सरपंच का निर्वाचन

65 . **उप सरपंच का निर्वाचन :– (1)** उप–सरपंच का निर्वाचन, वार्ड पंच और सरपंच के निर्वाचन की तारीख के अगले दिन होगा;

परन्तु रिटर्निंग अधिकारी लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, यह व्यवस्था दे सकेगा कि उप–सरपंच का निर्वाचन आगे की किसी तारीख को होगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी वार्ड पंच के परिणाम की घोषणा के पश्चात् उप–सरपंच के निर्वाचन के लिये, नवनिर्वाचित पंचों और सरपंच की बैठक आयोजित करेगा और बैठक का समय और स्थान विनिर्दिष्ट करने वाला नोटिस, मतदान से कम से कम दो घंटे पूर्व, पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेंगा और जहां ऐसा कोई भी कार्यालय स्थापित ही न किया गया हो या जहां निर्वाचन, पंचायत मुख्यालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जाना हो तो किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाया जायेंगा और ऐसे निर्वाचन की बैठक के ऐसे समय और स्थान के बारे में, वह उपस्थित सरपंच और पंचों को भी सूचित करेगा।

स्पष्टीकरणः– रिटर्निंग अधिकारी से नियम 23 के उप–नियम (2) के अन्तर्गत नियुक्त किसी अधिकारी से अभिप्रेत है।

66. **निर्वाचन के लिए प्रक्रिया :– (1)** बैठक में, उसमें उपस्थित प्रत्येक पंच या सरपंच, उप–सरपंच के रूप में निर्वाचन के लिये किसी भी पंच का (जिसे इसमें आगे अभ्यर्थी कहां गया हैं) नाम लिखित में प्रस्तावित कर सकेगा;

परन्तु ऐसे सभी प्रस्ताव, बैठक आरंभ होने के एक घंटे के भीतर–भीतर किये जायेंगे और कोई भी प्रस्ताव तत्पश्चात् ग्रहण या प्राप्त नहीं किया जायेंगा।

(2) यदि अभ्यर्थी बैठक में उपस्थित नहीं हो तो प्रस्तावों की लिखित में उसकी स्वीकृति, प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की जायेगी;

www.rajteachers.com

परन्तु ऐसे निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के ऐसी बैठक में उपस्थित होने की दशा में, यदि वह ऐसी स्वीकृति मौखिक रूप से प्रकट कर देता हे तो उसकी लिखित स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।

(3) रिटर्निंग अधिकारी एक–एक करके अभ्यर्थियों के नामों का वाचन करेगा और प्रस्तावों की परीक्षा करेगा, उपस्थित सरपंच और पंचों को उनकी परीक्षा करने और उन पर आक्षेप करने का मुक्ति युक्त अवसर प्रदान करेगा और तब ऐसे समस्त आक्षेपों को विनिश्चित करेगा और या तो ऐसे आक्षेपों के कारण या स्वप्रेरणा से, किसी भी प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर खारिज कर सकेगा :–

(क) कि अभ्यर्थी, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उप–सरपंच के रूप में निर्वाचन के लियें पात्र नहीं है, या

(ख) कि इस नियम के उपबंधो का अनुपालन करने में विफल रहा हैं।

(4) यदि कोई भी प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे खारिज किये जाने के कारण का संक्षिप्त कथन लेखबद्ध करेगा।

(5) ऐसे सभी अभ्यर्थियों के नामों का जिसके नामांकन सही पाये गये है, रिटर्निंग अधिकार द्वारा वाचन किया जायेंगा।

(6) यदि केवल एक ही अभ्यर्थी हो तो उसे उप–सरपंच के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाये।

(7) यदि अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक हो तो मतदान गुप्त मत द्वारा कराया जायेंगा और नियम 59 और 60 में अधिकथित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

(8) यदि कोई भी अभ्यर्थी न हो और पंचायत कोई उप–सरपंच निर्वाचित करने में विफल रहे भी रिटर्निंग अधिकारी, पंचायतों के प्रभारी अधिकारी और कलक्टर को सूचित करेगा, जो अधिनियम की धारा 26 (2) के अधीन उप सरपंच की नियुक्ति के लिए सरकार को सूचित करेगा।

(9) पीठासीन अधिकारी उप–सरपंच के निर्वाचन का संक्षिप्त कार्यवृत्त तैयार करेगा।

67. **पीठासीन अधिकारी उप–सरपंचः–** जैसे ही और जब अधिनियम की धारा 20 के अधीन उप–सरपंच का उप–निर्वाचन आवश्यक हो जाये, रिटर्निंग अधिकारी सरपंच और पंचों पर, ऐसी बैठक की तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करने वाले नोटिस की तामील के पश्चात् उनकी एक बैठक आयोजित करेगा और नियम 65 और नियम 66 के उपबंध, जहां तक शक्य हो, लागू होंगे।

अध्याय–10 अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता :–

68. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति का प्रतिसंहरण :–

(1) यदि पंचायत समिति या जिला परिषद् का निर्वाचन लडने वाला कोई अभ्यर्थी कोई निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहता है तो ऐसी नियुक्ति, उप–नियम (2) और (3) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, या तो नामांकन पत्र के परिदान के समय या निर्वाचन से पूर्व किसी भी समय, प्ररूप–8 में की जायेगी।

(2) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय, स्व हस्ताक्षरित और पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल किसी लिखित घोषणा द्वारा, प्रतिसंहत की जा सकेगी। ऐसा प्रतिसंहरण उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह दाखिल

www.rajteachers.com

किया गया है। ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में या निर्वाचन से पूर्व या उसकी अवधि के दौरान निर्वाचन अभिकर्ता के मर जाने पर, अभ्यर्थी उप–नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार कोई नया निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जिसे पंचायत के किसी भी निर्वाचन में निर्वाचित होने से या मतदान करने से, अधिनियम के अधीन तत्समय निरर्हित कर दिया गया है, जब तक निरर्हता विद्यमान रहती है, निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेंगा।

69. मतदान अभिकर्ता की नियुक्तिः–

(1) किसी निर्वाचन में, जिसमें सरपंच के पद या पंचायत समितियों या जिला परिषद् के सदस्यों के लिये मतदान होना है, कोई भी लडने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान बूथ पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये एक अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा। ऐसी नियुक्ति प्ररूप–9 में दो प्रतियों में लिखित, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पत्र द्वारा की जायेगी।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र दो प्रतियों में मतदान अभिकर्ता को परिदत्त करेगा जो मतदान के लिये नियत तारीख को पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे प्रस्तुत दोनों प्रतियों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान बूथ पर किसी भी प्रकार के कर्त्तव्य के पालन के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेंगा तब तक वह इस उपनियम के उपबंधों का पालन न करें।

70. गणन अभिकर्ता की नियुक्तिः–

(1) सरपंच के पद का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी प्ररूप–10 में दो प्रतियों में लिखित किसी पत्र द्वारा दो से अधिक गणन अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकेगा।

(2) किसी पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचन चाहने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इतने गणन अभिकर्ता अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप–10 में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा नियुक्त कर सकेगा, जितनी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतों की गणना के लिये उपलब्ध करायी गयी टेबिलों की संख्या हो, एक रिटर्निंग अधिकारी की टेबिल के लिए और एक अवमुक्ति (Reliever) अभिकर्ता के लिए।

(3) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति गणन अभिकर्ता को भी प्रदत्त करेगा जो मतों की गणना के लिए नियत तारीख को उसे रिटर्निंग अधिकारी को या नियम 58 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसके समक्ष उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा हस्ताक्षरित करेगा। ऐसा अधिकारी उसे प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी गणन अभिकर्ता को मतों की गणना के लिए नियत स्थान पर करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेंगा तब तक उसने इस उप–नियम के उपबंधों का पालन न कर लिया हो।

71. मतदान अभिकर्ता की मृत्यु पर नियुक्ति का प्रतिसंहरणः–

(1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को, अभ्यर्थी द्वारा मतदान के प्रारम्भ के पूर्व किसी भी समय उसके द्वारा हस्ताक्षरित किसी लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहत किया जा सकेगा।

(2) ऐसी घोषणा

(क) ऐसे मामले में, जिसमें नियुक्ति मतदान के प्रारम्भ से सात अन्यून दिन पूर्व प्रतिसंहत न की गई हो तो रिटर्निंग अधिकारी के पास दाखिल की जायेगी,

www.rajteachers.com

(ख) किसी भी अन्य मामले में रिटर्निंग अधिकारी के या उस मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल की जायेगी जहां मतदान अभिकर्ता को ड्यूटी के लिये नियुक्त किया गया था।

(3) यदि किसी अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता मतदान के प्रारम्भ के पूर्व मर जाये तो अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ऐसी मृत्यु के तथ्य की लिखित रिपोर्ट निम्नलिखित को तुरन्त करेगा–

(क) ऐसे मामले में, जिसमें मृत्यु मतदान के प्रारम्भ से सात से कम दिन पूर्व हुई हो, रिटर्निंग अधिकारी को और

(ख) किसी भी अन्य मामले में रिटर्निंग अधिकारी को या उस मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी को, जहां मतदान अभिकर्ता को ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया था।

(4) जब भी रिटर्निंग अधिकारी को उप–नियम (1) या (2) के अधीन की गई कोई भी घोषणा या रिपोर्ट प्राप्त हुई हो तो वह ऐसी घोषणा या यथास्थिति, रिपोर्ट उस मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी को तुरन्त सूचित करेगा, जहां ऐसे मतदान अभिकर्ता को ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया था।

(5) जहां मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति उप–नियम (1) के अधीन प्रतिसंहत की जाये या जहां मतदान अभिकर्ता मतदान बंद होने के पूर्व मर जाये वहां अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान बंद होने के पूर्व किसी भी समय नियम 69 के उप नियम (1) के उपबंधों के अनुसार कोई नया मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा;

परन्तु नये मतदान अभिकर्ता को नियुक्त करने का पत्र–

(क) ऐसे मामले में, जिसमें ऐसी नियुक्ति मतदान के प्रारम्भ से सात के अन्यून दिन पूर्व की जाये, रिटर्निंग अधिकारी को दिया जायेंगा, और

(ख) किसी भी अन्य मामले में, रिटर्निंग अधिकारी को या उस मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी को दिया जायेंगा जहां नया मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया गया है।

(6) नियम 69 के उप–नियम (2) के उपबंध उप–नियम (5) के अधीन नियुक्त किसी मतदान अभिकर्ता के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे नियम 69 के उप–नियम (1) के अधीन नियुक्त किसी मतदान अभिकर्ता के संबंध में लागू होते हैं।

72. गणन अभिकर्ता की मृत्यु पर नियुक्ति का प्रतिसंहरणः–

(1) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा, मतों की गणना प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी समय, उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहत की जा सकेगी। ऐसी घोषणा रिटर्निंग अधिकारी या नियम 49 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के यहां दाखिल की जायेगी।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी का गणन अभिकर्ता मतों की गणना पूरी होने से पूर्व मर जाता है तो अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता पीठासीन अधिकारी को या नियम 49 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को मृत्यु की रिपोर्ट लिखित में तुरन्त करेगा।

(3) जहां गणन अभिकर्ता की नियुक्ति उप–नियम (1) के अधीन प्रतिसंहत कर ली गयी हो या जहां गणन अभिकर्ता मतों की गणन पूरी होने से पूर्व मर जाये वहां अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियम 70 के उप–नियम (1) में अधिकथित रीति से किसी नये गणन अभिकर्ता को नियुक्त कर सकेगा।

(4) नियम 70 के उप–नियम (2) और (3) के उपबंध उप–नियम (3) के अधीन नियुक्त गणन अभिकर्ता के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे नियम 70 के उप–नियम (1) के अधीन नियुक्त गणन अभिकर्ता के संबंध में लागू होते है।

www.rajteachers.com

73. मतदान से पूर्व अभ्यर्थियों की मृत्युः– चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी की मतदान प्रारंभ होने से पूर्व मृत्यु हो जाने के कारण मतदान प्रत्यादिष्ट नहीं किया जायेंगा। किन्तु यदि किसी स्थान के लिए चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु के परिणामस्वरूप वहां लडने वाला केवल एक अभ्यर्थी ही रह जाये तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य का समाधान हो जाने पर मतदान को प्रत्यादिष्ट करेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से आयोग को इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा और इसमें इसके पूर्व के नियमों के अनुसार, नये निर्वाचन की तरह ही, निर्वाचन के बारे में समस्त कार्यवाहियां पुनः प्रारम्भ होगी;

परन्तुः–

(i) उस व्यक्ति के मामले में कोई और नामनिर्देशन आवश्यक नहीं होगा जो मतदान के प्रत्यादिष्ट होने के समय एक लडने वाला अभ्यर्थी था; और

(ii) कोई भी व्यक्ति जिसने मतदान प्रत्यादिष्ट होने से पूर्व नियम 28 के उप–नियम (1) के अधीन अपनी अभ्यर्थिता के प्रत्याहरण का नोटिस दे दिया था, ऐसे प्रत्यादेशन के पश्चात निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम–निर्देशन होने के लिए अपात्र नहीं होगा।

अध्याय–11 शपथ या प्रतिज्ञान

74 . **निर्वाचन परिणामों का प्रकाशनः–** किसी पंचायतीराज संस्था के सदस्य के रूप में या अध्यक्षों या उपाध्यक्षों के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के नाम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे ।

75 . **शपथ या प्रतिज्ञानः–** किसी पंच, सरपंच, प्रधान, उप–प्रधान, प्रमुख, उप–प्रमुख और पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा धारा 24 के अधीन ली जाने वाली शपथ या किया जाने वाला प्रतिज्ञान प्ररूप–11 में होगा।

76. **शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने का समय और रीति :–** (1) पंचायतीराज संस्था के समस्त सदस्य या अध्यक्ष और उपाध्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान उसके परिणाम की घोषणा के पश्चात् तीन मास के भीतर–भीतर किसी भी समय ली जायेगी या कराया जायेंगा।

(2) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी शपथ या प्रतिज्ञान, परिणाम की घोषणा के पश्चात् किसी भी समय निम्नलिखित के समक्ष ली जा सकेगी या किया जा सकेगा;

(i) रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष; या

(ii) संबंधित तहसीलदार के या कलेक्टर द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अधिकारी के समक्ष; या

(iii) पंच के मामले में सरपंच के समक्ष; या

(iv) पंचायत, पंचायत समिति या यथास्थिति, जिला परिषद् को किसी बैठक में और उनको किये जाने के समय हस्ताक्षरित शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय को भेजे जायेंगे और वहां पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए रखे जायेंगे जिसकी समाप्ति पर उन्हें विनष्ट कर दिया जायेंगा।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–5

प्ररूप – 1

डाक मतपत्र हेतु

रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन–पत्र

प्रेषितिः–

रिटर्निंग ऑफिसर,
पंचायत समिति/जिला परिषद* ..... (नाम)
सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .....

महोदय,

मैं ..... पंचायत समिति/जिला परिषद* .... के सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... के होने वाले निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ।

मेरा नाम पंचायत समिति ..... व जिला परिषद .... के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... में समविष्ठ ग्राम पंचायत ... . के वार्ड संख्या ..... की निर्वाचक नामावली के क्रम संख्या ..... पर प्रविष्ठ है।

मुझे मतपत्र इस पते पर भेजा जायें।

पताः–

भवदीय

.....

.....

....

स्थान .....

तारीख .....

नोटः– जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचक हेतु डाक मतपत्र प्राप्त करने के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायें।

***जो लागू ना हो, उसे काट दीजिए।**

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–6-A

प्ररूप – 4

नाम निर्देशन–पत्र

(नियम–25(1) देखिये)

पंच/सरपंच का निर्वाचन।

पंचायत समिति ..... जिला ..... की पंचायत ..... के लिए निर्वाचन मैं इसके द्वारा नोटिस देता हूँ कि मैं स्वयं को वार्ड संख्या .....से उपर्युक्त पंच/सरपंच के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तावित करता हूँ।

1. पूरा नाम .....
2. अभ्यर्थी का लिंग .....
3. अभ्यर्थी की जाति .....
   (केवल अजा./ज.जा/अ.पि.व. के व्यक्तियों द्वारा भरा जाये)
4. पंचायत का नाम तथा संबंधित वार्ड संख्या दर्शाते हुए मतदाता की क्रम संख्या .....
5. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम .....

मैं यह और घोषित करता हूँ कि–

(1) मैं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अधीन पंच/सरपंच के रूप में अर्ह हूँ।
(2) मैं उक्त अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के भी अध्यधीन नहीं हूँ।
(3) मैं अनुसूचित जातियों/अनु.जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का हूँ/नहीं हूँ।
(4) मैंने नियम 56(3) के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति जमा करायी है। (केवल सरपंच के लिए लागू)

तारीख .....
स्थान .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा भरा जाये

*उक्त वार्ड/पंचायत की क्रम संख्या जिससे अभ्यर्थी चुनाव लड़ना चाहता है .....
*ऐसे वार्ड/पंचायत के लिए नाम निर्देशन–पत्र की क्रम संख्या .....
यह नाम निर्देशन मुझे श्री/श्रीमती/कुमारी .....(अभ्यर्थी) द्वारा ..... (तारीख) को .... बजे प्रस्तुत किया गया था।

रिटर्निंग अधिकारी

नाम निर्देशन–पत्र स्वीकार या नामंजूर करने का विनिश्चय

मैंने नाम निर्देशन–पत्र की परीक्षा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कर ली है और मेरा विनिश्चय निम्नलिखित है:–

तारीख .....

रिटर्निंग अधिकारी

.....

(नाम निर्देशन–पत्र की रसीद)

उस वार्ड/पंचायत की क्रम संख्या जिससे अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ना चाहता है .....ऐसे वार्ड/पंचायत के लिए नाम निर्देशन–पत्र की क्रम संख्या .....जो पंच/सरपंच के रूप में निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी है, का नाम निर्देशन–पत्र मुझे ..... (तारीख) को ..... बजे श्री .....जिनके साथ पहचानकर्ता श्री ..... थे, के द्वारा परिदत्त किया गया था।

नाम निर्देशन–पत्र को .....(तारीख) को ..... बजे ..... (स्थान) में संवीक्षा के लिए लिया जायेंगा।

तारीख .....
स्थान .....

रिटर्निंग अधिकारी

---

*टिप्पणः जो संबंधित न हो कृपया उसे काट दीजिए।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–6-B

''प्ररूप–4घ''

(नियम 25 और 58 देखिए)

.....ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति/ जिला परिषद् के वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....

.....से पंच/सरपंच/सदस्य के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली घोषणा।

मैं, ...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....आयु .....वर्ष निवासी.....

.....जो उक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है, इसके द्वारा निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:–

1. कि मैं किसी लम्बित केस (केसों) में ऐसे अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जो पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय है जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा आरोप (आरोपों) विरचित कर दिये गये है।

यदि अभिसाक्षी (अभ्यर्थी) ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित सूचना देगाः–

(i) केस/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....

(ii) पुलिस थाना (थाने) .....जिला (जिले)..... राज्य.....

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए अभ्यर्थी आरोपित हैः– .....

(iv) न्यायालय (न्यायालयों) जिसने आरोप (आरोपों) को विरचित किया है .....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप (आरोपों) का विरचन किया गया है .....

(vi) क्या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा सभी या किन्हीं कार्यवाहियों में स्थगन दिया गया है .....

यदि हॉ, तो न्यायालय का नाम..... आदेश की तारीख .....

2. कि मुझे किसी अपराध (अपराधों) के लिए दोषसिद्व और दण्डित किया गया है/नहीं किया गया है। यदि अभिसाक्षी (अभ्यर्थी) दोषसिद्व और दण्डित है तो वह निम्नलिखित सूचना देगा।

(i) केस/प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या/संख्याएं.....

(ii) न्यायालय (न्यायालयों) जिसने दण्डित किया.....

(iii) पुलिस थाना (थाने) .....जिला (जिले)..... राज्य.....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित हुआ है.....

(v) वह तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया (सुनाये गये)

(vi) दण्ड का ब्यौरा .....

(vii) क्या दण्डादेश (दण्डादेशों) पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा स्थगन दिया गया है (ब्यौरा दें).....

(viii) क्या दोषसिद्वि (दोषसिद्वियों) पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है (ब्यौरा दें).....

3. यह कि मैं इसके नीचे मेरे बच्चे, जो जीवित है, का ब्यौरा दे रहा हूँ/रहीं हूँ:–

(क) 23.04.1994 को मेरे बच्चों की कुल संख्या.....थी और उनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः– क्र.सं.

नाम जन्म की तारीख

(i)

(ii)

(iii)

(ख) 23.04.1994 से 27.11.1995 की कालावधि में जन्में बच्चों की कुल संख्या ..... है और उनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

नाम जन्म की तारीख

(i)

(ii)

www.rajteachers.com

(ग) 28.11.1995 को और उसके पश्चात् जन्में बच्चों की कुल संख्या..... है और उनका ब्यौरा निम्नुसार हैः–

नाम जन्म की तारीख

(i)
(ii)

4. यह कि मैं इसके नीचे मेरी, मेरे पति/पत्नी और आश्रितों की आस्तियों (स्थावर, जंगम, बैंक अतिशेष इत्यादि) का ब्यौरा दे रहा हूँ:

क. चल अस्तिया (सम्पत्तियां)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ख. स्थावर आस्तियों का ब्यौरा

(**टिप्पणीः**–संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करने वाली संयुक्त स्वामित्व में सम्पतियां भी उपदर्शित की जानी चाहिएं)

क्र.स.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित–1 का नाम	आश्रित–2 का नाम	आश्रित–3 का नाम
(i)	कृषि भूमि – अवस्थिति (अवस्थितियां) –सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं) –सीमा (कुल माप) –वर्तमान बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि – अवस्थिति (अवस्थितियां) –सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं) –सीमा (कुल माप) – वर्तमान बाजार मूल्य					
(iii)	भवन (वाणिज्यिक और आवासीय) –अवस्थिति (अवस्थितियां) –सर्वेक्षण/मकान संख्या (संख्याएं) – सीमा (कुल माप) – वर्तमान बाजार मूल्य					
(iv)	मकान/अपार्टमेन्ट इत्यादि –अवस्थिति (अवस्थितियां) –सर्वेक्षण/मकान संख्या (संख्याएं) – सीमा (कुल माप) – वर्तमान बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे सम्पति में हित)					

स्थान.....
दिनांक .....

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–6-C

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा/अंडरटेकिंग

{देखें धारा 19(थ) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994}

{राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 दिनांक 01.04.2015 द्वारा प्रतिस्थापित}

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी* श्री .... निवासी .... जिसने जिला परिषद/पंचायत समिति/ पंचायत सर्किल* ..... के निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या ..... के सदस्य/सरपंच/पंच* के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया हैं, मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि :–

1. मेरे घर में स्वच्छ कार्यशील शौचालय है, जो तीन दीवारों, एक दरवाजा और छत से घिरा हुआ है। इसमें जल–बन्ध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था है।
2. मेरे परिवार का कोई भी सदस्य (पति/पत्नी* बच्चे एवं साथ निवास कर रहे माता/पिता) खुले में शौच के लिए नहीं जाते है।

तारीख .....

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपरोक्त तथ्य सही है।

साक्षी के हस्ताक्षर
(नाम व पता सहित)

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

दिनांक .....

स्थान .....

---

* जो लागू ना हो, उसे काट दीजिए।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–6-D
उपाबंध I-B
(शपथ पत्र)

सरपंच के चुनाव के लिए नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ–पत्र।

ग्राम पंचायत .....

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु ..... वर्ष, जो .....(डाक का पूरा पता लिखें) का की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:–

(1) मैं .....उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच पद का चुनाव लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम ग्राम पंचायत ..... के वार्ड संख्या .....की मतदाता सूची के क्रम सं. ..... पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे संपर्क दूरभाष

(क) निवास .....

(ख) मोबाइल नं. .....

(4) आय–कर विवरणी फाईल करने की स्थिति :

क्र.सं.	नाम	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।
1.	स्वयं	
2.	पति या पत्नी	
3.	आश्रित–1	
4.	आश्रित–2	
5.	आश्रित–3	

(5) मैं किसी लंबित मामले में पांच वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का अभियुक्त हूँ, जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये है/नहीं हूँ

(यदि अभिसाक्षी के विरूद्ध ऐसा कोई आपराधिक मामला (मामले) लंबित है तो वह निम्न सूचना भरेगा।)

मेरे विरूद्ध पांच वर्ष या अधिक अवधि के कारावास के दण्डनीय निम्न मामले लंबित है जिनमें न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये हैं।

(क)	संबंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के विवरण सहित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. (FIR No.)	
(ख)	संबंधित अधिनियम की धारा और जिस अपराध आरोप लगाया गया है का संक्षिप्त विवरण	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला सं. (Case No.) और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख (Date of Order taking cognizance)	
(घ)	न्यायालय जिसके द्वारा आरोप विरचित	

www.rajteachers.com

	किये गये हैं।	
(ङ)	आरोप विरचित किये जाने की तारीख	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाहियां सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई हैं।	

(6) मुझे आपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया गया है/नहीं किया गया है।

यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार दोषिसिद्ध किया गया है तो वह निम्न सूचना देगा।
मुझे नीचे वर्णित मामलों में दोषसिद्व किया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया हैं।

(क)	मामले का विवरण, संबंधित अधिनियम की धारा और अपराध का विवरण जिसके लिए दोष सिद्ध किया गया हैं।	
(ख)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और आदेश की तारीख/माह/वर्ष	
(ग)	अधिरोपित दण्ड	
(घ)	क्या दोषसिद्धी के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाईल की गई है। यदि हाँ तो अपील का विवरण एवं वर्तमान स्थिति	

टिप्पणः

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से एवं सुपाठ्य अक्षरों में भरे जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद (item) के सामने विभिन्न कॉलमों के अधीन प्रत्येक मामले (case) के ब्यौरे पृथक रूप से दिये जाए।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिये जाने चाहिए, अर्थात नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त शीट जोडी जा सकती है।

(7) यह कि मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की चल और अचल सम्पत्ति आदि (Movable and immovable property etc.) के ब्यौरे नीचे देता हूँः

अ. चल सम्पत्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में सम्पत्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनियोग की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – ''आश्रित'' से अभ्यर्थी के पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी अभिप्रेत है, जिसके आय के पृथक साधन नहीं है और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 – प्रत्येक विनियोग के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग–अलग दिए जाने हैं।

www.rajteachers.com

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	नकद					
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाईटियों के पास सभी तरह की जमा का विवरण और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम					
(iii)	कंपनियों के बंधपत्रों, ऋणपत्रों/शेयरों तथा यूनिट /म्युचल फण्ड और अन्य विनियोग का विवरण और रकम					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनियोग के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनियोग और रकम					
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम					
(vi)	मोटर वाहन/वायुयान/ याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (बजन और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य सम्पत्ति जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	कुल सकल मूल्य					

www.rajteachers.com

ब. अचल सम्पत्तियों के ब्यौरे –

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में सम्पत्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 1 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (Location)					
	क्षेत्र (एकड़/हैक्टेयर में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (Location)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन – अवस्थिति और पता (Location and address)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन/संस्थानिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) – अवस्थिति और पता (Location and address)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य					

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं /देय राशि (Liabilities/dues) **के ब्यौरे नीचे देता हूँ:–**

(टिप्पणः कृपया बैंक, संस्था, निकाय (entity) या व्यष्टिक (individual) के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग–अलग विवरण दें)

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था ऋण या देय राशि बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	उपर वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य					

www.rajteachers.com

	व्यष्टिकों (individual), निकाय (entity) ऋण या देय राशि नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य देयता (any other Liabilities)					
	देयताओं का सकल योग					
(ii)	सरकारी शोध्यः (Government dues) सरकारी आवास से संबंधित विभागों का बकाया					
	जलदाय विभाग का बकाया					
	विद्युत विभाग का बकाया					
	विकास प्राधिकरण सहित शहरी निकाय/हाउसिंग बोर्ड/पंचायतीराज संस्थाओं का बकाया					
	कोई अन्य बकाया					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे : (Details of profession or occupation)

(क) स्वयं .....

(ख) पति या पत्नी .....

(10) आय के स्रोत के ब्यौरे – (Details of sources of income)

(क) स्वयं .....

(ख) पति या पत्नी .....

(ग) आश्रितों के .....

(11) समुचित सरकार, पंचायतीराज संस्थाओं और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाए–

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे .....

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे .....

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे .....

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध है, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे .....

(ङ) भागीदारी फार्मो द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौर, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं .....

(च) प्राईवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा (share) है .....

www.rajteachers.com

(12) मेरी शैक्षिक योग्यता नीचे दिए अनुसार हैः–

.....

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयक्रम पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुऐ विद्यालय/महाविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है।

आज तारीख ..... को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1. शपथपत्र नाम–निर्देशन पत्र से साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी कॉलम भरे जाने चाहिए और कोई कॉलम खाली नहीं छोडा जाये। यदि किसी मद (item) के संबंध में उपलब्ध कराने के लिए कोई सूचना नहीं है तो, ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता'' उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र या तो टंकित (typed) या सुपाठ्य रूप से साफ–साफ (legibly and neatly) लिखा होना चाहिए।

टिप्पण : 5. शपथपत्र 50/–रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial Stamp Paper) पर दिया जायेगा।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–6-E

जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य/सरपंच के निर्वाचन में खड़े होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा भरे जाने वाला सांख्यकीय सूचना का फार्म

(यह फार्म नोमिनेशन फार्म के साथ भर कर दिया जावे)

कृपया अपनी
पासपोर्ट साईज
फोटो लगायें

जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत वृत का नाम ..... निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....

1. उम्मीदवार का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. डाक का पता .....
4. दूरभाष/मोबाईल नम्बर ..... (1) निवास का .....
   (2) मोबाईल नं. .....
   (3) E-mail address ……..@.....
5. लिंग .....
6. अनुमानित आयु (आज की तिथि को) .....
7. जाति .....
   (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के हो तो शब्द ''अनु. जाति'' या ''अनु.जनजाति'' या ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' लिखकर उस जाति का नाम लिखें)
8. व्यवसाय .....
9. शैक्षणिक योग्यता .....
   (लिखें– साक्षर या दसवीं पास या ग्रेज्युएट या पोस्टग्रेज्युएट, प्रोफेशनल डिग्री)
10. यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल से सम्बंधित है, तो उस दल का नाम .....
11. क्या इससे पूर्व आपने कभी कोई चुनाव लड़ा है तो, उसका संक्षिप्त विवरण–जीतें या हारें ? .....
12. क्या आप पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय निकाय संस्थाओं के किसी पद पर पूर्व मे रहे है तो उसका उल्लेख अवधि सहित करें। .....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक .....
स्थान .....

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–7

LIST OF POLLING MATERIALS
(For Panch/Sarpanch or PS/ZP Election)

S.No.	Name of Articles	Scale
1	2	3
	1. Articles	
1.	Pin Sheet	2 sheets or 20 pins per R.O.
2.	White Paper (17"X27")	1/2 Zr. R.O.
3.	Craft wrapping paper (17"X27)	8 sheet per R.O.
4.	Carbon paper (pencil) (17"X27")	1 Qr. or 24 sheets of full scape size per R.O.
5.	Sealing Wax	1 pkt. (10 sticks) per R.O.
6.	Twine	10 metres per R.O.
7.	Digit rubber seal	1 set of required number per R.O.
8.	Dot pen	Outright payment
9.	Self Inking Stamp pad purple	1 per party & 1 per R.O. Extra
10.	Stamp pad ink (ISI) phials	1 phial of one Oz. per party
11.	Brass seal with inscription 'P' or "Presiding Officer"	1 per party for sealing envelopes or any election record
12.	Distinguishing mark seal for authentication of ballot papers (Rule 39)" ia-jk-la-"	1 per party & 1 per R.O. Extra
13.	Ballot box	2 Big size per party 1 Small size per party
14.	Curtains (a) cloth curtains or (b) Card board voting compartment	1 per party having two Compartment + 1 extra per R.O. 2 per party + 1 extra per R.O.
15.	Rubber AŸkow Cross Mark Seal	6 per booth + 1 per R.O.
16.	Wire for ballot boxes	1 metre per booth
17.	Iron Pusher	1 per party
18.	Glue Bottle (60 Ml.)	1 per party plus 1 extra per R.O.
19.	Pink paper seals size 10" length	10 per booth
20.	Card Board Pieces	10 per booth for Ballot Boxes
21.	Indelible Ink Phial	1 per booth 1 per R.O. per Panchayat
22.	Metal Rule	1 per party for cutting Ballot papers if candidates are less or more
23.	Rubber Rejection Seals	1 per R.O.
24.	Rubber Bands for tying ballot papers during counting	50 grams or about 200 bands per party
25.	Sootli	2 Oz. or 10 Metre per booth
26.	Lantern	To be aŸkanged by Panchayat or outright payment
27.	Bamboos	To be aŸkanged by Panchayat or outright payment
28.	Bucket	To be aŸkanged by Panchayat or outright payment
29.	Lota	To be aŸkanged by Panchayat or outright payment
30.	Kerosine Oil	2 litre per booth on payment
31.	Moonj Rope	10 metres per party
32.	Iron Nails Big Size	6 per party
33.	Iron Nails Small Size	10 per party
34.	Candle Sticks (6" length & 1" thick)	2 sticks per booth & 1 per R.O. extra

www.rajteachers.com

S.No.	Name of Articles	Scale
1	2	3
35.	Counting Trays	5 per party
36.	Match Box	outright payment
37.	Blade	outright payment

2. Important Articles

1.	Ballot papers for Panch & Sarpanch/ PS & ZP	Equal to actual No. of voters in a panchayat rounded to next 10 for Sarpanch & rounded to next 100 for Panch Ballot Papers.
2.	Extra Slips of Symbols	As provided
3.	Ballot papers for Up-Sarpanch	Equal to No. of wards + 2
4.	Working sets of voters list for polling	3 sets i.e. 1 for R.O., 1 for Polling Officer, 1 for Asstt. Polling Officer identification, 1 for Asstt. Polling Officer. Panch ballot paper, 1 for Asstt. Polling Officer Sarpanch ballot paper.
5.	Service postage stamps	As required for despatching Form-VII
6.	Instruction book i.e. Margdarshika.	1 per Polling Officer and 1 per R.O.
7.	List of ward Numbers alongwith their status of reservation . (including of Sarpanch)	1

3. Forms

1.	Form 6 - List of Tendered Votes	2 per booth each for Panch and Sarpanch
2.	Form 7 - Return of result	10 per Panchayat
3.	Form 9 - Appointment of Polling Agent (Sarpanch only)	5 per polling station,
4.	Appointment of Counting Agent (Form–10) (For Sarpanch only)	30 per Panchayat
5.	Oath Form (Form-11)	Equal to number of wards plus 3 extra
	(II) Non-Statutory Forms :-	
6.	Form of Statistics-Panch	1 per Panchayat to be filled by R.O.
7.	Form of Statistics-Sarpanch	1 per Panchayat to be filled by R.O.
8.	Label for R.O.	1 per R.O.
9.	Notice U/r 30 (3) [For Panch/Sarpanch election]	1[per polling booth + 1 extra to be pasted at Panchayat Office]
10.	Vehicle Log Sheet Cum Hire Bill	2 per vehicle
11.	Label for Ballot Box (i) Panch/Sarpanch election	4 per Booth

www.rajteachers.com

S.No.	Name of Articles	Scale
1	2	3
15.	Receipt Book Containing 25 pages	1 per Book per Panchayat
16.	Placard "Exit"/"Entry"	1 each per party
17.	Placard-"Disabled/Sr.citizens"-to give them priority in voting.	2 per booth
18.	Badges-Polling Officer	1 per booth
19.	Badges-Asstt. P.O.	4 per booth
20.	Badges-Polling Agent	4 per booth
21.	Receipt Form	1 per R.O.
22.	Form- boothwise statistics voters turnout.	1 per booth
23.	Forme-declaration of electors regarding age.	5 per booth
24.	List of voters from whom declaration regarding age obtained.	1 per booth
25.	Form of notice of meeting of Up-Sarpanch election.	Number of wards + 4 extra.

4. Envelops For Panch/Sarpanch

[All relevant envelops. P-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 28, 29 and 33; and in case Up-Sarpanch election-P-40 and P-41]

5. Envelops For PS/ZP

[All relevant envelops. P-2, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 38 and 39.]

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–8-A

प्ररूप – 5

विधि मान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची, जिनके नाम निर्देशन पत्र मंजूर किये गये है और वापस नही लिये गये है

.....पंचायत के लिए निर्वाचन **(सरपंच चुनाव)**

निर्वाचन की तारीख.....

क्रम संख्या	पते सहित अभ्यर्थी की क्रम संख्या और नाम	आवंटित सुभिन्न प्रतीक
1	2	3
1		
2		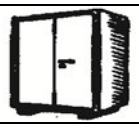
3		
4		
5		
6		
7		
8		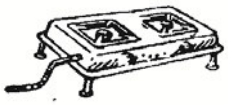
9		
10		

www.rajteachers.com

क्रम संख्या	पते सहित अभ्यर्थी की क्रम संख्या और नाम	आवंटित सुभिन्न प्रतीक
11		
12		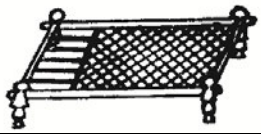
13		
14		
15		
16		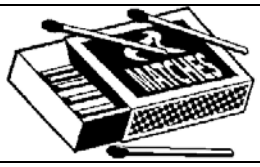
17		
18		
19		
20		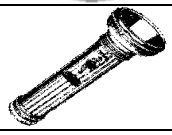

तारीख.....

स्थान.....

रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–8-B

प्ररूप – 5

विधि मान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची, जिनके नाम निर्देशन पत्र मंजूर किये गये है और वापस नही लिये गये है

.....पंचायत के लिए निर्वाचन **(पंच चुनाव)**

निर्वाचन की तारीख.....

क्रम संख्या	पते सहित अभ्यर्थी की क्रम संख्या और नाम	आवंटित सुभिन्न प्रतीक
1	2	3
1		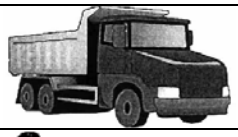
2		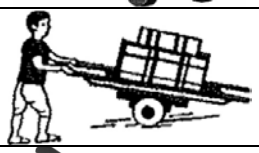
3		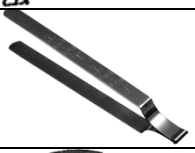
4		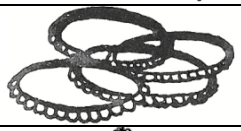
5		
6		
7		
8		
9		
10		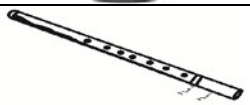

तारीख.....

स्थान.....

रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–9

प्ररूप – 6

(नियम–44 देखियें)

निविदत्त मतों की सूची

..... वार्ड/पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन

वार्ड/पंचायत/ पं.स./जि.प. के निर्वाचन क्षेत्र की क्र.सं.	निर्वाचक की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचक का पता	निविदत्त मतपत्रों की क्रम संख्या	ऐसे व्यक्ति को जारी किये गये मतपत्रों की क्रम संख्या, जो मत दे चुका है	निविदत्त मत देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप
1	2	3	4	5	6

स्थान .....

दिनांक .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–10
प्ररूप–7

(नियम–52, 59, 60, 61 देखिये)

पंच/सरपंच/पंचायत समिति का सदस्य/जिला परिषद् के सदस्य के पद के लिए निर्वाचन के परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी

पंच/सरपंच/पंचायत समिति का सदस्य/जिला परिषद् का सदस्य
पंचायत/पंचायत समिति जिला परिषद् .....
कुल निर्वाचक मण्डल .....
पंचायत समिति ..... जिला .....
निर्वाचन की तारीख .....

कुल निर्वाचक मण्डल सहित वार्ड/पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्र की संख्या (आरक्षण के ब्यौरे यदि कोई हो तो)	नियम 29(2) के अधीन निर्विरोध घोषित अभ्यर्थियों के नाम (केवल जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य के लिए राजनैतिक दल का नाम)	उन अभ्यर्थियों के नाम जिनके लिए विधिमान्य मत डाले गये है (केवल जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य के लिए राजनैतिक दल का नाम)	**कॉलम (2) व (3) में उल्लिखित अभ्यर्थियों की विशिष्टयां**						प्रत्येक अभ्यर्थी को डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या	नामंजूर किये गये मतों की संख्या	नियम 51 के अधीन लाट का यदि कोई हो, परिणाम	अभ्युक्तियां
1	2	3	4						5	6	7	8
			(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)				
			पता	जाति (अ.जा.या अ.जन.जा. या अ.पि. का उल्लेख कीजिए)	शैशिक्ष स्तर क्या निरक्षर/मिडिल, से कम/मेट्रिक/स्नातक है	आयु वर्षों में	व्यवसाय	क्या पूर्व में पंच या सरपंच का पद धारित किया है				
		1..... 2..... इत्यादी नोटा (इनमें से कोई नही)										

मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि निम्नलिखित अभ्यर्थी प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट वार्डों से पंच के रूप में निर्वाचन क्षेत्र सं. ..... से उपर्युक्त पंचायत के सरपंच के रूप में/पंचायत समिति/जिला परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है/हुए है।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम (पंच या सरपंच) सदस्य, पंचायत समिति/जिला परिषद्	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम और पता	लिंग	जाति	वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या	अभ्युक्तियां

स्थान .....
दिनांक .....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–11
मतदान बूथ का ले
आउट प्लान
(पंच–सरपंच अथवा जिला परिषद्/पंचायत समिति चुनाव)

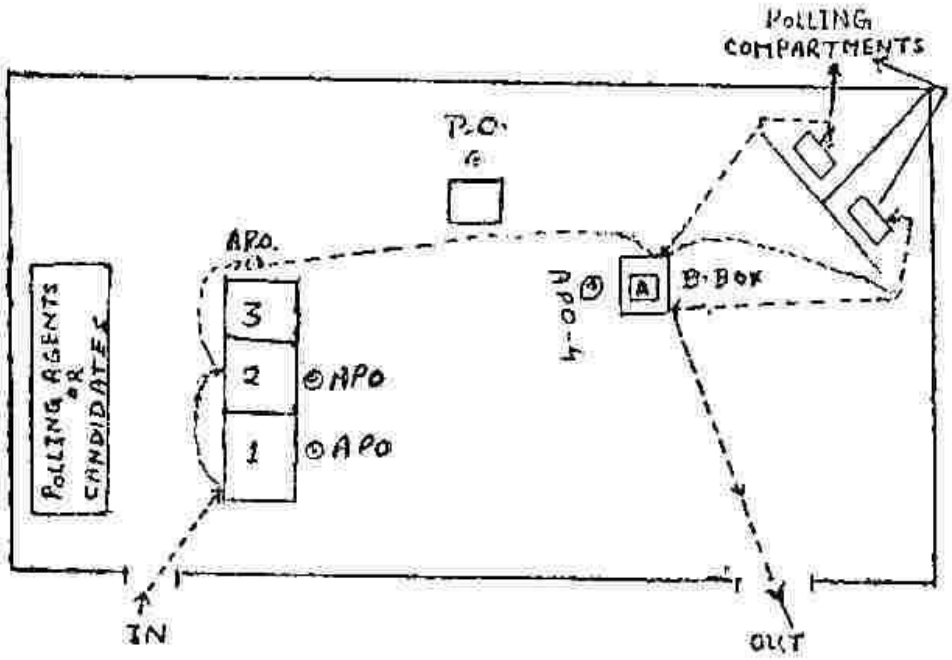

1. P.O. – Polling Officer	=	Incharge of booth
2. A.P.O. 1	=	Identification
3. A.P.O. 2	=	Incharge B.P. - + marked copy of rolls for Panch/PS election
4. A.P.O. 3	=	Incharge B.P. - + marked copy of rolls for Sarpanch/ZP election
5. A.P.O. 4	=	Incharge Indelible ink arrow cross mark seal + stamp pad + ballot box

NOTE:- Common ballot box for insertion of ballot papers of election of Panch & Sarpanch. Simillarly Common ballot box for insertion of ballot papers of ZP & PS Election.

APO - Assistant Polling Officer

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–12

प्ररूप–8

(नियम–68 देखिये)

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप

मैं .....

*पंचायत समिति ..... के निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से पंचायत समिति के सदस्य

*निर्वाचन क्षेत्र सं..... से जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन का जो ..... को होने जा रहा हैं, अभ्यर्थी, इसके द्वारा श्री ..... को

(अभिकर्ता का नाम)

उपर्युक्त निर्वाचन के लिए इस तारीख से मेरे निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ

स्थान ....

तारीख ..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं उपर्युक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ।

स्थान ....

तारीख ..... निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

अनुमोदित

स्थान ....

तारीख ..... रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–13

पंच/सरंपच/जिलापरिषद्/पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव
(निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्ररूप)

जिला परिषद/पंचायत समिति का नाम ————————————————————
ग्राम पंचायत का नाम ————————————————————————
निर्वाचन क्षेत्र का संख्याक ————————————————————————
मतदान केन्द्र की संख्या व नाम ————————————————————————

निर्वाचक द्वारा घोषणा

मैं, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि सन् 20..... की प्रथम जनवरी को अर्थात् अर्हता की उस तारीख को जिसके प्रति–निर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई थी, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक थी।

मुझे निर्वाचक नामावलियों में या निर्वाचक नामावली की तैयारी/पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने संबंधी मिथ्या घोषणा के बारे में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 के दण्डात्मक उपबन्धों के बारे में जानकारी है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
पिता/पति का नाम .....
निर्वाचक नामावली का भाग .....
निर्वाचक की क्रम संख्या .....

तारीख

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा की घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किये।

पीठासीन अधिकारी (मतदान अधिकारी) के हस्ताक्षर

तारीख .....

.....
मतदान केन्द्र की संख्या व नाम

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–14

पंच/सरंपच/जिलापरिषद्/पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची

———————————————— जिला परिषद/पंचायत समिति के लिए निर्वाचन क्षेत्र संख्याक ———— ग्राम पंचायत का नाम ————————————————

मतदान केन्द्र (बूथ) की संख्या व नाम ————————————————

भाग – I

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणायें प्राप्त की गई हैं।

क्रम संख्या	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली की वार्ड संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा–निर्धारित आयु
1	2	3	4	5

भाग – II

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे अपनी आयु के संबंध में घोषणायें करने से इन्कार कर दिया है।

क्रम संख्या	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली की वार्ड संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा–निर्धारित आयु
1	2	3	4	5

दिनांक .....

पीठासीन अधिकारी (मतदान अधिकारी)
के हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–15

लिफाफों का विवरण जो मतदान दलों को तैयार करने हैं

(अ) प्रत्येक मतदान अधिकारी द्वारा प्रत्येक चुनाव के पृथक्–पृथक् तैयार किये जाने वाले लिफाफे :–
(बूथवार)

क्र.स.	केवल पंच चुनाव से संबंधित	केवल सरपंच चुनाव से संबंधित	केवल पंचायत समिति सदस्य चुनाव से संबंधित	केवल जिला परिषद् सदस्य चुनाव से संबंधित
	जो सील करने है :–	जो सील करने है	जो सील करने है	जो सील करने है
1.	अप्रयुक्त मतपत्र (पंच) P–4	1. अप्रयुक्त मतपत्र (सरपंच) P–3	1. अप्रयुक्त मतपत्र (पं.स. सदस्य) P–24	1. अप्रयुक्त मतपत्र (जि.प. सदस्य) P–25
2.	चिन्हित मतदाता सूची (पंच) P–5	2. चिन्हित मतदाता सूची (पंच) P–6	2. चिन्हित मतदाता सूची (पं.स. सदस्य) P–26	2. चिन्हित मतदाता सूची (जि.प. सदस्य) P–27
3.	खराब व रदद् मतपत्र (पंच) नियम 42 P–13	3. खराब व रदद् मतपत्र (सरपंच) नियम 42 P–12	3. खराब व रदद् मतपत्र (पं.स. सदस्य) नियम 42 P–14	3. खराब व रदद् मतपत्र (जि.प. सदस्य) नियम 42 P–15
4.	निविदत्त मतपत्र व सूची (पंच) P–16	4. निविदत्त मतपत्र व सूची (सरपंच) P–17	4. निविदत्त मतपत्र व सूची (पं.स. सदस्य) P–18	4. निविदत्त मतपत्र व सूची (जि.प. सदस्य) P–19
			जो सील नहीं करने है :–	जो सील नहीं करने है :–
			6. मतपत्र लेखा (पं.स.सदस्य) P–30	6. मतपत्र लेखा (जि.प.सदस्य) P–31

www.rajteachers.com

(ब) मतदान अधिकारी द्वारा तैयार किये जाने वाले अन्य लिफाफेः–

(बूथवार–लिफाफे)	पंच व सरपंच चुनाव	पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद् सदस्य चुनाव दोनो के लिये एक–एक	
			(सील नहीं करने हैं)
		1. महिला / पुरूष वार सांख्यिकी आंकड़ों का फार्म (पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य)	P–2
		2. पिंक पेपर सील का लेखा एवं मतदान अधिकारी की घोषणा (पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य)	P–32
		3. मतदान अधिकारी की डायरी (पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य) [पं.स./जि.प. सदस्य चुनावों मे प्रत्येक के मतपत्र लेखा प्रपत्र की अतिरिक्त 1–1 प्रतियां सहित]	P–38
		4. विविध कागजात – (पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य) मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व उनकी सूची; अप्रयुक्त पेपर सीलेंय मतदान अभिकर्ता – नियुक्ति के फार्म, कार्यकारी मतदाता सूचियों की अन्य प्रतियां आदि	P–39

नोटः– पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद् के निर्वाचन से संबंधित उपरोक्त मद सं. (अ) तथा (ब) में बताये गये सभी बूथवार 16 लिफाफे (यानि P–24, 26, 14, 18, 22, 25, 27, 15, 19, 23, 30, 31, 2, 32, 38 एवं 39) तैयार किये जाकर जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन वाली मतपेटी के साथ–साथ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को मतदान समाप्ति के बाद संभला दिया जायें। पंच/सरंपच से संबंधित लिफाफे पंचायत मुख्यालय पर रिटनिंग अधिकारी को संभला दिये जायें।

(स) रिटर्निग अधिकारी (पंच/सरपंच) द्वारा तैयार किये जाने वाले लिफाफेः–

1. निम्न कागजात का बड़ा लिफाफा (जो सील नहीं करना है) P–1
   - (i) नामनिर्देशन–पत्र एवं संबध्दं कागजात (पंच) सभी वार्डो के — प्रति पंचायत–1
   - (ii) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (पंच) सभी वार्डो की
   - (iii) नामनिर्देशन–पत्र एवं संबध्दं कागजात (सरपंच)

www.rajteachers.com

(iv) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची
(v) मतदाताओं की आयुसंबंधी घोषणायें व उनकी सूची
(vi) मतदान अभिकर्ता व गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के उपयोग में लाये गये फार्म
(vii) कार्यकारी मतदाता सूचियों की अन्य प्रतियां अन्य कागजात

2. चुनाव प्रतीकों की अतिरिक्त स्लिपों का बड़ा लिफाफा :–	(सील नहीं करना है) P–7	प्रति रिटर्निंग अधिकारी–1
3. वैध मत–पत्र (सरपंच)	(सील करना है) P–8	प्रति रिटर्निंग अधिकारी–1
4. वैध मत–पत्र (पंच)	(सील करना है) P–9	प्रति रिटर्निंग अधिकारी–5
5. मतगणना में खारिज मतपत्र (सरपंच)	(सील करना है) P–28	प्रति रिटर्निंग अधिकारी–1
6. मतगणना में खारिज मतपत्र (पंच)	(सील करना है) P–29	प्रति रिटर्निंग अधिकारी–1
7. पंच/सरपंच के सांख्यिकीय आंकड़े	(सील नहीं होगा) P–10	प्रति रिटर्निंग अधिकारी–1
a. सांख्यिकीय फार्म–पंच	[नोटः– पंच व सरपंच के आंकड़ों के तीनों फार्म पृथक काउंटर	
b. सांख्यिकीय फार्म–सरपंच	पर जमा करायें या जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा	
c. बूथवार – मतदान के आंकडे (महिला–पुरूष वार)	निर्देशों के अनुसार जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से शीघ्र पहुचा देवें।]	
8. लिफाफा (परिणाम पत्र) जि.नि.अधिकारी को जमा कराने हेतु	(सील नहीं होगा) P–11	प्रति रिटर्निंग अधिकारी–1
9. प्रतिभूति निक्षेप संबंधी रसीद बुक व जप्त राशि	(सील नहीं होगा) P–42	
10. लिफाफा जिसमें निम्न कागज होंगे–	(सील नहीं होगा) P–33	प्रति रिटर्निंग अधिकारी–1

(1) पंच/सरपंच चुनाव संबंधित पिंक पेपर सील का लेखा
(2) अप्रयुक्त व क्षतियुक्त पेपर सीलें
(3) शेष फार्म

11. डाक के लिफाफे–
परिणाम पत्र भेजने हेतु

<u>उपसरपंच चुनाव के लिफाफे</u>

(यदि उपसरपंच चुनाव कराने के निर्देश दिये जाते हैं तो उपयोग करने हैं)

12. वैध–अवैध मतपत्र	(सील करना है) (P-40)
13. उप सरपंच चुनाव का अन्य रिकार्ड	(सील करना है) (P-41)

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–16

प्ररूप–9

(नियम 69 देखिए)

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

*सरपंच, ग्राम पंचायत .....

*निर्वाचन क्षेत्र सं..... से पंचायत समिति के सदस्य

*पंचायत समिति/जिला परिषद ..... की निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... से जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन

मैं, ... अभ्यर्थी ..... जो उपर्युक्त निर्वाचन का एक अभ्यर्थी है, का निर्वाचन अभिकर्ता इसके द्वारा .... (नाम और पता) .... को ..... स्थान पर ..... मतदान बूथ सं. .... में उपस्थित होने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान ....

तारीख ..... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने को सहमत हूँ।

स्थान ....

तारीख ..... मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मतदान अभिकर्ता की घोषणा पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी है।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा।

.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान ....

तारीख ..... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–17

प्ररूप–10

(नियम 70 देखिए)

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

*निर्वाचन क्षेत्र सं..... से पंचायत समिति के सदस्य,

*पंचायत समिति/जिला परिषद .....की निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... से जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन

मैं, ... अभ्यर्थी ..... जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है, का निर्वाचन अभिकर्ता ..... को इसके द्वारा .....

(नाम और पता)

मतगणना के लिए नियत स्थान ..... पर गणन अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए नियुक्त करता हूँ।

स्थान ....

तारीख ..... अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान ....

तारीख ..... गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किये जाने के लिए गणन अभिकर्ता की घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कृत्य नहीं करूंगा।

.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान ....

तारीख ..... पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–18

प्ररूप – 11
(नियम – 75 देखिये)

शपथ का प्ररूप

मैं,.....पंच/सरपंच/प्रधान/उप–प्रधान/प्रमुख/उप–प्रमुख /पंचायत समिति/पंचायत की जिला परिषद/पंचायत समति/जिला परिषद ..... का सदस्य, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं उन कर्त्तव्यों का, जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूँ, सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूंगा और

1. मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूँगा और उसके लिए समय दूंगा।
2. मैं हर वर्ष 100 घंटे यानी सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा।
3. मैं न गंदगी फैलाउंगा और न किसी को फैलाने दूंगा।
4. मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे परिक्षेत्र से, मेरे गाँव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरूआत करूंगा। मेरा यह विश्वास है कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते है उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक न तो गंदगी फैलाते है और न ही फैलाने देते है।
5. मैं इस दृढ़ विश्वास के साथ गाँव–गाँव और गली–गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा।
6. मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ उसके लिए मैं 100 अन्य व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित करूंगा, वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा।
7. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

शपथग्रहिता के हस्ताक्षर
या अंगुठे की छाप
पदनाम सहित

रिटर्निंग अधिकारी या
प्राधिकृत व्यक्ति के
हस्ताक्षर पदनाम सहित

www.rajteachers.com

परिशिष्ट – 19

राजस्थान सरकार के भाषा विभाग द्वारा नागरी लिपि एवं वर्तनी के मानक स्वरूप के बारे में मार्गदर्शक पुस्तिका, 1992 से उद्धत

मानक हिन्दी वर्णमाला

भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप हिन्दी का मानक रूप निर्धारित करना बहुत आवश्यक था, ताकि वर्णमाला में सर्वत्र एकरूपता रहे और टाइपराइटर आदि आधुनिक यंत्रों के उपयोग में लिपि की अनेकरूपता बाधक न हो।

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने शीर्षस्थ विद्वानों आदि के साथ वर्षो के विचार–विमर्श के पश्चात् हिन्दी वर्णमाला का जो मानक स्वरूप निर्धारित किया, वह इस प्रकार है :–

मानक हिन्दी वर्णमाला

स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ
मात्राएँ ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ
अनुस्वर, (अं)
विसर्ग : (अः)
अनुनासिकता चिन्ह् ँ (अँ) (चन्द्रबिन्दु)
व्यंजन क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व ळ
श ष स ह

संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र (द्य, द्व, द्ध)
हल् व्यंजन ् (ड्)
गृहीत स्वन ऑ (ॉ) ख़, ज़ फ़ (अर्धचन्द्र नुक्ता)

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–21

(पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)
पंचायत आम चुनाव 20.....
पंच/सरपंच/पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य का चुनाव

पंचायत का नाम ..... वार्ड सं. .....

जिला परिषद/पंचायत समिति का नाम ..... के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक .....

मतदान केन्द्र का क्रम संख्यांक और नाम ..... मतदान की तारीख ..

मतदान आरम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा
भाग–1

मैं घोषणा करता हूँ किः–

1. मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बनावटी मतदान द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के लिए उपयोग की जाने वाली अगली मतपेटी खाली है।
2. मतपेटी की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पत्र मुद्रा पर मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं और उन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये हैं जो वहाँ उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे।
3. मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उससे भिन्न कोई चिन्ह नहीं है जो डाक मतपत्र और निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्रों के लिए प्रयुक्त किये गये है, और
4. मैंने मतदान अभिकर्ताओं को उन मतपत्रों के, जो मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाये जायेंगे, प्रथम और अन्तिम क्रम संख्यांक नोट करने की अनुमति दे दी है; और मतदान केन्द्र पर काम में लिये जाने वाले मतपत्रों के ..... बण्डलों को दिखा दिया है।

हस्ताक्षर ( )
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षार

1. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है।

1. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख .....

हस्ताक्षर ( )
पीठासीन अधिकारी

www.rajteachers.com

भाग–2

(बाद वाली मतपेटी/मतपेटियों के उपयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)

मैं घोषणा करता हूँ कि:–

5. मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के लिए उपयोग की जाने वाली दूसरी/तीसरी मतपेटी खाली है।

6. मतपेटी की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पत्र मुद्रा पर मैंने अपने के हस्ताक्षर कर दिये हैं और उन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये हैं जो वहाँ उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे।

हस्ताक्षर ( )
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है।

1. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख .....

हस्ताक्षर ( )
पीठासीन अधिकारी

www.rajteachers.com

भाग–3

मतदान के अन्त में घोषणा

मैंने मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान की समाप्ति के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये है, के सामने मतपेटी मुहरबन्द की और उनको अनुज्ञात कराया कि यदि वे अपनी मुहर लगाना चाहते है तो लगा सकते है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर ( )
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. ..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख .....

हस्ताक्षर ( )
पीठासीन अधिकारी

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–22

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/559 दिनांक : 07.02.2019

आदेश

यतः राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 37 में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उस निर्वाचक से सम्बंधित प्रविष्टियों के संदर्भ में से निर्वाचक की पहचान के बारे मे स्वयं का समाधान करेगा, और

यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40 में यह उपबंधित है कि किसी मतदाता को कोई मतपत्र दिये जाने के पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, यदि उसके पास मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में सन्देह करने का कारण हो तो स्वप्रेरणा से, और यदि किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो, मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर जो वह आवश्यक समझे, अपना यह समाधान कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है, जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बंधित है, और

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार निर्वाचक नामावली तैयार कर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकतम मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं एवं नव पंजीकृत मतदाताओं के लिए यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली विधानसभा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को वार्डवार विभक्त कर तैयार की जाती है, जिससे विधानसभा की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में स्वतः ही पंजीकृत हो जाते है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध होता है, जो मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए प्राथमिक मान्य दस्तावेज है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 K एवं अनुच्छेद 243 ZA के साथ पठित राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11(1) के उपबंधो के अधीन प्रदत शक्तियों एवं इस निमित्त इसे सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेश सख्या 3131 दिनांक 10.09.2009, 4796 दिनांक 09.11.2009 एवं 494 दिनांक 11.02.2014 को अतिक्रमित करते हुए यह निर्देश देता है कि राज्य की किसी भी नगरपालिका अथवा पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव हेतु मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नांकित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजो में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

1. आधार कार्ड।
2. पासपोर्ट।
3. ड्राइविगं लाइसेन्स।
4. आयकर पहचान–पत्र (पी.ए.एन.)।
5. मनरेगा जॉब कार्ड।

www.rajteachers.com

6. सांसदों, विधान सभा/परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
7. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
8. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
9. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र /वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन ओदश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
10. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
11. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण–पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
12. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)

निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि नगरपालिका के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाये और पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाये।

परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके।

आज्ञा से,

--Sd--
(अशोक कुमार जैन)
सचिव

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/**560–567** दिनांक 07.02.2019
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त एवं सचिव, पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी के साथ राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
7. अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को ई–मेल एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. समस्त शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–23-A

No. .....

पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य चुनाव
मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) की डायरी

(1) जिला परिषद का नाम व निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....

(2) पंचायत समिति का नाम व निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक .....

(3) ग्राम पंचायत का नाम, जहाँ मतदान केन्द्र स्थित है .....

(4) मतदान दल की संख्या .....

(5) मतदान केन्द्र का नाम व नम्बर .....
मतदान केन्द्र में सम्मिलित पंचायत सर्किल के वार्ड .....

(6) मतदान केन्द्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैः .....
शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय भवन/निजी भवन/

(7) उपयोग में लाई गई मतपेटियों की कुल संख्या ..... क्रम संख्या .....

(8) उपयोग में लाई गई कागज की सीलों की संख्या .....

(9) ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किये है .....

(10) मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलम्ब से आये हों,
उनकी संख्या .....

(11) (a) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार
जारी किये गये मतपत्रों की संख्या .....
(निरस्त किये गये मतपत्रों को छोडकर)
(b) निरस्त किये गये और निविदत्त मतपत्रों की संख्या .....
(c) मतदान केन्द्र पर वस्तुतः जारी किये गये मतपत्रों की संख्या (a+b) .....

पीठासीन अधिकारी	**मतपत्रों के प्रभारी सहायक**
के हस्ताक्षर	**मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर**

(12) मतदान केन्द्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या .....

(13) निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान कियाः–
पुरूष ..... महिला ..... तृतीय लिंग ..... योग .....

(14) (i) निर्वाचकों की संख्या, जिन्होंने फोटो, पहचान पत्र के आधार पर मत दिये .....
(ii) निर्वाचकों की संख्या अन्य दस्तावेजों की पहचान के आधार पर मत दिये .....

(15) अभ्याक्षेपित (चैलेन्ज्ड) मत–अनुमत संख्या ..... अस्वीकृत संख्या .....
जब्त की गई धनराशि रू. .....

(16) निविदत्त (टेन्डर्ड) मतों की कुल संख्या .....

(17) अंधे या शिथिलांग मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान करने में सहायता की गई .....

(18) निर्वाचकों की संख्या .....
(क) जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई .....
(ख) जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया .....

(19) क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था ? ..... यदि हाँ, तो ऐसे स्थगन के कारण.....
.....
.....

(20) डाले गये मतों की संख्याः–

www.rajteachers.com

(क) मतदान प्रारम्भ होने से 10 बजे पूर्वान्ह तक .....
(ख) 10 बजे पूर्वान्ह से 1 बजे अपराह्न तक .....
(ग) 1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक .....
(घ) 3 बजे अपराह्न से मतदान समाप्त होने तक .....

(21) (क) मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय पर दी गई पर्चियों (स्लिप्स) की संख्या .....
(ख) जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला हो, तक का सही–सही समय .....

(22) ब्यौरे सहित निर्वाचन अपराध
निम्नलिखित मामलों की संख्याः–
(क) मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर मत संयाचना .....
(ख) मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण (Impersonation) किया जाना।
(ग) मतदान केन्द्र पर किसी सूची या सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट कराना या हटाना
.....
(घ) मतदाताओं को रिश्वत देना .....
(ड) मतदाताओं (तथा अन्य व्यक्तिओं) को भयभीत करना .....

(23) यदि निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न अथवा बाधा उत्पन्न हुई हो; तो उनका विस्तृत रूप से उल्लेख किया जायेः–
(क) बलवा
(ख) खुली हिंसा
(ग) प्राकृतिक विपत्ति तथा
(घ) अन्य कोई कारण

(24) क्या निम्नलिखित कृत्यों द्वारा मतदान को निष्फल बनाया गया ?
(i) मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई गई मतपेटी को मतदान अधिकारी की सुरक्षा से और अवैधानिक रूप से छीन कर उसे–
(क) अकस्मात् अथवा जानबूझकर गुम हुई अथवा विनष्ट की गई .....
(ख) विनष्ट की गई अथवा उससे अन्तःक्षेप किया गया .....
(ii) किसी व्यक्ति द्वारा मतपत्रों को अवैधानिक रूप से चिन्हित कर मतपेटी में डाले गये ....यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई हो, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाये .....
.....
.....

(25) उम्मीदवारों द्वारा की गई गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हों .....

(26) विधि तथा व्यवस्था भंग करने संबंधी मामलों की संख्या .....

(27) मतदान दल (पोलिंग पार्टी) द्वारा की गई त्रुटियों तथा अनियमितताओं का पूर्ण विवरण
.....
.....
.....

(28) क्या आप द्वारा मतदान के पूर्व, मतदान के बीच यदि दूसरी/तीसरी मतपेटियों का उपयोग किया गया हो, तो उसके उपयोग में लाने के पूर्व तथा मतदान समाप्ति पर विहित घोषणाएं की है ? .....
.....
.....

(29) अन्य महत्तवपूर्ण घटना का विवरण
.....

तारीख .....

मतदान अधिकारी
(पीठासीन अधिकारी) के हस्ताक्षर

इस डायरी को मतपेटी के साथ काउन्टर संख्या एक पर जमा कराये

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–23-B

No. .....

पंच व सरपंच चुनाव
मतदान अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) की डायरी

(1) ग्राम पंचायत का नाम ..... जिला .....
(2) पंचायत समिति .....
(3) ग्राम पंचायत का नाम .....
(4) मतदान दल की संख्या .....
मतदान केन्द्र बूथ नम्बर व नाम .....
(5) मतदान केन्द्र बूथ में सम्मिलित पंचायत सर्किल के वार्ड .....
(6) मतदान केन्द्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैः .....
शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय भवन/निजी भवन/
(7) उपयोग में लाई गई मतपेटियों की कुल संख्या ..... क्रम संख्या .....
(8) उपयोग में लाई गई कागज की सीलों की संख्या .....
(9) ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केन्द्र पर
मतदान अभिकर्ता नियुक्त किये है (सरपंच के निर्वाचन हेतु) .....
(10) मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलम्ब से आये हों,
उनकी संख्या .....
(11) (a) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार
जारी किये गये मतपत्रों की संख्या .....
(निरस्त किये गये मतपत्रों को छोडकर)
(b) निरस्त किये गये और निविदत्त मतपत्रों की संख्या .....
(c) मतदान केन्द्र पर वस्तुतः जारी किये गये मतपत्रों की संख्या (a+b) .....

मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर | **मतपत्रों के प्रभारी सहायक मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर**

(12) मतदान केन्द्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या .....
(13) निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान कियाः–
पुरूष ..... महिला ..... तृतीय लिंग ..... योग .....
(14) (i) निर्वाचकों की संख्या, जिन्होंने फोटो, पहचान पत्र के आधार पर मत दिये .....
(ii) निर्वाचकों की संख्या अन्य दस्तावेजों की पहचान के आधार पर मत दिये .....
(15) अभ्याक्षेपित (चैलेन्ज्ड) मत–अनुमत संख्या ..... अस्वीकृत संख्या .....
जब्त की गई धनराशि रू. .....
(16) निविदत्त (टेन्डर्ड) मतों की कुल संख्या .....
(17) अंधे या शिथिलांग मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान करने में सहायता की गई .....
(18) निर्वाचकों की संख्या .....
(क) जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई .....
(ख) जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया .....
(19) क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था ? ..... यदि हाँ, तो ऐसे स्थगन के कारण
.....

www.rajteachers.com

(20) डाले गये मतों की संख्याः–
(क) मतदान प्रारम्भ होने से 10 बजे पूर्वान्ह तक .....
(ख) 10 बजे पूर्वान्ह से 1 बजे अपराह्न तक .....
(ग) 1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक .....
(घ) 3 बजे अपराह्न से मतदान समाप्त होने तक .....

(21) (क) मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय पर दी गई पर्चियों (स्लिप्स) की संख्या .....
(ख) जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला हो, तक का सही–सही समय .....

(22) ब्यौरे सहित निर्वाचन अपराध
निम्नलिखित मामलों की संख्याः–
(क) मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर मत संयाचना .....
(ख) मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण (Impersonation) किया जाना।
(ग) मतदान केन्द्र पर किसी सूची या सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट कराना या हटाना.....
(घ) मतदाताओं को रिश्वत देना .....
(ड) मतदाताओं (तथा अन्य व्यक्तिओं) को भयभीत करना .....

(23) यदि निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न अथवा बाधा उत्पन्न हुई हो; तोउनका विस्तृत रूप से उल्लेख किया जायेः–
(क) बलवा
(ख) खुली हिंसा
(ग) प्राकृतिक विपत्ति तथा
(घ) अन्य कोई कारण

(24) क्या निम्नलिखित कृत्यों द्वारा मतदान को निष्फल बनाया गया ?
(i) मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई गई मतपेटी को मतदान अधिकारी की सुरक्षा से और अवैधानिक रूप से छीन कर उसे–
(क) अकस्मात् अथवा जानबूझकर गुम हुई अथवा विनष्ट की गई .....
(ख) विनष्ट की गई अथवा उससे अन्तःक्षेप किया गया .....
(ii) किसी व्यक्ति द्वारा मतपत्रों को अवैधानिक रूप से चिन्हित कर मतपेटी में डाले गये ....यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई हो, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाये .....

(25) उम्मीदवारों द्वारा की गई गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हों .....
(26) विधि तथा व्यवस्था भंग करने संबंधी मामलों की संख्या .....
(27) मतदान दल (पोलिंग पार्टी) द्वारा की गई त्रुटियों तथा अनियमितताओं का पूर्ण विवरण.....
(28) क्या आप द्वारा मतदान के पूर्व, मतदान के बीच यदि दूसरी/तीसरी मतपेटियों का उपयोग किया गया हो, तो उसके उपयोग में लाने के पूर्व तथा मतदान समाप्ति पर विहित घोषणाएं की है ? .....
(29) अन्य महत्तवपूर्ण घटना का विवरण.....

तारीख ..... **मतदान अधिकारी**

(पीठासीन अधिकारी) के हस्ताक्षर

इस डायरी को मतपेटी के साथ लिफाफा संख्या पी–43 में रखकर मतगणना के समय रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेंगा।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–24

पंचायत चुनाव, 20.....

पेपर सीलों का लेखा

पंचायत सर्किल का नाम .....मतदान केन्द्र/बूथ का नाम व क्रमांक .....

भाग–1

पंच/सरपंच चुनाव हेतु उपयोग में लाई गई मतपेटी की क्रम संख्या	पंच/सरपंच चुनाव हेतु मतपेटी में उपयोग में लाई गई सीलों की क्रम संख्या

भाग–2

पेपर सीलों का हिसाब

1. दी गई पेपर सीलों की क्रम संख्या ..... से .....तक
2. दी गई सीलों की कुल संख्या ..... .
3. पंच/सरपंच चुनाव के लिए मतपेटी के अन्दर उपयोग में ली गई सीलों की कुल संख्या .....
4. काम में नहीं ली गई (जिला निर्वाचन अधिकारी को लौटाई जाने वाली) पेपर सीलों की कुल संख्या .....(2-3=4)
5. यदि मतपेटी में प्रयोग करते हुए कोई सील खराब हो गई तो उसकी क्रम संख्या .....

अभ्यर्थी/निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....

स्थान .....

दिनांक .....

मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–25

PANCHAYAT / GENERAL ELECTION, 20……..
FORM OF STATISTICS-SARPANCH

A-ON THE DAY OF NOMINATION

1. Name of District …….. 2. name of Panchayat Samiti
3. Name of Ruturning Officer with Polling Party No. ……..……..……
4. Name of Panchayat Circle with Category of Post of Sarpanch ……..……
5. Candidates and Nomination Papers filled ……

S. No.	Name of Candidate whom filled the nomination paper	Total Number of Candidates				
		Whose Nomination accepted (✓)	Whose Nomination rejected (x)	Who withdrew (w)	Brief reason rejection	Name of contesting candidates
1	2	3	4	5	6	7

6. In case Panchayat failed to elect Sarpanch, indicate reason and action taken ……
7. Whether extra symbols were required ? If so, give details:

(a) Symbols required in Panch Ballot Papers:-

S. No. of ward	Whether extra symbols detached from Sarpanch Ballot Paper or from extra slips of symbols	Name of symbols detached

(b)	Symbols required in Sarpanch Ballot Papers:-	
	Whether extra symbols detached from Panch Ballot Paper or from extra slips of symbols	Name of symbols detached

www.rajteachers.com

B-ON THE DATE OF POLL

8. Particulars of polling agents appointed by Sarpanch Candidates:-

Name of Candidate	Name of Polling Agent	Name of Candidate	Name of Polling Agent

9. Total cases of Challenged Votes in Panchayat circle:-

	Total		
	Accepted	Rejected	Handed over to Police for Prosecution
	1	2	3
(a)Sarpanch Election			
(b) Panch Election			

10. Account of ballot Papers for Sarpanch:-
    (i) Total Ballot Papers authorized by Returning Officer for use ……
    (ii) Total Ballot Papers inserted in Ballot Box ……
    (iii) Total tendered Ballot papers issued ……
    (Not to be inserted in Ballot Box)
    (iv) Total Ballot Papers spoilt and cancelled ……
    (Not to be inserted in Ballot Box)
    (v) Total number of unused Ballot Papers in the balance ……
    (Item 1 minus 2 plus 3 plus 4)

C-AFTER COUNTING

11. Total Electorate ……..…….. Men……..…… Women……... Third gender…….
12. Total Votes Polled …… ..…….. Men……..…… Women……. Third gender…….
    (Valid and invalid)
13. Total Sarpanch Ballot Papers rejected …….
14. Difficulties felt in simultaneous poll and suggestions to improve in future ……
    (i) Time taken in counting Panch
    and Sarpanch Ballot Papers ……
    (ii) Was there any case of recount under
    rule 49? Give brief account ……

OATH

15. (a) Total number of Panchas whom oath administered immediately after the declaration of result …….
    (b) Was oath administered to Sarpanch or not immediately after the declaration of result ?

D-GENERAL

16. (1) Any interesting event ……
    (2) Number of cases involving electrol offences.

Signature of all Polling Officers

Polling Booths **Signature of Returning Officer**

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–26

पंचायत आम चुनाव, 20.....

मतपत्र लेखा

1. पंचायत सर्किल का नाम .....
2. मतदान केन्द्र/बूथ का संख्यांक .....
3. मतदान केन्द्र/बूथ का नाम .....

1. प्राप्त मतपत्र

क्रम संख्या	कुल संख्या
.....से..... तक	.....

2. उपयोग में न लिये गये मतपत्र
   (अर्थात् जो मतदाताओं को जारी नहीं किये गये हैं):–
   (क) जिन पर मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर हैं .....
   (ख) जिन पर मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं .....
   कुल (क+ख) .....
3. मतदान केन्द्र/बूथ पर उपयोग में लिये गये मतपत्र (1-2=3) .....
4. मतदान केन्द्र/बूथ पर उपयोग में लिये गये किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गये मतपत्रः–
   (क) मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किये गये मतपत्र .....
   (ख) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लिये गये मतपत्र .....
   (ग) अन्य कारणों से रद्द किये गये मतपत्र .....
   कुल (क+ख+ग) .....
5. मतपेटी में पाये जाने वाले मतपत्र (3-4=5) .....
   नोटः– क्रम संख्या 3, 4 व 5 की सूचना में मतपत्रों की क्रम संख्या देने की आवश्यकता नहीं हैं।

तारीख .....

मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–27

नाम वापसी की सूचना
(सरपंच पद)

सेवामें,

रिटर्निंग ऑफिसर,
पंचायत सर्किल .....

मैं सरपंच पद के लिए अपना नाम वापस लेता/लेती हूँ।

दिनांक ..... हस्ताक्षर/उम्मीदवार

उक्त उम्मीदवार श्री/श्रीमती ..... ने पंचायत के सरपंच पद से अपना नाम वापसी का नोटिस स्वयं आकर मुझे ..... बजे दिया।

दिनांक ..... रिटर्निंग ऑफिसर

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–28

सफेद कलर में

मतपेटी का लेबल

पंच/सरपंच चुनाव

''सरपंच''
''वार्ड सदस्य''

1. पंचायत सर्किल का नाम .....
2. पंचायत सर्किल के वार्ड की संख्या .....
3. मतदान बूथ की क्रम संख्या व नाम .....
4. मतपेटी की क्रम संख्या .....

पिंक कलर में

मतपेटी का लेबल
पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्य का चुनाव

1. जिला परिषद का नाम .....
2. पंचायत समिति का नाम .....
3. जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम .....
4. पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या .....
5. मतदान बूथ की क्रम संख्या व नाम .....
6. मतपेटी की क्रम संख्या .....

.

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–29

मॉडल फार्म

(प्ररूप–क 'पैरा–4')
{नियम 65(2) देखिए}

नोटिस

सरपंच/पंच ..... **पंचायत** .....

पंचायत समिति ..... **जिला** .....

राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 65 के अन्तर्गत मैं, रिटर्निंग अधिकारी इसके द्वारा नोटिस देता हूँ कि दिनांक ..... को ..... बजे ..... (स्थान) पर उप सरपंच के निर्वाचन के लिए पंचायत की बैठक होगी।

पूर्वोक्त तारीख, समय और स्थान पर उक्त बैठक में उपस्थित होने के लिए आपसे सादर निवेदन है।

कार्यक्रम

निर्वाचन और अन्य कार्यक्रम निम्न प्रकार से निश्चित किये गये हैं:–

पंचायत ..... के उप सरपंच का निर्वाचन।

1.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का अन्तिम समय		
2.	(अ)	नाम निर्देशित उम्मीदवारों की सूची बनाना और बैठक में पढ़ना	
	(ब)	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच एवं नाम वापसी	..... बजे से ..... बजे तक
	(स)	बैठक में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची बनाना	
3.	मतदान यदि आवश्यक हो,		..... बजे से ..... बजे तक

दिनांक .....

रिटर्निंग अधिकारी

उप सरपंच का निर्वाचन,
पंचायत .....
(विभागीय पदनाम .....
.....)

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–30

www.rajteachers.com

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–31

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/2235 जयपुर, दिनांकः 25.06.2019

:: आदेश ::

राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 नियम–38 में मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही लगाने संबंधी प्रावधान अंकित है। नियम–38 के प्रावधान निम्नानुसार हैंः–

> **38. Safeguard against impersonation.-** (1) Every voter about whose identity the Returning Officer or the Polling Officer, as the case may be is satisfied shall allow his left hand fore-finger to be inspected by the Returning Officer or the Polling Officer, and cause an indelible ink mark to be put on it.
>
> Explanation.- Any reference in this rule to the left hand fore-finger of a voter shall, in the case where voter has his left hand fore-finger missing be construed as a reference to any other finger of his left hand and shall in the case where all the fingers of his left hand are missing be construed as reference to the fore-finger or any other finger of his right hand, and shall in the case where all his fingers of both the hands are missing be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.

आयोग द्वारा यह अनुभव किया गया है कि पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा पंच एवं सरपंच के निर्वाचन पृथक–पृथक चरणों में होने पर पश्चात्वर्ती चरण में होने वाले निर्वाचन तथा लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के पश्चात् होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन में मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य (Visible) रहने की स्थिति में मतदान अधिकारियों के समक्ष मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही लगाने में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः आयोग राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 91–क (कठिनाइयों का निराकरण) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी करता हैं :–

1. **पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा पंच एवं सरपंच के निर्वाचन हेतु मतदान पृथक–पृथक दिवसों में होने पर** पूर्ववर्ती निर्वाचन हेतु अंकित किया गया अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य (Visible) रहने की स्थिति में पश्चात्वर्ती निर्वाचन में अमिट स्याही का निशान मतदाता के दायें हाथ की तर्जनी अंगुली (Right Hand Fore-Finger) पर अंकित किया जाएगा।

2. लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन में लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन हेतु अंकित किया गया अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य (Visible) रहने की स्थिति में अमिट स्याही का निशान मतदाता के दायें हाथ की तर्जनी अंगुली (Right Hand Fore-Finger)

www.rajteachers.com

पर अंकित किया जाएगा। (लोकसभा एवं विधानसभा के किसी निर्वाचन में पुनर्मतदान के तुरन्त पश्चात् यदि पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन होते हैं तो ऐसी स्थिति में अमिट स्याही लगाने हेतु पृथक से निर्देश जारी किए जाएगें।)

3. पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के दौरान पुनर्मतदान (Re-poll) की स्थिति में जिन पदों के लिए पहले निर्वाचन हुआ था, वहां अमिट स्याही का निशान मतदाता के बायें हाथ की मध्यमा अंगुली (Left Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जाएगा तथा जिन पदों पर बाद में निर्वाचन हुआ था, वहां अमिट स्याही का निशान मतदाता के दायें हाथ की मध्यमा अंगुली (Right Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जायेंगा ।

   स्पष्टीकरण :– जिन निर्वाचनों में अमिट स्याही का निशान बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाया गया है, उन निर्वाचन के पुनर्मतदान में अमिट स्याही का निशान उसी (बायें) हाथ की मध्यमा अंगुली (Left Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जायेंगा । इसी तरह जिन निर्वाचनों में अमिट स्याही का निशान दायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाया गया है, उन निर्वाचन के पुनर्मतदान में अमिट स्याही का निशान उसी (दायें) हाथ की मध्यमा अंगुली (Right Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जायेंगा ।

4. पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव के दौरान पुनर्मतदान (Re-poll) की स्थिति में अमिट स्याही का निशान मतदाता के बायें हाथ की मध्यमा अंगुली (Left Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जाएगा।
5. उक्त निर्देशों की क्रियान्विति में यदि किसी मतदाता के किसी हाथ की संबंधित अंगुली नहीं हो, तो वहां अमिट स्याही का निशान अंकित किए जाने हेतु नियम–38 के स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी।

आज्ञा से,

--Sd--
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/2236–2240 दिनांकः 25.06. 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त एवं सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्य/पंच एवं सरपंच मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को ई–मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर

www.rajteachers.com

परिशिष्ट–32

प्रपत्र–1

सरपंच/पंचायत समिति सदस्यों/जिला परिषद सदस्यों द्वारा चुनाव में नाम वापस लेने अथवा कुल वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त करने की स्थिति में जमानत राशि लौटाने के आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,
ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद .....
जिला .....

विषयः– जमानत राशि लौटाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत ...../पंचायत समिति सदस्य ...../जिला परिषद सदस्य ..... पद के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके साथ जमानत राशि रू. ...../– जरिये रसीद संख्या...../दिनांक .... जमा करायी गयी थी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मेरी जमा जमानत राशि लौटाने का श्रम करावें, क्योंकि –

1. मैंने नाम निर्देशन पत्र नियत तिथि से पहले वापस ले लिया है।

या

2. मैंने डाले गये कुल वैध मतों के 1/6 मतों से अधिक मत प्राप्त किये है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम .....
ग्राम पंचायत सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य .....

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी की जमानत राशि क्रम संख्या ..... में वर्णित कारण से लौटाने योग्य है।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी से ली जाने वाली रसीद का प्रारूप

मेरे द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि ...../– रसीद संख्या ..... के पेटे आज दिनांक ..... को प्राप्त कर ली गई है।

(भुगतान प्रमाणित)
रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम .....

हस्ताक्षर अभ्यर्थी
नाम .....
.....
.....

नोटः– मूल रसीद प्राप्त कर संलग्न की जायें।

www.rajteachers.com

प्रपत्र–2

पंचायत का नाम..... पंचायत समिति..... जिला .....

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जमानत राशि जब्त करने संबंधी प्रपत्र का प्रारूप

आदेश

राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 56 एवं 58 के अन्तर्गत सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य के चुनाव में निम्नलिखित अभ्यर्थियों, को निर्वाचन क्षेत्र में डाले गये कुल वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त करने के कारण उनकी जमानत राशि जब्त की जाती है।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी (SC, ST, OBC, Gen., महिला)	रसीद संख्या एवं दिनांक	जमानत राशि	जब्त राशि

हस्ताक्षर
रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)/
रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति)/
रिटर्निंग अधिकारी (जिला परिषद)
नाम .....

www.rajteachers.com